जलतरंग

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की राजभाषा पत्रिका

अंक 6

सितंबर 2016

भारत का संविधान

CONSTITUTION OF INDIA

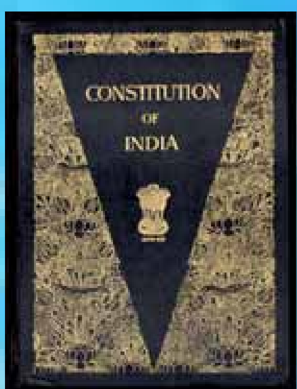

पुरस्कार प्राप्त करते समय बाएँ से खड़े श्री अनूपकुमार श्रीवास्तव, निदेशक राजभाषा, श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, श्री प्रणब कुमार मुखर्जी, राष्ट्रपति, श्री किरण रीजीजू (गृह राज्य मंत्री) रियर एडमिरल आर के श्रावत, सीएमडी, एमडीएल, डॉ बिपिन बिहारी - सचिव राजभाषा।

राजेन्द्र चोला सहस्त्राब्दि एमडीएल में आयोजित किया गया था। चित्र का अनावरण करते समय बाएँ से श्री तरूण विजय, सीएमडी, एमडीएल, डॉ. संजय देशमुख उप कुलपति, मुंबई विश्वविद्यालय। दाएँ खड़े श्री सी विद्यासागर राव, राज्यपाल, महाराष्ट्र तथा श्री देवेन्द्र फड़णवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र।

जलतरंग

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की राजभाषा पत्रिका

मुख्य परामर्शदाता
श्री किशोर चंद्र दास, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

संपादक मण्डल
श्री बी डी साठे, अपर महाप्रबन्धक (मानव संसाधन)

श्री प्रकाश चन्द्र झा, उप महाप्रबन्धक (जहाज निर्माण)

श्री रामाश्रय यादव, उप प्रबन्धक (भंडार - पू.खं.)

श्री रामप्रीत यादव, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

श्री पी डी सिद्दीकी, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

सुश्री जयंतिका मुखर्जी, हिन्दी अनुवादक

प्रकाशक
मीडियाट्रिक्स
511, चर्चगेट चेम्बर्स, 5 न्यु मरीन लाइन्स, चर्चगेट, मुम्बई - 400 020
कॉन्टॅक्ट नं. +91 9920510882 / 22 6743 9594

हिन्दी अनुभाग

माझडॉक हाउस दूसरी मंजिल फोन नं. 022-23710456
माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, डॉकयार्ड रोड, मुंबई - 400 010.

विषय सूची

डॉ. भीमराव बाबा साहब आंबेडकर - रामप्रीत यादव 09
डॉ. भीमराव आंबेडकर का बचपन - अशोक उबाले 19
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में भाषण - गौतम घौड़ेराव 22
दलित वर्ग से आरक्षित वर्ग की यात्रा - सत्यनारायन प्रधान 27
समय - अशोक कु पाठक 28
आंबेडकर विरुद्ध गांधी - राजेश हि आंबवाड 29
ग़ज़ल - सिद्दीकी एच यू 31
पी15बी - विध्वंसक: मोरमुगाओ - पी डी सिद्दीकी 32
डॉ अब्दुल कलाम - महीप गोयल 34
कोलाबा - योगिराज पोतनीस 38
निराला की विनोदप्रियता - विरेश पांचाल 40
अफगान चर्च - कृष्ण प्रधान 41
डेविड ससून - श्रीनिवास सिन्हा 42
हार्निमन सर्कल - के एन जानी 46
मुंबई की लोकल ट्रेन सिखाती है जीवन जीना - प्रमोद कु तिवारी 48
खंडेरी - सुरेश एस कदम 49
बागी, जिसकी शहादत गुमनाम रह गई - विलास चितले 50
कठपुतली - रोशन स भट 50
जिंदगी - दिनेश कुमार 50
अमर शहीद स्व श्री श्रीदेव सुमन - सिमनलाल आर्य 51
मेरी सेवा निवृत्ति - राजू सालवे 52
सुभाष का संदेश - प्रदीप महाडेश्वर 52
मार्शल आर्ट्स - डी चेन्ना केसवुलु 53
उच्च रक्तचाप - डॉ साधना कोळी 55
हम गुस्से से चिल्लाते क्यों हैं - सुनिल कु कुशवाहा 57
सपनों की दुनिया - राहुल यादव 58
एमडीएल के कार्यक्रमों की झलकियाँ 59

इस पत्रिका में दिये गयें लेखकों के विचारसें सम्पादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से...

मान्यवर,

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि माँझगाव डॉक शिपबिल्डरर्स लिमिटेड की गृह पत्रिका 'जलतरंग' नित नए रूप में प्रकाशित हो रही है। इसके माध्यम से मुझे आप सभी से जूड़ने का अवसर मिलता हैं।

गृहपत्रिका में कंपनी की निरंतर प्रगति और नियमित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाठको को देने का प्रयास किया जाता है।

कंपनी अपने गुणवत्ता पूर्ण युद्धपोत और पनडुब्बी को समय पर सुपुर्दगी करने के लिए वचनबद्ध है। राजभाषा की प्रगति एवं प्रचार-प्रसार के लिए एमडीएल हमेंशा प्रयत्नशील है। इसी के चलते 'जलतरंग' का प्रत्येक अंक अपने आरंभ से अब तक पुरस्कार प्राप्त करता रहा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पत्रिका की सामग्री पठनीय और सराहनीय है।

पत्रिका के पाँचवे अंक को हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2016 को महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा द्वितीय कीर्ति पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। इस के साथ ही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन समिट, 2016 (स्कोप) द्वारा राजभाषा गृह पत्रिका 'जलतरंग' को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 22 जुलाई 2016 को प्राप्त हुआ। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) की 57वीं बैठक में पत्रिका को पुन: प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सभी कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग का फल है। मैं सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ हिन्दी अनुभाग के योगदान की सराहना करता हूँ। 'जलतरंग' का यह छठवा अंक विशेष रुप से भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयती पर श्रद्धांजली स्वरुप उनको समर्पित है।

मैं पत्रिका के सफलता की कामना करता हूँ।

रियर एडमिरल आर के श्रावत. भा. नौ.(निवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक (समवाय योजना एवं कार्मिक) का संदेश...

प्रिय मान्यवर

'जलतरंग' का छठा अंक प्रकाशित होने पर मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है क्योंकि पिछले चारवर्षों में पत्रिका के प्रत्येक अंक ने निरंतर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें सभी कर्मचारियों का सहयोग प्रदर्शित हो रहा है। वर्तमान अंक संविधान निर्माता भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयती पर उनको समर्पित है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से पत्राचार में भी निरंतर प्रगति हो रही है।

भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष पत्राचार लक्ष्य घोषित किया जाता है। जिसका पालन करना प्रत्येक सरकारी संस्थान की नैतिक जिम्मेदारी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया है अब इसे जन-जन तक पहुँचाना सभी सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी है।

माझगाव डॉक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए पत्राचार लक्ष्य प्राप्त किया है और लगातार कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कंपनी के सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

मैं पत्रिका की सफलता की कामना करता हूँ।

कमोडोर राकेश आनन्द
निदेशक (समवाय योजना एवं कार्मिक)

कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) का विचार...

राजभाषा पत्रिका 'जलतरंग' का छठा अंक विगत अंकों की तरह विषय वस्तु के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वर्ष में भारतरत्न डॉ. बी आर आंबेडकर की 125वी जयंती है। इसलिए उनके महान योगदान को जयंती वर्ष के अवसर पर स्मरण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संविधान सभा के मुख्य सदस्य के रूप में हर सम्भव प्रयास किया और सभी लोगों के विकास हेतु व्यवस्था की। विशेष रूप से समाज के निम्न, पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जोरदार प्रयास किया।

समग्र रूप से देश के प्रत्येक नागरिक के शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा रोजगारपरक उन्नयन के लिए अप्रतिम व्यवस्था-संविधान में किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। यह अंक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है

कंपनी कर्मचारियों के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है। पत्रिका प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य राजभाषा का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही कपंनी उत्पादों के बारे में देश के नागरिकों को अवगत कराना है। कम्पनी में पत्राचार लक्ष्य सभी कर्मचारियों के निरंतर प्रयास से तीन वर्षों में प्राप्त किया गया है।

मैं पत्रिका के सफलता की कामना करता हूँ तथा सम्पादक मंडल को बधाई देता हूँ।

किशोर चंद्र दास
कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

प्रस्तावना

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का प्रबंधन हिन्दी को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इसका प्रमाण 'जलतरंग' के प्रत्येक अंक में परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों की जीवनी और क्रियाकलापों को यथोचित स्थान पत्रिका में दिया है। 'जलतरंग' का छठा अंक विशेषकर भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर उनको समर्पित है लेकिन इसके साथ ही साथ इस शहर के एक पुरोधापुरुष डेविड ससून के जीवन परिचय के साथ-साथ उनके महान योगदान को प्रदर्शित किया गया है। जिन्होने अपनी कर्मठता तथा उदारता का बेमिसाल उदाहरण पेश किया है। पत्रिका में ऐतिहासिक स्थानों का व्योरा क्रम बार प्रस्तुत किया गया हैं। जिसमें सन 1930 से पहले कोलाबा रेलवे स्टेशन का विवरण भी पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत है। दक्षिण मुंबई में कोलाबा द्वीप का क्रमिक विकास और उस क्षेत्र में पुर्तगाली शासन से लेकर अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों का व्योरा भी संक्षिप्त रुप में दिया गया है। पत्रिका में आधुनिक काल के महानपुरुष श्री. ए.पी.जे अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति के संघर्षशील जीवन और मेहनत से राष्ट्र के उच्चतम पायदान पर पहुँचने के जीवन यात्रा का ब्योरा देने के अलावा उनके कृत्तित्व को प्राथमिकता प्रदान की गई है। 'जलतरंग' के प्रत्येक अंक को विशिष्ट रुप देकर पाठकों के समक्ष ज्ञानवर्धक जानकारी राजभाषा में प्रस्तुत करना पत्रिका का लक्ष्य है। जिससे राजभाषा के प्रचार-प्रसार में वृद्धि हो। जहाज निर्माण संबंधी अद्यतन एवं नगर की पुरातन जानकारी सरल भाषा में प्रस्तुत करना राजभाषा अनुभाग का ध्येय है इसे पूरा करने के लिए एमडीएल राजभाषा गृहपत्रिका का प्रकाशन अर्ध वार्षिक रूप से नियमित कर रहा है। पत्रिका का यह अंक विषयवस्तु आधारित है। कम्पनी कर्मचारियों को अपनी साहित्यिक अभिरुचि व्यक्त करने का मंच भी यह पत्रिका प्रदान करती है। सभी कर्मचारी अपने मनोगत नियमित रूप से इसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।

श्री बी डी साठे
अमप्र (मा.सं), न्हावा यार्ड

भारत रत्न डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर

श्री रामप्रीत यादव
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ. भीमराव आंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माणकर्ता हैं। विधि विशेषज्ञ अथक परिश्रमी एवं उत्कृष्ट कौशल के धनी व उदारवादी परंतु सुदृढ़ व्यक्ति के रुप में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. भीमराव आंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में महू नामक सैनिक छावनी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मलोजी सकपाल तथा माताजी का नाम भीमाबाई मुरबाडकर सकपाल था। रामजी रामपाल परिवार में वह चौदहवी सन्तान थे। उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत थे। सन 1894 में उनके पिताजी सेना से निवृत्त हुए और दो वर्ष बाद उनकी माता भीमा का सन् 1896 में स्वर्गवास हो गया। माताजी की मृत्यु के पश्चात् परिवार के बच्चों का पालन पोषण का कार्य उनकी बुआ ने अधिक कठिन परिस्थितियों के बीच किया। चार वर्ष बाद उनके पिता ने दूसरी शादी सन् 1898 में की और परिवार सहित सन् 1898 में ही मुम्बई आ गए। उनका परिवार मूल रुप से मराठी पृष्ठ भूमि से था जो आजकल के रत्नागिरी जिला के मंडनगढ तालुका के अम्बावड़े कस्बा से संबंधित था। आंबेडकर का जन्म गरीब दलित परिवार के महार जाति में हुआ जिसे तत्कालीन समाज में अछूत माना जाता था और समाज में इस जाति के साथ सामाजिक-आर्थिक भेद-भाव करने की परम्परा थी। आंबेडकर के पूर्वजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना में कार्य किया था। रामजी सकपाल ने अपने गाँव के नाम पर अपना उपनाम अंबवाड़े रख लिया था लेकिन गाँव के ही देशस्थ ब्राम्हण शिक्षक श्री महादेव आंबेडकर का भीमराव से विशेष स्नेह था उनके कहने पर आंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर आंबेडकर जोड़ा जो उनके गाँव के नाम 'अंबवाड़े' पर आधारित था। रामजी सकपाल के तीन पुत्र तथा दो पुत्रियाँ थी जिनका नाम क्रमशः बलराम, आनन्दराव, और भीमराव एवं मंजूला और तुलवा था।

महू में सरकारी सेवा में रहते हुए सुबेदार रामजी सकपाल अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नाम लिखाना चाहते थे इसलिए भीमराव सकपाल का नामांकन सरकारी सेना स्कूल में कराया गया था लेकिन वहाँ पर वह जाति भेद के शिकार बनाए गए। चूंकि वह हिन्दूओं के निम्न महार जाति से संबंधित थे, जिसके कारण उच्च वर्गीय हिन्दूओं द्वारा उनके अछूत घोषित किया था। उस समय अछूत जाति के लोगों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता था। भीमराव बचपन से ही सभी प्रथाओं द्वारा भेद-भाव का सामना करते रहे, यद्दपि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भारतीय लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करते थे लेकिन भारतीय समाज के उच्चवर्गी लोग

उनके साथ अछूत-सा व्यवहार करते थे। सामाजिक डर के कारण सरकारी स्कूल के अध्यापक भी अछूत जाति के बच्चों को स्कूल के भीतर बैठाने से मना करते थे।

ऐसी दशा में स्कूल के दलित बच्चों को अपने घर से बोरी लेकर जाना पड़ता था जिस पर बैठकर वह पढ़ाई करते थे।

महू के सरकारी स्कूल में भेद-भाव होने के कारण उनके पिताजी ने सेवा निवृत्ति पश्चात सतारा जाने का निर्णय किया और अपने सबसे छोटे पुत्र को गाँव के स्कूल में दाखिल कराया। दुर्भाग्य से छूआछूत का अभिशाप गाँव में भी जारी था। इससे छुटकारा पाने तथा जिविका का माध्यम खोजने के लिए रामजी आंबेडकर परिवार सहित मुम्बई आ गए। यहाँ पर उनके पिताजी ने एलफिस्टन रोड के सरकारी हाई स्कूल में उनका नाम लिखाया। भीमराव आंबेडकर उस स्कूल के प्रथम अछूत छात्र थे। यद्धपि वह पढ़ने में सर्वोत्तम थे लेकिन उनके साथ भेदभाव और अलग रहने की मजबूरी के कारण बहुत परेशान रहते थें। उन्हें स्कूल के कक्षा में बैठने से मना करने के अलावा यह भी पाबंदी थी कि कोई भी दलित छात्र स्वयं बर्तन से पानी लेकर नहीं पी सकता था क्योंकि सामाजिक नियम बना था कि अछूत लोगों के बर्तन छू जाने पर बर्तन अपवित्र हो जायेगा। सरकारी स्कूलों में भेदभाव और अलग रहने की पाबंदी के अलावा स्कूल में भीमराव आंबेडकर को पानी पिलाने के लिए एक चपरासी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह ऊपर से पानी पिलाये। यदि किसी कारण से स्कूल का चपरासी कहीं बाहर गया तो आंबेडकर को दूसरा कोई व्यक्ति पानी नहीं पिलाता था और भीमराव को बिना पानी पीये रहना पड़ता था। आंबेडकर ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक में किया **हैं 'नो पीउन नो वॉटर'।**

सन 1906 में भीमराव आंबेडकर की उम्र 15 वर्ष थी। उसी वर्ष दापोली निवासी रामाबाई से उनकी शादी हुई। 1907 में भीमराव आंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास किया और तत्पश्चात एलफिस्टेन कॉलेज में नाम लिखाया जो मुम्बई विश्व विद्यालय के आधीन था। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर रुपए 25 प्रतिमाह की छात्रवृत्त दिया। वह इस विद्यालय के पहले अछूत छात्र थे। उनकी सफलता से अछूत लोगों ने एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया जिसमें उनके अध्यापक तथा पारिवारिक मित्र उपस्थित थे जिसमें लेखक कृष्णाजी ए केलुसकर ऊर्फ दादा केलुसकर ने बुद्ध

डॉ. आंबेडकर तथा रमाबाई का चित्र

बाएँ से बैठे यशवंतराव आंबेडकर (पुत्र), डॉ. भीमराव आंबेडकर , श्रीमती रमाबाई आंबेडकर (पत्नी), श्रीमती लक्ष्मीबाई (डॉ. आंबेडकर के दिवंगत बड़े भाई आनंदराव की पत्नी), पुत्र मुकुंदराव (स्व, आनंदराव का पुत्र) और उनका पालतू कुत्ता टॉबी

की आत्मकथा पुस्तक भीमराव को भेंट किया था। सन् 1912 में भीमराव आंबेडकर ने मुम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के विचार बहुत उच्च उन लोगों के लिए था जो उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतू संघर्ष कर रहे थे ऐसे लोगों की खोज वह स्वयं करते थे और आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करते थे। शर्त यह होती थी कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उस विद्यार्थी को शिक्षा शुल्क की वापसी बड़ौदा राज्य की सेवा करके चुकानी होती थी।

इसकी व्यवस्था भी महाराज स्वयं करते थे। भीमराव आंबेडकर ने स्नातक की उपाधि प्राप्त

छुआछुत की स्थिति

डॉ. बी आर आंबेडकर ने अपने बढ़ते परिवार को संभालने के लिए तरह-तरह के जीविका उपार्जन के साधन की तलाश करने लगे। आरंभ में निजी ट्यूटर का काम शुरू किया, तत्पश्चात एकाउंटेंट के रुप में कार्य किया। इसमें भी असफल होने पर एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग बिजनेस की स्थापना किया, पर जब उनके ग्राहकों को यह पता चला कि वह दलित वर्ग से हैं तो लोगों ने इस फ़र्म से काम करना बंद कर दिया। बंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम की सिफारिश पर उन्हे सन 1918 में मुंबई के सिडनेम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मिली थी। हालांकि, एक प्रोफेसर के रुप में वे अपने छात्रों में सराहनीय रहे लेकिन साथी प्रोफेसरों द्वारा एक ही मटका से पानी पीने पर विरोध किया। एक दिन उन्होंने मटका से पानी पी लिया था जिसके कारण साथी सवर्ण प्रोफेसर ने मटका पटककर फोड़ दिया। इस घटना से दुखी होकर उन्होने नौकरी से तुरंत इस्तीफा दे दिया।

सभा में भाषण देते हुए डॉ. आंबेडकर

भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार करते समय साउथबोग कमिटी के समक्ष आंबेडकर को साक्ष्य हेतु आमंत्रित किया था। इसकी सुनवाई के दौरान आंबेडकर ने अस्पृश्य और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक मतदान और आरक्षण की मांग पर तर्क दिया। सन् 1920 में कोल्हापुर के महाराजा, शहाजी द्वितीय के साथ मिलकर मुम्बई में 'मूकनायक' नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था।

डॉ. आंबेडकर समकालीन मित्रों के साथ

करने के पश्चात और उच्च शिक्षण प्राप्त करने की इच्छा अपने एक इसाई मित्र से किया। उनके मित्र ने सलाह दिया कि यदि आप महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ से सहायता मांगेंगे तो वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आंबेडकर जी ने महाराजा को पत्र लिखा। पत्र का जवाब सकारात्मक रुप से वजीफा सहित प्राप्त हुआ। कुछ माह बाद बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने आंबेडकर को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में नामांकन करने के लिए बातचीत की और 11.5 डालर प्रतिमाह छत्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी कर दिया। न्यूयार्क शहर में पहुँचने पर आंबेडकर को राजनीति विज्ञान के स्नातक अध्ययन कालक्रम में शामिल किया गया। वहाँ एक शयनागर में कुछ दिन रहने के पश्चात वह एक हाउसिंग क्लब में रहने चले गये जो एक भारतीय छात्र द्वारा परिचालित था। उस क्लब में एक पारसी युवक के साथ साझे में रहने लगे उनका नाम नवल भातेना था। सन् 1915 के जून माह में उन्होंने मुख्य रुप से अर्थशास्त्र और अन्य विषय, समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया। सन् 1915 में प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। वह जॉन डेवी और उनके लोकतंत्र के कार्य से प्रभावित थे। सन् 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध प्रबंध **"भारत का राष्ट्रीय लाभ - एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन"** पर प्रस्तुत किया। यह उनके दूसरे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए था। जून 1916 में वे लंदन पहुंचे और अक्टूबर में उन्होने कानून की पढ़ाई के लिए 'ग्रे इन' और 'इकोनॉमिक्स' के लिए 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' और 'पोलिटिकल साइन्स' में दाखिला ले लिया और उन्होने डॉक्ट्रेट थिसिस के लिए काम करना शुरू किया। सन् 1917 में उन्हें इंग्लैंड से वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति बड़ौदा राज्य से बन्द हो गई थी। वापसी में उनके पुस्तकों का संग्रह दूसरी जहाज से भारत भेजा गया था लेकिन रास्ते में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की पनडुब्बी ने टारपिडो से ब्रिटेन की जहाज पर हमला कर दिया और वह जहाज डुब गई और आंबेडकरजी के सभी शोध प्रबंध भी जहाज के साथ डुब गए।

आंबेडकर जी ने इस घटना की जानकारी इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को दिया। विद्यालय ने उन्हें 4 वर्ष के भीतर शोध प्रबंध जमा कराने की अनुमति प्रदान किया। उनकी इच्छा थी कि ब्रिटेन से कानून की डिग्री प्राप्त करें। इस इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने विभिन्न कार्यों को करते हुए बचत की और कुछ मित्रों के आर्थिक सहयोग से अवसर मिलने पर वह पुनः ब्रिटेन गये और अपनी स्नातकोत्तर उपाधि सन् 1921 में प्राप्त किया। इस बार उनका शोध प्रबंधन **"रुपये की समस्या इसकी उत्पत्ति एवं समाधान"** पर था। इसे बुक फार्म में प्रकाशित कराया था। इस थेसिस पर उन्हे औपचारिक रुप से 8 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की पदवी प्राप्त हुई। उनका पहला प्रकाशन **"भारत में जाति"** शीर्षक से प्रकाशित हुआ था जो जाति का तंत्र, उत्पत्ति, और विकास पर आधारित था।

इंग्लैंड से वापस आने के उपरान्त बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें सैनिक सचिव के पद पर 2000 रु मासिक वेतन पर रखा। वहाँ कार्य करते समय कार्यालय के उच्च वर्गीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ज्ञात हुआ कि सैनिक सचिव दलित है तो वे उनके साथ छुआछुत का व्यवहार करने लगे। कार्यालय के कर्मचारी ब्राम्हण वर्ग से थे उनका तर्क था कि हम लोग दलित व्यक्ति को पानी नहीं पिला सकते। इससे हमारा अपमान होगा। इनके सम्पर्क में आने से हमलोग अछूत हो जायेंगे। डॉ. आंबेडकर बड़ौदा के एक धर्मशाला फार्म में रहते थे क्योंकि इसके अलावा रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब धर्मशाला में प्रचार हो गया कि दलित व्यक्ति ठहरा हुआ है तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया गया। विवश होकर उन्होंने महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से मिलने के लिए समय मांगा, मुलाकात होने पर अपनी व्यथा बताई। महाराज ने उन्हें बड़ौदा राज्य की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। बड़ौदा से वापस मुम्बई आकर अपने लिए नए जीविका की तलाश करने लगे।

सन् 1919 में वह पुनः लंदन गए और एमएससी, डीएससी तथा बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत लौटे। सन् 1922 में उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू किया और अनेक कठिनाइयों के बावजूद कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक मुकदमे में उन्होंने अपने तर्क से अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त कराया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके पश्चात बाबा साहब की प्रसिद्धि में चार चाँद लग गए।

विरोध

बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान, उन्होंने अस्पृश्यों के लिए शिक्षा हेतु प्रोत्साहन और उन्हे आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। उनका पहला सफल प्रयास **केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकरणी सभा** की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था जिसे तब आउटकास्ट वंचित श्रेणी

महाड सत्याग्रह की स्वागत समिति

कहा गया। इस संस्थान का उद्देश्य और सामाजिक-आर्थिक उन्नति और कल्याण को प्रोत्साहन देना था। दलितों के अधिकार की रक्षा के लिए उन्होने अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित कराया जैसे मूकनायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता।

सन् 1925 में डॉ.आंबेडकर साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए बॉम्बे प्रेसीडेंसी कमिटी में नियुक्त हुए। सम्पूर्ण भारत में इस कमीशन का विरोध किया गया। जहां इसके रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों ने नकार दिया वहीं आंबेडकर ने अपने तरह से भारत के भावी संविधान के लिए अपनी शिफारिशे लिखी।

सन् 1927 तक, डॉ.आंबेडकर ने अस्पृश्यता के विरुद्ध सक्रिय आंदोलन करने का निश्चय कर लिया। उन्होने जन आंदोलन से शुरूआत की और जनता के लिए पेय जल उपलब्ध कराने के लिए यात्रा किया। हिन्दू मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए भी उन्होने संघर्ष किया। उन्होने महाड में अस्पृश्य समुदाय के अधिकार हेतु शहर के तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए भी सत्याग्रह चलाया।

सन् 1930 में नासिक के कलाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए तीन माह तक आंबेडकर ने आंदोलन चलाया। यह नासिक के सबसे बड़े जुलूसों में से एक था जहां 1500 स्वयंसेवक, सैनिक बैंड, स्काउट्स, महिला और पुरुष दृढ़ संकल्प, के साथ पहली बार भगवान से मिलने मंदिर के द्वार जा पहुंचे थे। वहाँ पहुंचने पर पता चला कि मंदिर के ब्राम्हण पदाधिकारियों ने उस मंदिर का गेट पहलेसे बंद कर दिया था।

पूना संधि

सन् 1932 में, ब्रिटिश सरकार ने डॉ.आंबेडकर की मांग पर सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की। यह सुनकर गांधीजी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी ने रूढ़िवादी हिंदू समाज से सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने तथा, हिंदुओं की राजनीतिक और सामाजिक एकता की बात की। गांधी के अनशन को देश भर की जनता से घोर समर्थन मिला और रुढ़िवादी हिंदू नेताओं, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं जैसे पवलंकर बालू और मदन मोहन मालवीय ने आंबेडकर और उनके समर्थकों के साथ यरवदा में संयुक्त बैठकें की। अनशन के कारण गांधी की मृत्यु होने की स्थिति में, होने वाले सामाजिक प्रतिशोध के बदले, अछूतों की हत्याओं के डर से और गांधीजी के समर्थकों के भारी दबाव के चलते आंबेडकर ने अपनी पृथक निर्वाचिका की माँग वापस ले ली। इसके स्थान पर अछूतों को सीटों के आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश / पुजा के अधिकार एवं छुआछूत खत्म करने की बात स्वीकार कर ली गयी। गांधी ने इस उम्मीद पर की बाकी सभी पूना संधि का आदर कर सभी शर्ते मान लेंगे, अपना अनशन समाप्त कर दिया।

आरक्षण सिस्टम में पहले दलित अपने लिए संभावित उम्मीदवारों में से चुनाव द्वारा (केवल दलित) चार संभावित उमीदवार चुनते। इन चार उमीदवारों में से फिर संयुक्त निर्वाचन चुनाव (सभी धर्म / जाति) द्वारा एक विजेता चुना जाता। इस आधार पर सिर्फ एक बार सन 1937 में चुनाव हुए। आंबेडकर केवल 20-25 साल के लिए आरक्षण चाहते थे लेकिन गांधीजी के अड़ जाने के कारण आरक्षण केवल 5 साल के लिए लागू हुआ।

पृथक निर्वाचन में दलितों को दो वोट देने का अधिकार था, एक सामान्य जाति के उम्मीदवार को और दूसरा दलित (पृथक) उम्मीदवार को। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था किन्तु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं का समाधान का प्रयास भी करता।

25 सितंबर, 1932 को आंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच पूना संधि पर हस्ताक्षर किया गया। संधि के अनुसार दलित वर्ग को अस्थायी विधान सभा में 71 सीटों की जगह पर 148 सीटें प्राप्त हुई, जिसे ब्रिटिश प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तावित किया था। इसमें 'दलित वर्ग' हिन्दू के अस्पृश्य समुदाय को कहा गया जो बाद में भारतीय सरकार अधिनियम 1935, एवं भारतीय संविधान में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से अभिहित किया गया। पूना संधि के बाद गांधीजी ने एक साल तक छुआछुत को मिटाने के लिए देशभर का दौरा किया और जनता से 85 लाख रूपये चंदा के रूप में इकट्ठा किया।

राजनीतिक जीवन

सन 1935 में डॉ. आंबेडकर को मुम्बई के सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होने दो वर्ष तक कार्य किया। इसके चलते डॉ. आंबेडकर बंबई में बस गये। उन्होने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया। उनके निजी पुस्तकालय में 50000 से अधिक पुस्तकें थीं। उसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थीं पर आंबेडकर ने उन्हे इसकी इजाज़त नहीं दी। आंबेडकर ने कहा कि "उस हिन्दु तीर्थ में जहाँ उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है" इसके बजाय उन्होने उनके लिये एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। भले ही अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई को भारत भर से समर्थन हासिल हो रहा था पर उन्होने अपना रवैया और अपने विचारों को रूढ़िवादी हिंदुओं के प्रति और कठोर कर लिया। उनकी रूढ़िवादीता की आलोचना का उत्तर बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया 13 अक्टूबर को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए डॉ. आंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होने अपने अनुयायियों से सभी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आव्हान किया। उन्होने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में दोहराया था।

सन 1936 में, डॉ. आंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और उनके दल ने 1937 में केन्द्रीय विधान सभा चुनावों में 15 सीटें जीती। उन्होने अपनी एक पुस्तक **'जाति का विनाश'** पर प्रकाशित किया। इस सफल और लोकप्रिय पुस्तक में आंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गाँधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कॉंग्रेस के फैसले की भी कड़ी निंदा की। डॉ. आंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे।

भारतीय संविधान का मसौदा

अपने विवादास्पद विचारों और गांधी व काँग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद आंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवत्ता की थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, काँग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार अस्तित्व में आई। तत्कालीन सरकार ने डॉ. आंबेडकर को देश के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को, डॉ. आंबेडकर स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए गठित संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए।

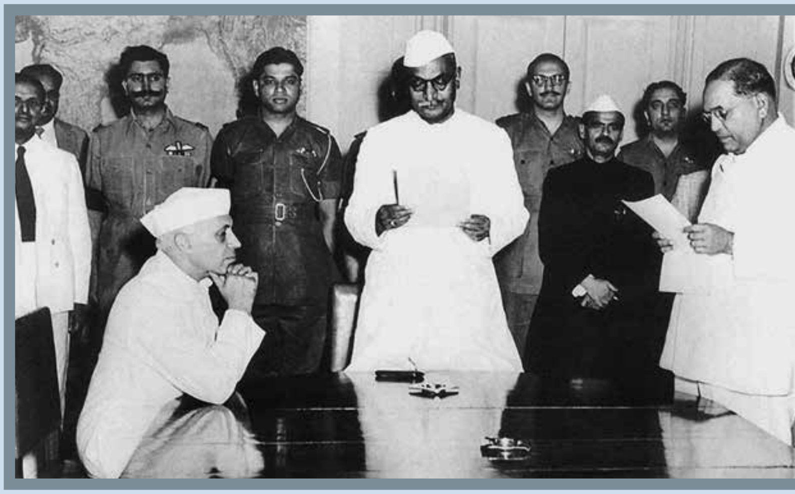

कानून मंत्री की शपथ लेते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर - सामने बैठे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद

डॉ.भीमराव आंबेडकर तथा राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद

डॉ. आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान पीठ में संवैधानिक गारंटी के साथ नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर कानूनी करार दिया गया। डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। उन्होने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया। भारत के विधि निर्माताओं ने इस सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा दलित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और उन्हें हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की चेष्टा की। इसकी मूल कल्पना में पहल इस कदम को अस्थायी रूप से और आवश्यकता के आधार पर शामिल करने की बात कही गयी थी। 26 नवम्बर 1949 को संविधान धारा सभा ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया।

संविधान सभा में बहस के दौरान, डॉ. आंबेडकर ने नागरिक संहिता को भारतीय समाज द्वारा अपनाने की शिफारिश पर अपना मत प्रस्तावित किया। 1951 में संसद में अपने हिन्दू कोड बिल के मसौदे को रोक जाने के बाद डॉ. आंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार नियम, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गयी थी। डॉ. आंबेडकर ने 1952 में लोक सभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा पर बॉम्बे चुनाव क्षेत्र में नारायण सदोबा करजोलकर से बहुत थोड़े ही वोट से हार गये। मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी यानि राज्य सभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इस सदन के सदस्य रहे।

धारा 370 का विरोध

डॉ. आंबेडकर ने भारतीय संविधान की धारा 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, जिसे उनकी इच्छा के विरुद्ध शामिल किया गया था। बलराज मधोक ने कहा था, कि डॉ. आंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला से साफ-साफ कहा था:- **आप चाहते हैं कि भारत आपके सीमा की रक्षा करें, आपके क्षेत्र में रास्ता बनाए, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करे और कश्मीर को भारत के जैसा दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का कश्मीर पर सीमित अधिकार होगा और भारत की जनता का कश्मीर पर कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रस्ताव सहमति भारत के विरुद्ध एक विश्वासघातक कदम होगा जिसे "मैं भारत का कानून मंत्री होने के कारण कभी स्वीकार नहीं करुँगा।"** शेख अब्दुल्ला फिर नेहरू से मिले। उन्हें गोपाल स्वामी आएंगार से मिलने को कहा। आएंगार जी ने सरदार पटेल से यह बात बढ़ाई कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को वचन दिया है कि कश्मीर को अलग महत्व दिया जाए। पटेल नेहरू के विदेश यात्रा के दौरान इस धारा को पारित कर दिया। जिस दिन यह धारा चर्चा के लिए सदन में आई, उस समय डॉ. आंबेडकर जी ने इससे संबन्धित किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया लेकिन अन्य धाराओं पर चर्चा करते रहे। धारा 370 पर सभी तर्क कृष्णा स्वामी आएंगार नहीं दिया था।

भारतीय रिजर्व बैंक

डॉ. आंबेडकर एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित थे और 1921 में राजनीतिक नेता बनने तक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री रहे। उन्होने तीन महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र पर लिखी:

- एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेन्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
- द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविन्सियल फाइनेन्स इन ब्रिटिश इंडिया
- प्रोब्लेम ऑफ रूपी : इट्स ओरिजिनल एंड सालूसन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), डाक्टर आंबेडकर द्वारा हिल्टन यंग कमीशन के सामने प्रस्तुत विचार पर ही आधारित है।

उन्होने अपनी पुस्तक 'हू आर द शुद्राज़?' (शुद्र कौन थे?) के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शुद्रों के अस्तित्व में आना की व्याख्या की। उन्होने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से अछूत, शुद्रों से अलग हैं। डॉ. आंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते देखा, हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में इसने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया था।
डॉ. आंबेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया में उसकी रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया पर मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की।

आर्थिक योजना

डॉ. आंबेडकर पहले भारतीय थे जिन्होने विदेश से अर्थशास्त्र में डाक्टरेट प्राप्त किया था। उन्होने तर्क दिया कि औद्योगीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होने कृषि पर निवेश करने पर बल दिया चूंकि यह भारत का प्रधान उद्योग है। शरद पवार के अनुसार, डॉ. आंबेडकर की दूरदर्शिता ने भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. आंबेडकर ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, शिक्षा पर जोर, जन स्वच्छता, सामाजिक स्वास्थ्य, आवासीय सुविधा जैसे मूल सुविधा की वकालत की। उनका

डॉ. शारदा कबीर और डॉ भीमराव आंबेडकर

डीएससी पर शोधपत्र **द प्राब्लेम ऑफ रुपी: इट्स ओरिजिन एंड सालूसन** (1923) में रूपये के मूल्य में कमी आने के कारणों की जाँच करता है। उन्होने प्रमाणित किया कि मूल्य में स्थिरता विनिमय की स्थिरता पर आधारित होती है। उन्होने चाँदी और सोने के विनिमय दर का मूल्यांकन किया एवं अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को दिखाया। ब्रिटिश भारत के केंद्रीय राजकोष की विफलता के कारणों का पता लगाया। ब्रिटिश रूल के कारण विकास में हुए ह्रास को निकाला।

1951 में डॉ. आंबेडकर ने भारतीय आर्थिक कमीशन की स्थापना की। उन्होने निम्न-आय समुदाय के लिए आयकर का विरोध किया। उन्होने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने हेतु भूमि राजस्व कर और उत्पाद शुल्क नीतियों में योगदान दिया। उन्होने भूमि सुधार और राज्य आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार जाति व्यवस्था ने श्रमिकों का विभाजन किया और जिससे आर्थिक उन्नति में बाधा आई है।

उन्होने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया। जिसे भारत सरकार ने परिवार नियोजन योजना को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया। आर्थिक विकास के लिए उन्होने महिलाओं के समान अधिकार पर जोर दिया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद उन्होंने औद्योगिक संबंध की स्थापना की।

दूसरा विवाह

डॉ. आंबेडकर की पहली पत्नी लंबे समय से बीमार होकर 1935 में गुजर गई। 1940 के अंतिम दशक

बौद्ध धर्म में परिवर्तन

सन 1950 के दशक में डॉ आंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका (तब सीलोन) गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार जनता को समर्पित करते हुए, डॉ. आंबेडकर ने घोषणा कि कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं जैसे ही यह समाप्त होगी वे औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे 1954 में डॉ. आंबेडकर ने बर्मा का दो बार दौरा किया; दूसरी बार वे रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गये। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा या बौद्ध सोसायटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम लेख 'द बुद्धा एंड हिज़ धम्म' को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आंबेडकर ने खुद और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। आंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपारिक तरीके से तीन रत्न और पंचशील को अपनाते हुये बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उनके एक अनुमान के अनुसार लगभग 500,000 समर्थको को बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया।

नागपुर में दीक्षा समारोह के दौरान दीप जलाते हुए डॉ. आंबेडकर के साथ उनकी पत्नी सविता आंबेडकर

इसके बाद वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गये। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध या कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया। डॉ. बी.आर आंबेडकर ने दीक्षा भूमि, नागपुर में ऐतिहासिक बौद्ध धर्म समारोह में परिवर्तन के अवसर पर, 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएँ निर्धारित की। 500,000 लोगों का बौद्ध धर्म में रूपांतरण ऐतिहासिक था क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण था। उन्होंने इन शपथों को निर्धारित किया ताकि हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके। ये 22 प्रतिज्ञाएँ हिंदू मान्याताओं और पद्धतियों की जड़ों पर गहरा आघात करती हैं। इन प्रतिज्ञाओं से हिंदू धर्म, में ऊंची जातियों के संवर्धन के लिए किया, प्रशस्त मार्ग का विरोध गया है और इनमें व्याप्त अंधविश्वासों, व्यर्थ और अर्थहिन रीतियों, से धर्मान्तरित होते समय स्वतंत्र रहा जा सकता है।

में, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद आंबेडकर नींद की कमी, पैरों की नसों में दर्द से ग्रस्त थे, साथ की इंसुलिन और होमियोपैथी दवाइयाँ लेने लगे थे। अपने इलाज के लिए डॉ. आंबेडकर बॉम्बे आए और वहीं उनकी मुलाकात डॉ. शारदा कबीर से हुई वह जाति से ब्राम्हण थी उन्होने डॉक्टर आंबेडकर का उपचार किया और निरंतर संपर्क में थी बाद में 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में शादी कर ली। उन्होने सविता आंबेडकर नाम अपनाया और जीवन भर डॉ. आंबेडकर की सेवा की।

स्वर्गवास

1948 से डॉ. आंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे।

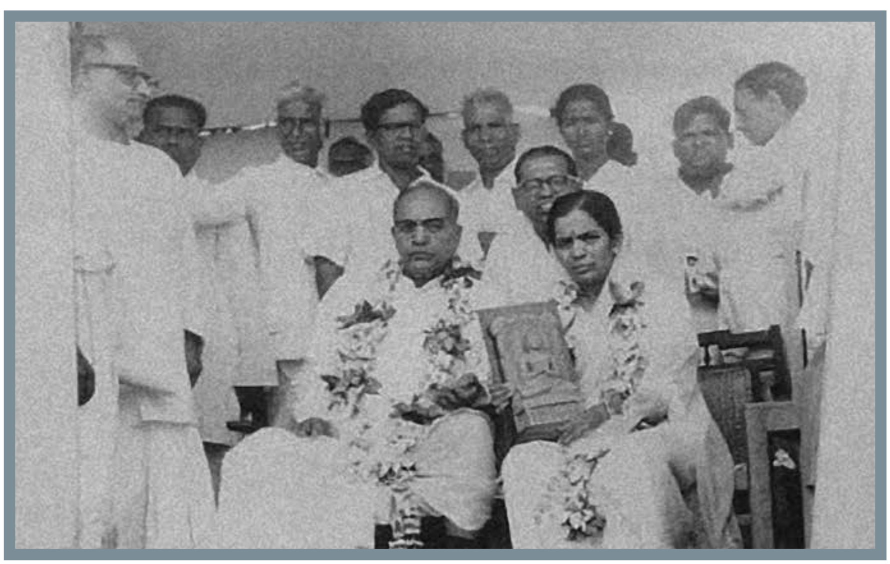

विरासत

आंबेडकर की सामाजिक और ऐतिहासिक सुधारक विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच को सारे राजनीतिक माहौल में सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी इस पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सोच को प्रभावित किया। उनकी यह सोच आज की सामाजिक, आर्थिक, नीतियों, शिक्षा, कानून और सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से प्रदर्शित होती है। एक विद्वान के रूप में उनकी ख्याति भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कराने में सहायक सिद्ध हुई। उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास था और उन्होंने समान रूप से रूढ़िवादी और जातिवादी हिंदू समाज और इस्लाम की संकीर्ण और कट्टर नीतियों की आलोचना किया है। उनकी हिंदू और इस्लाम की निंदा ने उन्हें विवादस्पद और आलोकप्रिय बनाया है, हालांकि उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने के बाद भारत में बौद्ध दर्शन में लोगों की रूचि बढ़ी है।

डॉ. आंबेडकर के राजनीतिक दर्शन के कारण बड़ी संख्या में दलित राजनीतिक दल, प्रकाशन और कार्यकर्ता संघ अस्तित्व में आए हैं जो पूरे भारत में सक्रिय रहते हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र में। उनके दलित बौद्ध आंदोलन को बढ़ावा देने से बौद्ध दर्शन भारत में पुर्नजागृत हुआ है। दलित कार्यकर्ता समय-समय पर समूहिक धर्म परिवर्तन के समारोह आयोजित उसी तरह करते रहते हैं जिस तरह डॉ. आंबेडकर ने 1956 में नागपुर में आयोजित किया था।

सिद्धार्थ कॉलेज पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी द्वारा चालित है इसकी स्थापना डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 8 जुलाई 1945 में की थी। यह कॉलेज मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इस कॉलेज की स्थापना समाज के सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से किया गया था। यह आनंद भवन में स्थित है, जिसे एमएमआरडीए के हेरिटेज संरचना माना गया है।

इस कॉलेज की लाइब्रेरी में कानूनी पुस्तकों की भारी संख्या उपलब्ध है। लाइब्रेरी में डॉ. आंबेडकर की कुछ दुर्लभ व्यक्तिगत पुस्तकें भी हैं जिसका प्रयोग डॉ. आंबेडकर ने संविधान के प्रारुप रचना में किया था।

बौद्ध भिक्षु के पीछे खड़े डॉ. आंबेडकर एवं डॉ. सविता आंबेडकर

जून से अक्टूबर 1954 तक वे बहुत बीमार रहे इस दौरान वह कमजोर होती दृष्टी से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान डॉ. आंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किये गये लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया।

अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के तीन दिन बाद 6 दिसम्बर 1956 को डॉ. आंबेडकर की मृत्यु नींद में दिल्ली आवास पर हुई, 7 दिसम्बर को दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया। जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया।

मृत्युपरांत डॉ. आंबेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी डॉ. सविता आंबेडकर रह गयी थीं, डॉ. सविता आंबेडकर की एक बौद्ध के रूप में सन 2003 में मृत्यु हो गई, आंबेडकर के पौत्र, श्री प्रकाश यशवंत आंबेडकर, भारिप बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते है और भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं।

कई अधूरे टंकित और हस्तलिखित मसौदे डॉ. आंबेडकर के नोट पत्रों में पाए गए हैं। इनमें 'वेटिंग फ़ोर ए वीसा' जो संभवतः 1935-36 के बीच का आत्मकथानात्मक लेखन है। अनटचेबल एंड द चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज 1951 की जनगणना से संबंधित है।

एक स्मारक आंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके आवास 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। आंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न से सम्मानित किया गया है। कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है जैसे आंध्र प्रदेश में डॉ. आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद, डॉ. बी आर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय-मुजफ्फरपुर, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर है, जो पहले सोनगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। डॉ. आंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में लगाया गया है।

मुंबई में उनके स्मारक पर हर साल लगभग पाँच लाख लोग उनकी वर्षगांठ (14 अप्रैल) पुण्यतिथि (6 दिसम्बर) और धम्म चक्र परिवर्तन दिन 14 अक्टूबर नागपुर में, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनके नाम पर सैकड़ों पुस्कालय स्थापित हो गए हैं और प्रति वर्ष लाखों रूपये की पुस्तकें बेची जाती हैं। अपने अनुयायियों को उनका संदेश था! शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।

डॉ. आंबेडकर ने 19 दिसंबर, 1949 को हिन्दू कोड बिल पर संसद में अपना व्यक्तव्य प्रधानमंत्री के सामने रखते हुए कहा, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सदन यह न माने कि हिन्दू कोड बिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते, हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति हमारा नजरिया दर्शाता है। हमें राजनीतिक आजादी और स्वतंत्रता मिली है, यह हमारी यात्रा में एक कदम है और आगे के कदमों में आर्थिक, सामाजिक एवं समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे।

भारत के धर्म में तीन परिवर्तन हुए हैं। वैदिक धर्म, जिसने समय के साथ ब्राम्हवाद एवं तदुपरांत हिन्दू धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। ब्राम्हवाद के दौरान ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म ने ब्राम्हवाद द्वारा प्रारंभ की गई असमानता, अधिकार एवं विभिन्न वर्गों में समाज के विखंडन का विरोध किया।... मैं यह कहुँगा कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि फ्रांसीसी क्रांति। बौद्ध धर्म के पदार्पण के पूर्व यह सोचना तक असंभव था कि किसी शूद्र को कभी राजगद्दी प्राप्त होगी। भारत के इतिहास से यह तथ्य उजागर होता है कि बौद्ध धर्म के उदय के बाद शूद्रों को राजगद्दी प्राप्त करते हुए देखा गया। वस्तुतः बौद्धधर्म ने भारतीय समाज में लोकतंत्र की स्थापना एवं समाजवादी समाज रचना का मार्ग प्रशस्त किया।

मुझे ऐसा लगता है कि बहिष्कृत वर्गों का आंदोलन दो गंभीर कमियों से पीड़ित है। सर्वप्रथम, बहिष्कृत वर्गों की सार्वजनिक राय या उनका जनमत जैसी कोई चीज नहीं है और दूसरा, पूरे बहिष्कृत वर्ग द्वारा एक संयुक्त कार्यवाही करने का कोई साधन नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमारी शिकायतें बिना समाधान किए पड़ी रहती हैं, इसका वास्तविक कारण यह है कि हम युगों से गूँगे रहे हैं और हमने अपनी आवाज को अभिव्यक्ति करने कि परवाह नहीं की है।... यह उपयुक्त समय है कि बहिष्कृत वर्ग खुद को उद्वेलित करें, और एक अखिल भारतीय संगठन बनाएँ जो उनकी राय को आवाज देगा और संयुक्त कार्यवाही करने की उन्हें मशीनरी प्रदान करेगा। ... बहिष्कृत वर्गों को अपनी बुरी आदतों से अवश्य छूटकारा पाना चाहिए। उनके रहन सहन के बुरे तरीकों में अवश्य ही सम्मान और दोस्ती के काबिल बनना चाहिए। उन्हें अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। सिर्फ साक्षर होने से काम नहीं चलनेवाला है। उनमें से कईयों को शिक्षा के क्षेत्र में महान ऊँचाईयाँ हासिल करनी चाहिए, ताकि उनके साथ-साथ पूरा समुदाय भी ऊपर उठे। उनकी दयनीय संतुष्टि को भंग करने की अत्यधिक जरूरत है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का बचपन

अशोक उबाले
सरचिटणीस एडीएल
एससी/एसटी के एस

भीम अभी छह वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनकी माँ का देहान्त हो गया। वे अपने पीछे तीन पुत्र व दो पुत्रियाँ छोड़ गई थीं। शेष संताने जिंदा नहीं रही थीं उनमें बलराम सबसे बड़ा पुत्र था, आनंदराव दूसरा पुत्र और मंजुला व तुलसी दो बहने थीं। भीम उन सबमें छोटे थे। उनकी बहनों की शादी हो गई थी। वे अपने भाइयों को बारी-बारी से देखती रहती थीं। साथ ही, रामजी सकपाल की बहन मीराबाई परिवार की देखभाल किया करती थीं। वे प्रतिभासंपन्न, स्फूर्त और प्रभावशाली स्त्री थीं। उनमें भीम को माँ जैसा दुलार मिला था। उन्हें संसार के व्यवहारिक ज्ञान का अत्यंत गहन अनुभव था। भीम सबसे छोटे होने के कारण परिवार में सबसे अधिक प्यारे थे।

परिवार का वातावरण भक्तिपूर्ण था। सुबह व संध्या को उनके पिता ईश्वर की अर्चना करते थे, जिसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य भाग लेता था। भीम पर उस सबका गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होने अपने पिता से रामायण और महाभारत सुनी व समझी थी। सातारा में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करते-करते भीम ने अन्य विषयों के बारे में भी ख़ासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे पढ़ने में होशियार थे। फलतः उनको हाईस्कूल में प्रवेश दिला दिया गया। वे अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जाते और लौटते थे।

डॉ. आंबेडकर को न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे के एक सौ एकवें जन्मदिवस पर "द दक्खन सभा" ने आमंत्रित किया था। इससे पहले वे रानाडे के संपर्क में कभी आए नहीं थे और न उनसे उनका व्यक्तिगत परिचय कभी रहा था। ऐसी स्थिति में उनके संबंध में कुछ कहना उनको समीचीन नहीं अनुभव हो रहा था। इस तथ्य को उन्होंने सभा पर अभिव्यक्त कर दिया था और तद्विषयक भाषण में भी इस तथ्य का उल्लेख करते हुए रानाडे से संबंधित दो घटनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने रानाडे को कभी देखा भी नहीं था। प्रथम घटना तब की है जब वे फ़र्स्ट स्टैन्डर्ड में सतारा हाईस्कूल में पढ़ते थे। 16 जनवरी, 1901 को स्कूल की छुट्टी हुई थी। उन्होंने भी दूसरे छात्रों के साथ भरपूर आनंद लिया था। छात्रों का रानाडे से क्या लेना-देना ! उनका उद्देश्य तो छुट्टी से लाभ उठाना रहता है। उस समय उनके पास संक्षिप्त सा उत्तर यही था कि रानाडे की मृत्यु के कारण आज स्कूल की छुट्टी कर दी गई। कौन रानाडे? वे नहीं जानते थे। तब उनकी अवस्था नौ वर्ष की थी। रानाडे ने क्या किया? क्यों उनके लिए स्कूल की छुट्टी कर दी गई? उन्हें कुछ नहीं मालूम था और न कुछ मालूम करने की उनमें उत्सुकता थी। उन्होंने लिखा है कि लाइक अदर ब्वाएज़ आई वाज़ हैप्पी ओवर द होलीडे एंड आई डिड नॉट केअर टु नो हू डाइड। दूसरी घटना तब की है जब वे पुराने कागजों का अध्ययन कर रहे थे। जो कि उनके पिता जी से संबंधित थे। उनमें उन्होंने उस पिटीशन को पाया था, जिसका संबंध तत्कालीन सरकार द्वारा महार जाति को सैनिक सेवा से वंचित करके के विरूद्ध की गई अपील से था-सन् 1892 में। उनको मालूम हुआ कि उस पिटीशन का म. जमून (ड्राफ़्ट) रानाडे द्वारा तैयार करवाया गया था। उनके जीवन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने भाषण में इतिहास पर विभिन्न दृष्टियों का उल्लेख करते हुए (ओगस्टीन थ्योरी, बुकल तथा कार्ल मार्क्स के दृष्टीकोण के अभाव का ज़िक्र किया था।) कहा था कि इन तीनों में से किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि "दैट हिस्ट्री इज़ द बायोग्राफ़ी ऑफ ग्रेट मैन।" उन्होंने तीनों इतिहासकारों के दृष्टीकोण को अर्ध्दसत्य बताया और कहा कि यह कहना अनुपयुक्त है कि "इम्पर्सनल फ़ोर्सेज आर एवीरथिंग एंड द मैन इज़ नो फ़ैक्टर इन द मेकिंग ऑफ़ हिस्ट्री।" इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी प्रारंभिक ज़िंदगी पूर्वग्रह से विमुक्त थी। उन्होंने सत्य का किसी स्तर पर विरोध नहीं किया और सदा चिंतन के प्रति मानवतावादी दृष्टीकोण से संयुक्त रहे।

हाईस्कूल में प्रवेश के साथ ही उनके साथ नए-नए अनुभवों का सिलसिला जुड़ने लगा। उनके अंतर्मन को अछूत शब्द की पीड़ा कचोटने लगी थी।

उसी समय एक घटना घटी।

गर्मियों के दिन थे। एक दिन वह अपने बड़े भाई व छोटे से भतीजे के साथ पिता से मिलने के इरादे से गोरेगाँव के लिए चल पड़े। उनके पिता वहाँ ख़ज़ांची थे। वे पड़ोली रेलवे स्टेशन से मंसारे पहुँचे। वहाँ उतरने पर उन्होने देखा कि उनके पिता उन्हें लेने नहीं आए हैं। काफ़ी देर तक वे इंतज़ार करते रहे। अंत में वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपनी परेशानी स्टेशन मास्टर से बताई स्टेशन मास्टर ने उनके लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करा दिया। गाड़ीवान सवर्ण हिंदू था। ईश्वर से डरता था। उसने उन अछूत बच्चों को, जो अच्छे कपड़े पहने हुए थे और देखने में अच्छे लगते थे, यह पता चलने पर कि वे अछूत हैं, गाड़ी से नीचे उतार दिया।

उन्होंने गाड़ीवान को दुगुना किराया तक देना चाहा। गाड़ीवान ने नाराज़गी से उनके प्रस्ताव को रद्द कर दिया। भूखे-प्यासे अर्द्धरात्रि तक पैदल चलकर उनको अपने पिता तक पहुँचना पड़ा। रास्ते में प्यास लगी तो किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। उलटे दुत्कार दिया। तब उनकी समझ में आया कि वे जिस परिवार से संबंध रखते हैं, वह अछूत है और घृणित समझा जाता है। तभी एक घटना और घटी। नाई ने उनके बाल काटने से इनकार कर दिया। उनकी बहन ने उनके बाल काटे।

एक बार भीम को ज़ोर की प्यास लगी और उन्होंने कुएँ से पानी पी लिया। कुछ व्यक्तियों को पता चला तो उन्होंने भीम की बड़ी निर्दयता से पिटाई की। वह देर तक रोते रहे। रोने के अलावा वह बालक कर भी क्या सकता था।

एक दूसरे दिन की बात है। भीम स्कूल जा रहे थे।

उस दिन उनके साथ बड़ा भाई नहीं था। आसमान में बदलियों का जाल बिछने लगा था। लेकिन तुरंत वर्षा होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए उनको स्कूल जाने दिया गया। अभी वह घर और स्कूल के बीच में ही पहुँचे थे कि बादल गरजकर बरसने लगे। वर्षा को तेज़ होते देख बालक भीम ने पास के एक मकान की दीवार के साथ खड़े होकर वर्षा से बचना चाहा। उस मकान की महिला इस कार्य को देख रही थी। वह जानती थी कि वह लड़का अछूत है। अब क्या था, वह औरत बुरी तरह से उस लड़के पर नाराज़ हुई और उसे बरसते हुए पानी में ढकेल दिया। वह गीली मिट्टी में जा पड़ा। उसकी किताबें और कॉपियाँ भी पानी व मिट्टी में जा पड़ी। उसकी किताबें और कॉंपियाँ भी पानी व मिट्टी से सन गईं।

उसे स्कूल के वातावरण में भी महसूस हुआ था कि वह हिकारत की दृष्टी से देखा जाता है। न तो वह दूसरे छात्रों के साथ कक्षा में बैठ सकता है और न उसके साथ घुल-मिल सकता है। आख़िर क्या वजह है जो उसके साथी उससे परहेज़ करते हैं? है तो वह भी उन जैसा। बहुतों से तो वह पढ़ाई में तेज़ भी है। साफ़-सुथरा भी रहता है। फिर क्या बात है और क्यों लड़के उससे कन्नी काटते हैं? उसे मालूम हुआ कि जाति के कारण उससे परहेज़ किया जाता है! वह सोचने लगा कि जाति क्या इनसान से बड़ी हैं? निरंतर उपेक्षा का वह शिकार क्यों? इनसान का सम्मान जाति से क्यों? जाति इनसान के लिए है अथवा इनसान जाति के लिए? जाति की बलिवेदी पर इनसान को क्रुस पर लटकाया जाता है। इस जलालत भरी ज़िंदगी की साजिश किसकी वजह से है? मात्र जाति की वजह से वह उपेक्षित है।

उसमें समंदर की उत्ताल तरंगों से निर्बाध विचार उठते ही रहते। मन को शांति नहीं मिलती। कोई रास्ता नहीं सूझता। जन्मते ही इनसान के गले में यह कैसा फंदा डाल दिया गया है कि वह चाहे जितनी कोशिश करे, परंतु उस फंदे से बचकर नहीं रह सकता! किसने डाला और क्यों डाला?

धर्म पर आकर वह रूक जाता। धर्म क्या है? इनसान-इनसान के बीच में नफ़रत फैलाना? किससे भेदभाव की दीवार खड़ी करना? आख़िर उससे कौनसा अपराध बन पड़ा है, जिससे उसे अपने साथियों की तीखी उपेक्षा का पात्र बनना पड़ रहा है? वे उसकी परछाई से भी दूर भागते हैं।

उसकी कुछ समझ में नहीं आता। वह किसी से इस संबंध में पूछ भी नहीं पाता। क्या पुछे? किससे पुछें? कौन जवाब देगा? वह जो अनुभव कर रहा है उसके लिए जवाबदेही वह किससे करे? समाज अर्थात् मनुष्य की बेतरतीब भीड़ सी उनको चारों ओर से घेरे है। उससे वह बच नहीं सकता। उसे लगता कि वह चारों ओर से बेहतर घिर चुका है और अपने को उच्च जाति का समझने वाले अहमक चील-कौओं के समान उसकी देह और उसके मन पर टूट पड़े हैं। वह ख़ामोश अपने को, अपनी पीड़ा को और बेबसी को अपने में जज़्ब किए उनके सामने समर्पित होकर खड़ा है। ओह, विवशता की मौत कितनी भयावह और जघन्य तापदायक है।

पुण्यात्माओं के धर्म से बँधा वह निरीह बालक सशंकित दृष्टी से कभी अपने को और कभी अपने साथियों को घूरता रह जाता। उसे लगता कि सहस्त्रों विद्रूपमयी खौफ़नाक आँखें उस पर गिद्धदृष्टी गड़ाए हुए हैं- मानो वह क़ैदी हो। हिंदू धर्म में जन्म लेना ही उसका ख़तरनाक अपराध हो।

अपने साथियों से दूर अपने बालकपन को लिए चुपचाप एकांत पीता रहता। मानो उसके सारे चापल्स और सहजता पर धर्मरूपी सर्प कुंडली मारे बैठा हो। कभी-कभी उसे अपने से गहरी नफरत होने लगती और वह उदास ढलते सूरज को भीष्म पितामह की नई शर-शैया पर पड़ा अपलक देखता ही रह जाता। फुनगियों पर वृद्ध सूरज हारे-थके पाँव पटकता हुआ गुमसुम लौटने लगता। उसे उसमें अपनी परछाई विलुप्त होती हुई दृष्टिगोचर होती और वह घबराकर कक्षा की ओर मुड़ जाता।

बालक भीम का अंतश्चेतन पर इन घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। बेइज़्जती के दर्द और अछूत वर्ग की दयनीय स्थिति को समझते हुए वह यह निश्चय कर सका कि वह उसके दूषित प्रभाव को दूर करेगा और भेदभाव रहित मानव समाज बनाएगा।

महार जाति के खून में ही वीरता थी। वे दृढ़संकल्पी होते थे। बालक भीम ने संकल्प लिया था। दूसरी वह घनघोर वर्षा में भी स्कूल गया था। उसने प्रश्न किया था कि वह इस भारी वर्षा में कैसे स्कूल जा सकेगा? क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसके नन्हें से दिमाग में पूर्व वर्षा वाली घटना अभी ताज़ा थी। वह उसी वर्षा में स्कूल गया।

भीम सामने के संकटों से कभी घबराया नहीं। वह अच्छी तरह से संकटों का मुकाबला करना जानता था। उसे तो इन विपरीत घटनाओं के दुष्प्रभाव से नैतिक बल मिला और अनागत के लिए निश्चय करने में सहायता मिली। वह निराश नहीं हुआ। उसने उसे चुनौती के रूप में लिया।

अपने साथी की चुनौती स्वीकार करते हुए वह तेज़ वर्षा में स्कूल पहुँचा था। उसके कपड़े पूर्णरूप से भीग चुके थे। उनके कक्षाध्यापक पेंडसे जो जाति से ब्राम्हण थे, उनकी दृष्टी पड़ी और वह उसे अपने निवास पर ले आए। घर जाकर उन्होंने उसके भीगे कपड़े उतरवा दिए। पहनने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा दिया। वह उसी से खुश हो लिया। उसके लिए इतना ही पर्याप्त था। परंतु पुनः जब वह उस कपड़े को लपेटे हुए कक्षा में आया तो उसकी सारी खुशी काफ़ूर हो गई। वह अर्ध्दनग्न स्थिति में अपने साथियों के उपहास का पात्र बना हुआ था। वह विवश था। परंतु उसे अपनी यह विवशता बुरी तरह से चुभ रही थी।

एक दूसरे ब्राम्हण शिक्षक थे। उनका उपनाम आंबेडकर था। वह अत्यंत उदार, मानवता-प्रेमी और सहदय थे। वह भीम को बहुत चाहते थे और बिना नागा उसे दोपहर की छुट्टी में चावल, रोटी और सब्जी दिया करते थे।

महाराष्ट्र में पुरखों के गाँव का नाम प्रायः लोग उपनाम के रूप में 'कर' लगाकर प्रयोग करते हैं। भीम का उपनाम उनके जन्म गाँव (Native village) अम्बावडे (Ambavade) से जुड़कर 'अम्बावडेकर' हुआ था। भीम के पिता का उपनाम सकपाल था। उस शिक्षक को अम्बावडेकर कुछ जँचा नहीं, क्योंकि उसके उच्चारण में असुविधा

थी। उस कारण उस ब्राम्हण शिक्षक ने भीम का उपनाम अम्बावडेकर से आंबेडकर करवा दिया और स्कूल-रिकॉर्ड में भी ठीक करवा दिया। इसका भीम के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

इन्हीं दिनों भीम के पिता के मन में गहरा अंतर्द्वद्व चल रहा था। यद्यपि अपनी पत्नी के देहावसान के बाद उन्होंने दूसरी शादी न करने का निश्चय किया था तथापि वे अपने निश्चय पर अटल नहीं रह सके और उन्होंने दूसरी शादी कर ली।

बालक भीम के मन पर इस हादसे का गहरा प्रभाव पड़ा था। वह अपनी माँ के स्थान पर किसी दूसरी औरत को स्वीकार करने की स्थिति में अपने को नहीं ला पाए। वह अपनी सौतेली माँ को गहने पहनते देखकर क्रोध से भर जाते थे। निस्संदेह उनके मन में अपनी दूसरी माँ के प्रति घृणा थी, जिसे वह चाहकर भी दूर नहीं कर सके।

भीम के मन में इस अप्रिय तथा अचरज भरी घटना को लेकर जो अंतर्द्वद्व चल रहा था. उसी का यह परिणाम हुआ कि उनको यह निश्चय करना पड़ा कि भविष्य में वे स्वतंत्रजीवी होकर जीवनयापन करेंगे। अर्थात वह स्वावलंबी जीवन के प्रति कृतसंकल्प हो चुके थे। वे अब से अपने पिता पर निर्भर नहीं रहेंगे। तभी उन्होंने अपनी बहन से सुना था कि एक पास के लड़के ने सातारा में एक मिल में नौकरी पा ली है। अब उनके मन में भी बंबई जाने की योजना तेज़ी से ज़ोर पकड़ने लगी। उनके मनोमस्तिष्क पर मिल का आकर्षण और स्वतंत्रजीवी जीवन का उन्माद छाने लगा।

अब उनके सामने सवाल यह था कि बंबई जाएँ तो कैसे? पैसे कहाँ से आए? उन्होंने पैसों के लिए अपनी प्रिय 'आंटी' के पर्स को चुराने की योजना बनाई, परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और तीन रातें बेकार चली गईं। चौथी रात उनको पर्स चुराने में सफलता मिल गई। पर उससे क्या हुआ? पर्स में मात्र आधा आना (तीन पैसे) मिला, जिससे वे बंबई नहीं जा सकते थे। उनको अपनी इस करतूत पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने इस प्रकार से धन एकत्र करने के नापाक इरादे को दिमाग से निकाल दिया। उनमें प्रारंभ से ही आत्म-निरीक्षण तथा आत्म-विश्लेषण की शक्ति अधिक थी। वे निरंतर सत्याभिमुख होते गए। घटनाएँ उनमें तत्वों का अवगुंठन उठाती गई।

यह भीम के जीवन के लिए एक सशक्त मोड़ सिद्ध हुआ। उन्होंने भागने की प्रवृत्ति को तिलांजलि देकर यह संकल्प किया कि वह आगे से पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही उन्होंने उन तमाम आदतों व कार्यों को पूरी तरह से छोड़ दिया, जिनसे वह अपनी पढ़ाई के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं कर सकते थे। उनके वे अध्यापक, जो शुरू में उनसे लगभग असंतुष्ट थे, उनमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर उनके पिता से कहने लगे कि उसे अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएँ, क्योंकि उनका लड़का होनहार सिद्ध होगा।

भीम में पुस्तकों की प्यास तेज़ी से शुरू हुई। वे नई से नई पुस्तक पढ़ने के लिए सदैव उत्सुक रहने लगे। उन्होंने महान् विभूतियों के जीवन से जाना कि वे पाठ्य-पुस्तकों के अलावा अनेक पुस्तकें पढ़ा करते थे। उनके पिता जी भी चाहते थे कि भीम स्कॉलर सिद्ध हो। वे उनकी पुस्तकों के शौक को पूरा करने के लिए उधार रुपया लेने से भी नहीं हिचकिचाए। यहाँ तक कि गहने बेचने व रेहन रखने के लिए भी वे सदैव तैयार रहे।

भीम की अध्ययन के प्रति गहरी रुचि देखते हुए उनके पिता ने उन्हें बंबई के प्रसिद्ध स्कूल एल्फिन्स्टन हाईस्कूल में प्रवेश दिला दिया। भीम कड़ी मेहनत करने लगे। लेकिन उन्हें जहाँ मकान मिला था, वह जगह गरीबों की बस्ती थी। उनको एक कमरे का मकान मिला था। वही रसोईघर, शयन-कक्ष और अध्ययन-कक्ष था। उसमें दो व्यक्तियों के लिए भी ढंग से सोने की जगह नहीं थी। उस कमरे में चारों ओर गृहस्थी का सामान भरा हुआ था। पूरा परिवार उसमें कैसे रह सकता है, यह सोचा भी नहीं जा सकता था। उस वातावरण में पढ़ना निस्संदेह पढ़ाई का उपहास करने जैसा लगता था।

भीम के पिता जी ने उसके लिए भी रास्ता निकाल लिया। उन्होंने अपने पुत्र के बीच एक समझौता किया कि उनका पुत्र जल्दी सो जाया करे। वे उसे दो बजे जगा दिया करेंगे। फिर उनकी छुट्टी और भीम दिन उगने तक अध्ययन करता रहेगा। भीम रात के दो बजे पढ़ने के लिए बैठने लगे। वह बिना चिमनी वाले केरोसिन ऑयल-लैंप की मद्धिम रोशनी में पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास प्रकाश का अकेला यही साधन था। उस पीलिया-से प्रकाश में उनका अध्ययनरत रहना उनके संकल्प की दृढ़ता का द्योतक है।

न केवल भीम के मन पर अध्ययन के लिए स्थान व समय निकालने का तनाव ही था, अपितुं उनके मन पर स्कूल के वातावरण सें भी गहरा तनाव था। यद्यपि वह स्कूल सरकारी था तथापि वहाँ भी जातीय विरोधाभास स्पष्ट लक्षित हो रहा था। भीम को अपने साथियों के उपहास तथा उपेक्षापूर्ण शब्दों को सुनना पड़ता था। उनमें अपूर्व सहनशक्ति थी। इसे विवशता भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त उनके सामने कोई चारा नहीं था। वह अपने साथियों की बात का बुरा नहीं मानते थे। वहाँ एक दिन उनके साथ एक अजीब घटना घटी। अध्यापक ने उनको ब्लैक बोर्ड पर एक 'एग्जांपल' हल करने के लिए पुकार लिया। इससे सवर्ण जाति के छात्रों में हलचल मच गई, क्योंकि वे 'टिफिन बॉक्सेज़' ब्लैक बोर्ड के पीछे रखते थे। भीम के ब्लैक बोर्ड छूने से उन लोगों के "टिफिन बॉक्सेज़" हो अपवित्र जाते, अतः उन्होंने भीम के ब्लैक बोर्ड तक पहुँचने से पूर्व ही अपने टिफिन वहाँ से हटा लिए। भीम को इस घटना ने पुनः झकझोर दिया। ऐसा क्यों हुआ? विद्यालय समाज के निर्माण की भावी संस्था है।

भीम जैसे अध्ययनशील तथा प्रतिभासंपन्न बालक के लिए स्कूली जीवन अनेक दुविधाओं व समस्याओं से संयुक्त रहा। परंतु उससे उनकी विकास-यात्रा पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। उनका मकान 'लेबर कॉलोनी' में था अतः वे नजदीक से मज़दूर-जीवन का अध्ययन कर सके और उनकी समस्याओं पर सोच सके।

नोटः समकालीन साहित्य समाचार पत्रिका से साभार लिया गया है।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में भाषण

गौतम घोड़ेराव -
अध्यक्ष एमडीएल सहकारी सोसायटी

अध्यक्षजी,

मैं आपका इस अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के वार्षिक सत्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित करने पर बहुत आभारी हूँ। मैं अनुसूचित जाति की इस बड़ी सभा को देखकर प्रसन्न हूँ। इतने कम समय में फेडरेशन की यह उन्नति बहुत बड़ी है। अनुसूचित जाति के लोगों ने पूरे भारत के फेडरेशन को अपना प्रतिनिधित्व देनेवाला संगठन बनाना निश्चित किया है। इस छोटे समय में फेडरेशन की उन्नति को पूरी तरह से समझने के लिए इस संगठन के रास्ते में आई हुई कठिनाईयों का ध्यान रखना चाहिए।

अन्य राजनीतिक संगठनों के कुछ लोग हमारे लोगों को झूठे प्रलोभन, झूठे वादे और झूठे कार्यक्रमों द्वारा गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे लोग अनजान हैं और वर्तमान समय की कठिनाईयों को नहीं समझते हैं। हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है, हमारे पास धन नहीं है और न ही कोई समाचार-पत्र। हमारे लोगों पर होनेवाले अत्याचार और दमन, जो पूरे भारत में होता है, उसको कभी भी समाचार-पत्रों में जगह नहीं मिलती। हमारे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचारों को नियमित तरीके से एक षडयंत्र के तहत प्रेस द्वारा दबाया जाता है। हमारे पास धन नहीं है, जिससे अपने लोगों को शिक्षित कर सकें या मदद कर सकें और उन्हें संगठित कर सकें।

ये कमजोरियाँ हैं, जिनके साथ हमें चलना है। इनके बावजूद फेडरेशन ने इतनी प्रगति की है, यह केवल हमारे लोगों के लगातार और बिना किसी स्वार्थ के संगठन को ऊपर ले जाने के लिए किए गए कार्यों के कारण है। साधारणत: इस तरह की सभा में मैं अनुसूचित जाति के किसी एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या पर बोलता। लेकिन मैं किसी एक विषय पर सीमित न रहकर कुछ सामान्य बातें करूँगा। जैसे कि भारत के आनेवाले संविधान के गठन और रूपरेखा के बारे में बात करूँगा।

अनुसूचित जाति को अक्सर स्वार्थी और केवल अपने हितों के बारे में सोचनेवाला समझा जाता है। उन्हें देश की राजनीतिक समस्या के बारे में कोई उपयोगी सुझाव देनेवाला नहीं माना जाता। यह बात सही नहीं है और केवल अछूत लोग नहीं बल्कि भारत में अधिकतर लोग कोई उपयोगी सुझाव नहीं देते। इसका कारण यह नहीं कि उनसे पास रचनात्मक सुझावों की कमी है, बल्कि लोगों में यह धारणा है कि उनके सुझावों का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये कांग्रेस से नहीं आए हैं। यही कारण है कि देश में रचनात्मक सुझाव नहीं आ रहे हैं।

मैं मानता हूँ कि अनुसूचित जाति के खिलाफ इस तरह की बात का जवाब अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा कुछ रचनात्मक सुझाव देकर किया जाना चाहिए, जिससे देश में राजनीतिक सुधार हो। यह दूसरा कारण है कि जिस वजह से मैंने एक सामान्य विषय चुना है।

संविधान बनाने की जिम्मेदारी

इससे पहले कि मैं संविधान के बारे में निश्चित सुझाव बताऊँ, मैं दो प्राथमिक बातें कहना चाहता हूँ। पहला कि भारत का संविधान किसे बनाना चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग ब्रिटिश सरकार से गतिरोध समाप्त करने और संविधान बनाने की आशा रखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बना संविधान, जो भारतीयों पर लागू किया गया, पिछले दिनों तक ठीक था पर अब यह भारतीयों की आशा के अनुसार नहीं चल पाएगा।

पिछले संविधान एवं आने वाले संविधान में बुनियादी अंतर है और इसे हमें समझना चाहिए। पिछले संविधान में एक ब्रेकडाउन धारा थी जो अब नहीं रह सकती। यह ब्रेकडाउन धारा, जो अब गवर्नमेंट ऑफ

इंडिया एक्ट, 1935 की धारा 93 में है, बहुत बदनाम है। इस बात को समझने के लिए किसी संप्रदाय की राजनीतिक जीवन की दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात कि कानून और व्यवस्था एक दवा की तरह है और राजनीतिक वातारण खराब होने पर इस दवा को देना पड़ता है। इस दवा को न देना समाज और सभ्यता के खिलाफ अपराध होगा। दूसरी बात, कि किसी भी सरकार को प्रदान किया गया शासन का अधिकार नहीं है पर एक सरकार का होना आवश्यक है। ब्रेकडाउन धारा से इन दो बातों को पूरा करते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे देश को अराजकता से बचा सकते हैं। जब कोई सरकार असफल हो, तो इस धारा के द्वारा शासन बनाए रखते हैं।

पिछले दिनों एक संवैधानिक सरकार और इस धारा के अंतर्गत एक कामचलाऊ सरकार को बनाया गया था। इस धारा के अंतर्गत संवैधानिक सरकार के असफल होने पर ब्रिटिश सरकार अपना शासन चला सकती थी। आनेवाले संविधान में अब यह धारा आवश्यक नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार को शासन का अब किसी भी हालत में कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

इसका अर्थ यह है कि यदि भारत को उपनिवेश बनाते हैं, तो ब्रेकडाउन धारा की संभावना नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान ऐसा होना चाहिए जिसे सभी पालन करें, आदर दें। इसके अलावा देश की राष्ट्रीय धारा के सभी लोगों को इसका समर्थन भी करना होगा। यह तभी होगा, जब संविधान भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा और स्वैच्छिक रूप से बनाया जाए।

यदि संविधान ब्रिटिश सरकार थोपती है और इसे किसी वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तब संविधान के खिलाफ एक वर्ग हो जाएगा, जो इसे काम नहीं करने देगा। बल्कि इसे समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस वर्ग की यही एक कार्यप्रणाली होगी और यह संविधान के खिलाफ काम करेगा।

ब्रिटिश को संविधान बनाकर उसे लागू करने के समय चले जाना, यह एक बेकार का काम होगा। इसी तरह यदि संविधान किसी एक ताकतवर वर्ग के द्वारा बनाकर दूसरे वर्ग पर थोपा जाता है तो यही नतीजा होगा। अतः यदि भारतवाले एक स्वतंत्र उपनिवेश चाहते हैं, तो उन्हें अपना संविधान बनाना ही पड़ेगा।

संविधान सभा

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या एक संविधान सभा बनाकर उसे संविधान बनाने का काम सौंपा जाए? कांग्रेस सहित सभी लोग यह चाहते हैं, कि कांग्रेस के शासनवाले लोग त्यागपत्र देने के पहले एक संविधान सभा बनाएँ। संविधान सभा बनाना क्रिप्स के प्रस्ताव में शामिल था और इसे सप्रू कमिटी ने भी माना है।

मैं स्पष्ट करता हूँ कि मैं संविधान सभा के प्रस्ताव के पूरी तरह खिलाफ हूँ। मैं इसे बेकार का खतरनाक कार्य मानता हूँ जो देश को एक सिविल वार की तरफ ले जाएगा। भारतीय उस हालत में नहीं है, जैसे अमेरिका में संविधान बनाने के लिए अमेरिकी संविधान के जनक थे। उन लोगों को एक स्वतंत्र जनता के लिए संविधान बनाना था, जिनके पास पहले कोई संविधान न था। भारत में संविधान का विचार पहले से ही है और बहुत कम बदलाव की संभावना है। यह माना गया है कि भविष्य का भारतीय संविधान फेडरल होना चाहिए। यह भी लगभग तय है कि किन विषयों को केंद्र में होना चाहिए और किनको राज्यों में। इसी तरह आमदनी के बँटवारे पर भी केंद्र और राज्यों का झगड़ा नहीं है। सिर्फ एक बात जो तय करनी है, वह है कि बची हुई शक्तियाँ क्या केंद्र के पास या राज्यों के पास रहनी चाहिए? यह एक बड़ा मसला नहीं है और वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे नए संविधान को जन्म देने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता नहीं लगती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में भारतीय संविधान के बारे में इतना लिखा गया है कि उन्हें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र उपनिवेश बनाते समय केवल कुछ धाराओं को छोड़ देना होगा.

संविधान सभा के लिए केवल एक काम छोड़ा जा सकता है और वह है सांप्रदायिक समस्या का हल निकालना। पर संविधानसभा के सामने यह सांप्रदायिक सवाल नहीं रखना चाहिए। सप्रू कमेटी ने इस सभा के लिए 160 सदस्य का सुझाव दिया था, जिनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातीय प्रतिनिधित्व के आधार पर संयुक्त रूप से और तीन चौथाई सदस्य, जो उपस्थित हों और वोट करें, उनके द्वारा होना चाहिए। पर क्या ऐसी संविधानसभा को अल्पसंख्यक सही मानेंगे और इसकी निष्पक्षता में अपना विश्वास रखेंगे?

इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए दो और प्रश्नों को देखना होगा। पहला कि क्या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि जो विधानसभा में हैं, सही मायने में उनके प्रतिनिधि हैं? दूसरा क्या विधानसभा के निर्णय जो किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हों, उन्हें दूसरे पर लागू करना ठीक होगा? इन दोनों प्रश्नों पर मेरे अनुसार सोचने की आवश्यकता है।

अब मैं क्रिप्स द्वारा सुझाई संविधान सभा और सप्रू द्वारा सुझाई संविधान सभा में अंतर के बारे में बताऊँगा। यह निम्न है :-

1. सप्रू कमेटी ने इसके सदस्यों की संख्या 160 बताई है, जबकि क्रिप्स ने कोई संख्या तय नहीं की और कहा कि राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के 10 प्रतिशत को संविधानसभा में होना चाहिए। इस तरह से इसकी सदस्य संख्या 158 होती है, और केवल दो का अंतर रह जाता है।
२. सप्रू कमेटी और क्रिप्स दोनों ने ही संविधानसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातीय प्रतिनिधित्व के आधार पर कहा है और दोनों में कोई अंतर नहीं है।
३. क्रिप्स के अनुसार कोई सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण नहीं है, इसके विपरीत सप्रू के अनुसार सांप्रदायिक आधार पर विभिन्न समुदायों में आरक्षण सुझाया गया है। क्रिप्स ने यद्यपि संख्या आधारित आरक्षण नहीं बताया पर अनुपातीय प्रतिनिधित्व की स्कीम में ऐसा आरक्षण अपने आप आ जाता।

सप्रू कमेटी ने हर संप्रदाय के लिए संविधान सभा में संख्य तय की है और मुस्लिमों को हिंदू के बराबरी पर रखा है, इसके पक्ष में यह तर्क है कि संयुक्त मतदाताओं द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया जाए। ऐसा करने में यह कमेटी क्रिप्स प्रस्ताव से बिलकुल अलग है। क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त मतदाता पहले ही माना गया है, क्योंकि क्रिप्स ने प्रस्ताव दिया है, "प्रांतीय विधानसभा के लोअर हाउस

के सदस्यों को एक अकेला इलेक्टोरल कॉलेज माना जाए।" यह संयुक्त मतदाता को एक-दूसरे तरीके से कहा गया है। ऐसा करने से अन्य संप्रदायों को नुकसान की हालत में रखा गया है।

क्रिप्स प्रस्ताव में विधानसभा का निर्णय उपस्थित और वोट करनेवाले सदस्यों के बहुमत पर होना था जबकि सप्रू प्रस्ताव में इसे तीन चौथाई बहुमत पर रखा गया है। अब मेरे पहले प्रश्न का उत्तर समझने के लिए प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को देखना होगा। क्या सप्रू प्रस्ताव में सांप्रदायिक आरक्षण जो क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं है, का कोई अर्थ है? यह एक संप्रदाय द्वारा दूसरे संप्रदाय के सदस्यों के चुनाव पर निर्भर करेगा। यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा। सीटों के अनुसार वोटिंग की शक्ति के लिए हिंदू, मुस्लिम तथा यूरोपियन वोटरों पर निर्भर होना होगा। इस स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है कि छोटे अल्पसंख्यकों को अधिक प्रतिनिधित्व की बात केवल एक धोखा है और यह अन्य लोगों पर निर्भर बना दिया गया है।

अब मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आता हूँ कि क्या सप्रू कमेटी द्वारा संविधान सभा का निर्णय एक सुरक्षित नियम है? क्रिप्स प्रस्ताव में बहुत को आधार बनाया गया है जो एक बेवकूफी का प्रस्ताव था, जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा है, जहाँ संविधान के बारे में निर्णय साधारण बहुमत से होता हो। सप्रू प्रस्ताव में इस बारे में थोड़ा सुधार दिखता है, पर मुझे नहीं लगता कि यह वास्तविक सुधार है। 160 सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत का अर्थ होगा कि कम-से-कम १२० सदस्यों का समर्थन मिले। यह 120 सदस्यों का समूह कैसा हो सकता है, यदि हिंदू एवं मुस्लिम मिल जाते हैं तो यह 102 हो जाएँगे और उन्हें केवल 18 अन्य का समर्थन चाहिए जो विशेष सीटों और अन्य सीटों से आसानी से मिल जाएगा। तब यह समूह अनुसूचित जाति, सिक्खों और भारतीय ईसाईयों पर अपना मत लाद पाएगा। इसी तरह यदि मुस्लिम अलग हो जाते हैं, तो कोई भी निर्णय उन पर गैर-मुस्लिमों द्वारा लादा गया निर्णय होगा। इस तरह यह एक-दूसरे पर निर्णय थोपने जैसी बात को सप्रू कमेटी ने ध्यान में नहीं रखा और इसमें सुरक्षा की बात नहीं लाई। सभी के हितों की सुरक्षा के लिए सप्रू कमेटी को करना चाहिए कि तीन चौथाई बहुमत में हर वर्ग के कम-से-कम 50 प्रतिशत लोग होंगे।

अमेरिका के संविधान बनाने की प्रकिया के अनुसार सप्रू कमेटी भी एक प्रावधान कर सकती थी कि विधानसभा के सांप्रदायिक प्रस्ताव को अल्पसंख्यकों के नेता इस संविधानसभा के बाहर भी अपनी स्वीकृति दें।

इसके अलावा भी कई अन्य बातें हैं और मैं एक बात विशेषतः कहना चाहूँगा, इतिहास में उदाहरण है कि स्कॉटलैंड की संसद् की सहमति लेने का प्रयास किया गया। पूरी संसद् को ही खरीद लिया गया। यही बात भारत की संविधान सभा के साथ ही हो सकती है और इसके सदस्यों के निर्णय को प्रभावी किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह संविधानसभा के साथ मजाक होगा और गृह युद्ध को जन्म दे सकता है। अतः मेरे विचार में संविधानसभा का प्रस्ताव खतरनाक है और इसके छोड़ देना चाहिए।

एक नए मार्ग की आवश्यकता

मेरे अनुसार यदि संविधानसभा का रास्ता नहीं है, तो फिर कौन सा मार्ग लेना चाहिए? मेरे अनुसार यदि सांप्रदायिक प्रश्न एक कठिन बात है, तो इसका नजर संविधान सभा नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न दुर्गम हो गया है, क्योंकि हमारा रास्ता गलत था। हम अपने रास्तों को गलत तरीकों से पूरा करना चाहते हैं, न कि सिद्धांतों के आधार पर। यदि एक तरीका असफल होता है, तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, और इसी कारण सांप्रदायिक समस्या एक न हल होनेवाली पहेली बन गई है। किसी भी सिद्धांत पर न होने के कारण हमें नहीं मालूम कि हमारा तरीका क्यों सफल रहा है और नया तरीका भी क्या सफल रहेगा?

इस संप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए जब भी कोई समुदाय ताकतवर होकर कुछ माँगता है, हम वह छूट दे देते हैं। हम किसी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उसके दावे को नहीं जाँचते या परखते हैं। परिणामस्वरूप माँगे बढ़ती जाती हैं और छूट का दायरा भी बढ़ जाता है। प्रारंभ में अल्पसंख्यकों के लिए अलग वोटिंग की माँग होती है, जिसे मान लिया जाता है। फिर एक संप्रदाय के लिए अलग वोटिंग की माँग होती है और बिना देखे कि यह अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक, इसे भी मान लिया जाता है। फिर एक माँग जनसंख्या आधारित अलग प्रतिनिधित्व की होती है, और उसे भी मान लिया जाता है। फिर प्रतिनिधित्व में वजन देने की माँग होती है, जिसे मान लेते हैं। फिर बहुसंख्यक लोग अलग वोटिंग की माँग करते हैं और कानून द्वारा अल्पसंख्यकों पर अधिकार लादते हैं। इसके मानने के बाद माँग होती है कि दूसरे संप्रदाय का बहुमत स्वीकार्य नहीं है और इस बहुत को बराबरी पर ले आना चाहिए। यह समुदायों को खुश रखने की प्रवृत्ति की नीति बहुत गलत है और इससे सीमारहित नई माँगें सामने आती हैं।

मैं यह कूटनीति चलाने वाले किसी समुदाय की बुराई नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि इससे लाभ होगा। वह समुदाय इस पर चलता है, क्योंकि हमारे पास सीमा तय करने वाले सिद्धांत नहीं हैं और अधिक माँग को भी आसानी से पूरा किया जाता रहा है। इसके विपरीत एक समुदाय, जो आर्थिक रूप से गरीब, सामाजिक स्तर में नीचे, शिक्षा में पिछड़ा हुआ एवं दबाया हुआ है और समाज द्वारा व सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसकी सुरक्षा की किसी को कोई चिंता नहीं है, न्याय तथा बराबरी की कोई गारंटी भी नहीं है, ऐसे समुदाय के लिए सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रभावशाली लोग सोचते हैं कि यह समुदाय राजनीतिक रूप से संगठित नहीं है तथा इसे बेवकूफ बनाया जा सकता है।

ये सारा भेदभाव सिद्धांत हीनता के कारण है और जो लोग सांप्रदायिक प्रश्न उठा रहे हैं उनकी दादागिरी पर निर्भर है। सिद्धांतहीनता के कारण जनता की आवाज का भी कोई असर नहीं होता है। जनता देखती है कि एक तरीका असफल होने पर दूसरा तरीका आजमाया जा रहा है और जनता की शक्ति को जिद्दी एवं जबरदस्ती करनेवाली पार्टी में ठीक समझ लाने की बजाय सांप्रदायिक प्रश्न की ओर लगा दिया जाता है।
मैं इसलिए सांप्रदायिक समस्या के समाधान हेतु दो बातें कहता हूँ:-

1. सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए कुछ सिद्धांत होने चाहिए और इनके अनुसार ही अंतिम हल निकाला जाना चाहिए।

2. जो भी सिद्धांत हो, उनको सभी लोगों पर बिना डर या भेदभाव के लागू करना चाहिए।

सांप्रदायिक समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव

कुछ प्रारंभिक बातों पर अपना मत देने के बाद मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। सांप्रदायिक समस्या से संबंधित तीन बातें हैं :-

1. विधानसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न
2. कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व और
3. सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व।

1. सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व

अंतिम प्रश्न को पहले लेते हुए कह सकते हैं कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा यह सिद्धांत मान लिया गया है कि हर समुदाय को सरकारी नौकरी में निश्चित अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और किसी एक समुदाय का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

भारत सरकार के सन् 1934 और सन् 1943 के प्रस्तावों में यह बात मानी गई है तथा इस संबंध में नियम भी बनाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि इन नियमों के विरूद्ध हुई नियुक्ति को अवैधानिक माना जाएगा। इस प्रशासकीय आदेशकों को कानूनी जामा पहनाने की आवश्कता है। इसके लिए भारत सरकार के कानून में एक अनुच्छेद जोड़ सकते हैं, जिसमें इन प्रस्तावों पर आधारित प्रावधान डाल सकते हैं और फिर इस बात को संविधान में भी ला सकते हैं।

२. कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व

इस प्रश्न से संबंधित तीन बातें :-

1. कार्यपालिका में कितना प्रतिनिधित्व हो,
2. कार्यपालिका का स्वभाव और
3. कार्यपालिका में जगह भरने के तरीके

पहले प्रश्न के लिए यह सिद्धांत होना चाहिए कि हिंदुओं, मुस्लिमों और अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व उनके विधानसभा में प्रतिनिधित्व के बराबर होना चाहिए। जहाँ तक अन्य अल्पसंख्यकों जैसे - सिक्ख, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन का संबंध है, उन्हें विधानसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व देना कठिन होगा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है यदि ऐसा किया जाता है तो कार्यपालिका को बहुत बड़े आकार का करना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए कैबिनेट में एक या दो सीट आरक्षित करने की परंपरा डालनी चाहिए, जिससे उन्हें संसदीय सचिव की सेना में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

कार्यपालिका की प्रकृति के बारे में मैं निम्न बातें रखूँगा-

1. भारत जैसे देश, जहाँ अनादि काल से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच अंतर रहा है तथा सांप्रदायिक भेदभाव की बातें रही हैं, कार्यपालिका को विधानसभा से अधिक कार्य करनाहोगा।
2. यह प्रणाली, जिसमें बहुमतवाली पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार इस कारण मिल जाता है कि उसे बहुमत का विश्वास है, भारतीय परिस्थिति में चलने लायक नहीं है। यहाँ पर मिलनेवाला बहुमत राजनीतिक बहुत न होकर सांप्रदायिक बहुमत होता है और इसलिए इंगलैंड में लागू यह बात भारत के हालातों पर नहीं लागू होती।
3. कार्यपालिका को बहुमतवाले दल की एक कमेटी नहीं होना चाहिए और इसे ऐसा होना चाहिए कि बहुमत एवं अल्पमत दोनों का ही विश्वास प्राप्त रहे।
4. कार्यपालिका को संसद् से अलग होना चाहिए और इसे विधानसभा के समय पूरा होने से पहले हटाना संभव नहीं होना चाहिए।
5. कार्यपालिका को इस अर्थ में संसदीय होना चाहिए कि इसके सदस्यों को विधानसभा से चुनकर आना चाहिए और इसे हाउस में बैठने, बोलने, वोट करने तथा प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार होना चाहिए।

जगह भरने के तरीके

इस बारे में मैं इन सिद्धांतों को लागू करना प्रस्तावित करता हूँ :-

1. प्रधानमंत्री, जो कार्यपालिका और सरकार का मुखिया होगा, उसे पूरे सदन का विश्वास मत हासिल होना चाहिए।
2. कैबिनेट में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को विधानसभा के उस समुदाय के सदस्यों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए।
3. कैबिनेट के किसी सदस्य को केवल भ्रष्टाचार या देशद्रोह के मामले में सदन द्वारा एक महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जाना चाहिए।

इन सिद्धांतों के अनुसार प्रधानमंत्री और बहुसंख्यक समुदाय के कैबिनेट सदस्यों को पूरे सदन द्वारा एक अकेला वोट डालकर चुना जाना चाहिए। इसी तरह विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को कैबिनेट में सदन के उस अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के एक मत द्वारा चुना जाना चाहिए।

3. विधायिकों में प्रतिनिधित्व

यह एक कठिन प्रश्न है और अन्य प्रश्नों के जवाब इस पर निर्भर हैं। हमें दो बातों पर विचार करना है - प्रतिनिधित्व की संख्या और मतदाताओं का व्यवहार।

प्रतिनिधित्व की संख्या के बारे में मेरा प्रस्ताव नीचे दी गई तालिकाओं पर आधारित है। इन तालिकाओं में विभिन्न समुदायों को ब्रिटिश इंडिया के केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रांतीय विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन तालिकाओं में जनसंख्या का प्रतिशत सेंसस में दी गई संख्या से मूल जनजाति की जनसंख्या को घटाकर किया गया है।

प्रस्तावों के पीछे के सिद्धांत

मैं अब इन सिद्धांतों को बताऊँगा जिनके आधार पर यह बँटवारा किया गया है। ये निम्नवत हैं:-

1. बहुमत का शासन की धारणा अन्यायपूर्ण तथा अनुचित है। एक बहुमतवाला समुदाय प्रतिनिधियों का बहुत रख सकता है पर इसे पूर्ण बहुमत नहीं माना जा सकता।
2. किसी बहुमतवाले समुदाय कई प्रतिनिधियों के बहुत में इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि ये छोटे अल्पसंख्यकों को साथ लेकर बहुमत बना सकें।
3. सीटों का बँटवारा ऐसा होना चाहिए कि बहुमतवाले सदस्य और बड़ा अल्पसंख्यक, दोनों मिलकर ऐसा बहुमत न बना सकें कि यह अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ हो जाए।

4. बँटवारा ऐसा होना चाहिए कि यदि सभी अल्पसंख्यक साथ आ जाए तो वे अपनी सरकार अपने दम पर बना सकें।
5. बहुमतवाली समुदाय का वजन ऐसे बाँटना चाहिए कि यह अल्पसंख्यकों के विलोम अनुपात में हो जो उनके समाज की स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं शैक्षणिक स्थिति के विलोम अनुपात में हो, जिससे जो बड़ा और बेहतर हालत में अल्पसंख्यक हों उनको कम वजन मिले और जिनकी सामाजिक हालत खराब हो, उनको अधिक वजन मिले।

यदि मैं ऐसा कह सकूँ तो प्रतिनिधित्व एक संतुलित प्रतिनिधित्व होगा और कई समुदाय केवल संख्या के आधार पर दूसरे पर दबाव नहीं डाल पाएगा। मुस्लिमों का विरोध केंद्र तथा राज्यों दोनों ही जगह समाप्त हो जाएगा।

मतदाताओं का स्वभाव

मतदाताओं के प्रति निम्न प्रस्ताव स्वीकारे जाने चाहिए:-

1. संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र या अलग निर्वाचन क्षेत्र, एक किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका हो सकता है। यह किसी सिद्धांत का विषय नहीं है।
2. इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के वास्तविक प्रतिनिधि को, न कि उनके दिखावे के प्रतिनिधि को विधानसभा के लिए चुनना है।
3. जहाँ अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों को एक गारंटी देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके विश्वासवाला व्यक्ति होगा, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अल्पसंख्यकों को बराबर की सुरक्षा देता है और इसे भी ध्यान रखना चाहिए।
4. एक चार सदस्यों की विधानसभा सीट में अल्पसंख्यकों को दो वोट देकर और एक कम-से-कम प्रतिशत अल्पसंख्यक वोटों को आवश्यक मानकर एक नया तरीका भी बनाया जा सकता है।

1. विशेष सुरक्षा का प्रश्न :-

कुछ अन्य माँगें भी अल्पसंख्यकों की ओर से की गई है, जैसे अल्पसंख्यकों की हालत पर किसी वैधानिक ऑफिसर का रिपोर्ट देना।

सरकार द्वारा शिक्षा के लिए वैधानिक रूप से सहायता देना।

भूमि के सुधारों के बारे में वैधानिक नियम बनाना। पर इनका सांप्रदायिक समस्या से संबंध नहीं है।

2. एबोर्जिनल जनजातिः-

मेरे प्रस्ताव में एबोर्जिनल जनजाति के बारे में कुछ नहीं है, यद्यपि इनकी संख्या सिक्खों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और पारसी से भी अधिक है। एबोर्जिनल जनजातियों ने राजनीतिक तौर पर कोई विकास नहीं किया है और वे बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों के हाथों का खिलौना बन सकते हैं। इसलिए मुझ`लगता है कि पहले एक वैधानिक कमीशन बनाकर साउथ अफ्रीका के संविधान के अनुसार कुछ एक्सक्लूडेड एरिया (प्रभावरहित क्षेत्र) बनाया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रांत को इन इलाकों में सालाना धन देकर इनमें प्रशासन चलाना चाहिए।

3. भारतीय रियासतें:-

मेरे प्रस्तावों में भारतीय संस्थानों या रियासतों के बारे में भी कुछ नहीं है। मैं इन रियासतों के खिलाफ नहीं हूँ पर उनको शामिल करते समय कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे:-

1. ब्रिटिश इंडिया और भारतीय रियासतों की सार्वभौमिकता के दोहरेपन को समाप्त करना चाहिए।
2. न्यायिक राजनीतिक सीमा रेखा जो ब्रिटिश इंडिया को भारतीय रियासतों से अलग करें, वह समाप्त होना चाहिए। ब्रिटिश या भारतीय रियासत जैसी अलग बातें न होकर केवल एक चीज-भारत होना चाहिए।
3. इनको शामिल करने की शर्तो और भारत को उपनिवेश बनाने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने एक योजना इस बारे में बनाई है। पर अभी मैं इस भाषण में उसका उल्लेख नहीं करूँगा। अभी के लिए ब्रिटिश इंडिया को भारतीय रियासतों में उलजने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।

उपर्युक्त प्रस्तावों के संदर्भ में पाकिस्तान

मेरा प्रस्ताव एक संयुक्त भारत के बारे में है और इस आशा में है कि मुस्लिम उन्हें पाकिस्तान के बजाय स्वीकार करेंगे। क्योंकि इन प्रस्तावों से उन्हें पाकिस्तान से अधिक सुरक्षा मिलेगी। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान का प्रश्न स्वनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित है। मैं इस सिद्धांत का आदर करता हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम यही सिद्धांत गैर-मुस्लिम निवासियों पर लागू करेंगे। पर मैं मुस्लिमों का ध्यान उनकी सुरक्षा की बेहतर योजना की ओर खींचना चाहूँगा। मैं इस संबंध में अपनी योजना के बारे में निम्न बातें कहूँगा-

1. मेरे प्रस्ताव में सांप्रदायिक बहुमत का खतरा, जिस पर पाकिस्तान आधारित है समाप्त हो जाएगा।
2. अभी जो मुस्लिम को वजन दिया गया है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा।
3. मुस्लिमों की गैर-पाकिस्तान राज्यों में स्थिति उनका प्रतिनिधित्व बढ़ने से मजबूत होगी। पाकिस्तान बनने पर ऐसा नहीं होगा और वे अभी से ज्यादा खराब हालत में पहुँच जाएँगे।

हिंदुओं के लिए कुछ शब्द

सांप्रदायिक प्रश्न इसलिए सामने आया है क्योंकि हिंदू मानते हैं कि बहुसंख्यक के नियम परम हैं और हर हाल में इन्हें बनाए रखना चाहिए। हिंदू लोग यह बात नहीं सोचते कि एक अन्य नियम है जिससे बड़े झगड़े निपटाए जाते हैं और वह नियम है सर्वसम्मति का। यह नियम कोई हवा में नहीं है, बल्कि वास्तविक है। जूरी सिस्टम में यह सर्वसम्मति वाला नियम पहले से लागू है और यह जज पर भी लागू होता है. लीग ऑफ नेशंस में भी यह नियम लागू किया गया था। यदि हिंदू इस सर्वसम्मति वाले नियम को विधानसभा और कार्यपालिका में स्वीकार कर लें तो भारत में सांप्रदायिक समस्या समाप्त हो जाएगी। हिंदू लोग अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हैं और न ही वह सर्वसम्मति की बात को मानने को तैयार हैं।

हिंदू लोग बहुसंख्यक के शासन की बात में कोई सीमा लगाने को तैयार नहीं है और वे कोई अपेक्षित बहुमत (रिलेटिव मेजॉरिटी) से भी संतुष्ट नहीं हैं। हिंदू यह बात नहीं जानते कि अमेरिका के संविधान में भी पूर्ण बहुमत की बात नहीं है।

नोट :- डॉ. आंबेडकर की पुस्तक से साभार लिया गया है।

दलित वर्ग से आरक्षित वर्ग की यात्रा

सत्यनारायन प्रधान
उप महाप्रबंधक
(मा सं - अधिकारी)

अछूत की उत्पत्ति

दलित वर्ग से अभिप्राय उन जातियों के संदर्भ में है जो हिंदु जाति व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर हैं और जिनके नजदीक आने अथवा स्पर्श होने से हिंदु जाति के अन्य लोग अपने को अपवित्र हो जाना मानते थे। जिन्हें मूलतः अछूत के रुप में जाना जाता था। अछूत की उत्पत्ति सामान्यतः आर्य समाज की देन मानी जाती है जिन्होने समाज को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया था जैसेः ब्राम्हण, क्षत्रिय वैश्य एवं शुद्र। एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर श्रेष्ठता का दावा करने के कारण धार्मिक अयोग्यता का मूल कारण बन गई। इसके चलते सामाजिक व्यवस्था क्रम में उनको निम्न व्यवसाय करने के लिए मजबूर किया जिसके कारण वे सामाजिक अधिकार पाने से वंचित हो गए। आगे, उस समय हिंदू समाज में इन्हें समाज में ऊपर उठने का मौका नहीं दिया।

दलित वर्ग पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव

ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद उन्होंने कानून पास किया कि कानून की नजरों में सब समान हैं। अंग्रेजो की पश्चिमी संस्कृति ने दलित वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया। जिसे पहले अछूत कहा जाता था। इसाई मिशनरियों ने अछूतों के उत्थान के लिए कार्य किया। अन्त में समाजिक -धार्मिक सुधारों ने भारतीयों में यह जागरुकता लाई और उन्हें नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराया कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए कदम उठाए। 'दलित वर्ग' शब्द का अर्थ अंग्रेजों ने सभ्य समाज में इस समुदाय के लोगों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण कर इन्हें डिप्रेस्ड क्लास की संज्ञा दी। दलित वर्ग अपने विरुद्ध होने वाले अन्यायों का निदान वे अदालतों में जाकर भी नहीं कर सकते थे। प्रायः उनको न्याय नहीं मिलता था अथवा आर्थिक तंगी के कारण वे कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते थे। अंग्रेजों ने दलित वर्ग को मंदिरों एवं शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश करने की अनुमति दी। सन 1931 में केंद्रीय विधान सभा में दलित वर्ग से दो प्रतिनिधि चुनकर आए एवं अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना में उन्हें भर्ती कर आर्थिक एवं सामाजिक स्तर उठाने का अवसर दिया। ईसाई मिशनरियों ने अछूतों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए सचेत किया। तत्पश्चात शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

दिलित वर्ग का राष्ट्रीय आन्दोलन

राष्ट्रीयता एवं ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के विकास के साथ अस्पृश्यता मिटाने की समस्या ने राजनीतिक मोड़ लिया। प्रसिद्ध राष्ट्रीयवादी नेता, राजा एवं महाराजाओं ने दलित वर्ग की समस्याओं को उठाया। जिसका परिणाम यह हुआ कि चमारों को आर्य समाजी चमार बताया गया। 1915 में भारतीय प्रेस और सभी मंचों पर अस्पृश्यता उन्मूलन की समस्या पर विस्तृत चर्चा हुई। अनेक संगठनों के अलावा सन् 1905 में श्री विठ्ठल रामजी शिंदे द्वारा 'डिप्रेसेड क्लास मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया' की स्थापना किया। यह संगठन दलित वर्ग की सबसे ज्यादा सेवा कर रहा था। अस्पृश्यता विरोधी सम्मेलन मुम्बई में 23-24 मार्च, 1918 को आयोजन किया गया था। इसके बावजूद ब्रिटिश नीति के अनुसार पहली बार मॉनटेगो-चेल्मसफोर्ड सुधार नीति में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सन् 1917-18 में अछूत समुदाय के लिए एक अलग वर्ग बनाया गया। कुछ समय पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस नेता के रूप में गांधीजी का उदय होता है। स्थानीय स्तर पर नगरपालिकाओं में तीन मुद्दों पर कार्य करने के लिए कहा गया - 1) शिक्षा 2) मेटीरियल मूवमेंट 3) सुविधाओं का नियमन।

राष्ट्रीय कांग्रेस की छत्रछाया में दलित वर्ग के शिक्षित लोग जागरुक होकर अपने सामाजिक अधिकारों के लिए मांग करने लगे। सन् 1927 में डॉ. आंबेडकर को मुम्बई विधान परिषद में दलित वर्ग के प्रतिनिधी नामित किए गए। उन्होंने सर्वप्रथम जन सेवा जैसे पुलिस सेवा में दलित वर्ग को शिक्षा की सुविधा के लिए सरकार से लोहा लिया जिससे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिलवाया।

आरक्षण के लिए सजगता एवं मांग:

मांटेग्यू-चेलमफोर्ड कमीशन ने अपने सपोर्ट में दलित वर्गों के संरक्षण की आवश्यकताओं पर जोर दिया। इस कार्य के लिए वे कोई पद्धति तैयार नहीं कर पाये। फिर भी लॉर्ड साउथबोरो के नेतृत्व में मताधिकार समिति का गठन किया गया और सभी प्रांतीय विधान परिषदों में आरक्षण के लिए योजना बनाया। विधान परिषद में कुल सीटों का 1 से 5 प्रतिशत तक दलित वर्ग लिए आरक्षित की गई।

अंत में, दिसंबर 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और संशोधित कर आरक्षण 1 से 8 प्रतिशत तक निश्चित किया गया। इस प्रकार से, वर्ष 1927 के दौरान केंद्रीय विधान सभा में 14 में से एक वयस्क दलित वर्ग से नामित किया गया। बाद में, वैधानिक आयोग गठन के पश्चात डॉ. बी आर आंबेडकर ने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पहुलुओं पर विभिन्न दलित-वर्गों की शिकायतों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया। तथापि आयोग की सिफारिशों का डॉ. बी आर आंबेडकर एवं श्री निवासन ने विरोध किया। अंत में डॉ. बी आर आंबेडकर एवं श्री एम. के. गांधी के बीच ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए निर्वाचन पद्धती पर सहमति हुई।

भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार दलित वर्ग के मुद्दों पर सभी संभव प्रयास किए गए। 1920 के दौरान सभी प्रांतीय सरकारों में मद्रास प्रांत ने उनके कल्याण के लिए विशेष रुचि दिखाई। देशभर में दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए अन्य वर्ग के बच्चों के साथ शिक्षा की अनुमति दी गई। दलित वर्ग के बच्चों की शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से निरीक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज्य के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया साथ ही हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए हिन्दू समाज से अस्पृश्यता निर्मुलन के लिए प्रयास किए गए। इसके कारण समानता की भावना पैदा किया और दलित वर्ग में अपनी पैठ बनाई।

स्वतंत्रता के बाद आरक्षण:

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के पक्ष में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारतीय संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए अनुच्छेद 14 में - विधि की समानता, अनुच्छेद 15 में भेद-भाव का निषेध, अनुच्छेद 16 में - सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, अनुच्छेद 335 में नौकरी एवं सेवाओं के लिए दावा और अनुच्छेद 338 में एससी/एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन एवं अनुच्छेद 341 में - एससी के लिए अनुच्छेद 342 में - एसटी के लिए सुरक्षा का प्रावधान किया है।

वर्ष 1952 में शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा संस्थानों में 20 प्रतिशत एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण रियायत मानकों के साथ किया। उसके बाद, वर्ष 1954 में एससी के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सेवाओं में लागू किया। वर्ष 1978 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरूआत हुई जब मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी/पीएसस एवं शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया गया कि रिक्ति आधारित रोस्टर का अनुसरण करें। उन रोस्टर पॉइंट्स के आधार पर पदों एवं सीटों को भरा गया। तथापि, उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय में, 200 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स एवं 120 पॉइंट्स, रिक्तियां आधारित रोस्टर को 13 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स एवं 200 पॉइंट्स, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। राज्य सरकार स्तरीय आरक्षण के मामले में, आरक्षण रोस्टर राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया गया। सभी सरकारी एजेंसियों/विभागों में समान आरक्षण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ है जिसमें आरक्षित जातियों पर हुए अन्याय/असमानता को रोकने के लिए मिशनरी एवं मेकेनिज्म का उपाय किया है।

भारत में आरक्षण प्रणाली की वर्तमान प्रक्रिया तीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है:

I) समाज के निम्न स्तर का उत्थान
II) अल्पसंख्यांक समुदाय का उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व
III) नौकरी, चयन / पदोन्नति में कोई भेद-भाव नहीं

इस प्रकार, भारतीय संविधान के सुरक्षा कवच से, स्वतंत्रता पूर्व युग दलित, 'दलित वर्ग' से प्रगति कर 'आरक्षित वर्ग' के स्तर पर उबर गए।

अशोक कुमार पाठक
टीए अभियांत्रिकी
युद्ध पोत अधिदर्शी दल

समय

मेरा न किया सदुपयोग तो जीवन भर पछताओगे
चाहे जितनी कोशिश कर लो मुझको फिर न पाओगे
जहां कहीं हैं जाना तुमको पहले कर लो तैयारी
पूर्ण नियोजन करके रखो नहीं तो पडूँगी तुमको भारी

मेरी चाल निराली है, कभी नहीं थकती हूँ मैं,
चाहे कोई बहुत बड़ा हो, राह नहीं ताकती हूँ मैं
मेरे साथ नहीं चले जो जीवन भर पछताता है
हार मान ले पहले ही वह, जो न मुझे रख पाता है

चाँद रूके सूरज रूके, धरती भी चाहे थम जाए
मेरी चाल नहीं रूक सकती, चाहे दुनिया ही थम जाएँ
मेरा लो सहयोग हमेशा, विजय तुम्हारे हाथ
यदि तुम मेरे संग रहे, चलते दृढ़ता के साथ

चाहे दुनिया सो जाए, हमें जागना पड़ता है
हर पल हर क्षण सावधान हो, हमें भागना पड़ता है
चाहे कितना ताकतवर हो, मेरे साथ नहीं चल पाता
बीच राह में थक जाए वह, स्पर्धा नहीं कभी कर पाता

फिर से याद दिलना चाहूँ, साथ चले तो विजयी होंगे
कर संघर्ष अहर्निशि, विश्राम करोगे तो कालजयी होंगे
आलस त्याग खड़े हो जाओ, अति निद्रा का मोह छोड़ दो
कर्मठ बन अब कर्म करो तुम, दुनिया को पीछे छोड़ दो।

'पाठक" तुम भी समय बिताओ, अपने साथ मुझे कर लो
चाहे जितनी विकट समस्या, चिर विजयी उसको कर लो
यहीं कहानी खत्म न होती, देता अल्पविराम हूँ
चिंता मुझे तुम्हारी है पर, खुद मंजिल से अंजान हूँ।

आंबेडकर विरुद्ध गांधी

श्री राजेश हिंदुराव आंबवाड
प्रबंधक (भंडार-पूर्व खंड)

महात्मा गांधी और बाबासाहब आंबेडकर के बीच हुए लेखनी संघर्ष के कारण का पता चल गया होगा। यह विवाद इस कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पढ़ने से इन दोनों युग मानवों के विचारों का स्पष्टीकरण एवं इनके आंतरिक स्वरुप का दर्शन हो जाता है। तुलनात्मक दृष्टी से महात्मा गांधी पिछड़े विचारों के कट्टर हिन्दू मनमौजी बनिया संत और राजनीति के बड़े नेता नजर आते हैं, और बाबासाहब गम्भीर विचारक, सच्चे राष्ट्रवादी, समाज तत्वदर्शी और महान् अध्ययनशील विद्वान दिखायी देते हैं।

अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है कि महात्मा गांधी की सारी योजनाएँ, अव्यावहारिक होने के कारण, फेल हो गयीं। न उनका चरखा चला और न ही देश खादी का सफेद समुद्र दिखाई दिया, न हिन्दू मुस्लिम एकता हुई, न अछूतोद्धार ही हो सका, न अहिंसा ही कायम रह सकी और न सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ। उन्होंने कराची कांग्रेस में स्वतंत्र भारत में जनता के अधिकार नाम का जो लम्बा प्रस्ताव पास कराया था, वर्तमान कांग्रेस हुकूमत ने उसे भी दफना दिया। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलायी, यह बात भी बिल्कुल सत्य नहीं है, अंग्रेज लोग खुद ही भारत को आजाद करना चाहते थे, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध में अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में, उन्हें अपार धन खर्च करना एवं अत्यंत कष्ट उठाना पड़ा था। अत्याधिक हानि उठकर वे किसी तरह अपनी इज्जत कायम रख सके, अपनी हार कहीं नहीं होने दी। अतएव महायुद्ध के बाद वे अपने अधीन देशों को अजादी देने के लिए आतुर थे और उन्होंने भारत, बर्मा, लंका, मलाया, मैडागास्कर इत्यादि अनेक देशों को स्वतंत्रता देकर विश्व के इतिहास में अपनी किर्ति को अमर बना लिया। स्वाधीनता प्राप्त करते समय भारत अगर दो खंडों में बंट गया, तो इसमें भी अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान तो हिन्दू और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता के परिणाम हैं। दोनों धर्मों के अंधभक्त रहते हुए दोनों में मेल हो हीं नहीं सकता और धर्म में कोई टस से मस होना नहीं चाहता। कहा जाता है, महात्मा गांधी को हिन्दू शब्द बहुत प्यारा था। परन्तु उनका अंधा प्रेम था, इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है। क्योंकि कोई ज्ञाता पुरूष हिन्दू शब्द को ठीक नहीं समझता। मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिक्ख शब्द तो अपने अपने अर्थों में ठीक हैं, परंतु हिन्दू का अर्थ ठीक नहीं है। हिन्दू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिन्दू नाम का न कोई अवतार या देवता है, न हिन्दू नाम का कोई पवित्र ग्रंथ है, न हिंदू किसी ऋषी मुनी या महापुरूष का नाम है, और न हिंदू किसी देश का ही नाम है। भारत के प्राचीन पाली प्राकृत, संस्कृत और वैदिक भाषाओं के प्राचीन साहित्य में कहीं भी हिन्दू शब्द नहीं पाया जाता। तब हिन्दू शब्द आ कहां से गया? अनुसंधान करने से पता चला कि भारतीयों का हिन्दू नाम विदेशी विजेताओं का दिया हुआ है। हिन्दू शब्द फारसी के 'गयासुल लुगात' नामक शब्दकोष में मिलता है, जिसका अर्थ काला, काफिर, नास्तिक, सिद्धांतविहीन, असभ्य, वहशी आदि है। इस देश के समस्त निवासियों को किसी एक शब्द से पुकारने की जब मुस्लिम आक्रमणकारियों को जरूरत हुई तो उन्होंने यहां के निवासियों को हिन्दू नाम से सम्बोधित किया, और आश्चर्य तो यह है कि विदेशियों के दिये इस घृणित नाम को ब्राम्हणों ने अपने धर्म का नाम स्वीकार कर लिया तथा अपने धर्म ग्रंथों को वे हिन्दू शास्त्र कहने लगे! मजा यह है कि ब्राम्हणों के सिवा और किसी भारतीय धर्म ने अपने धर्म का नाम हिन्दू स्वीकार नहीं किया। जैन, बौद्ध, सिक्ख कोई भी अपने धर्म को हिन्दू धर्म नहीं कहते। महान सुधारक महर्षि दयानंद ने भी 'हिन्दू' शब्द ग्रहण नहीं किया। महर्षी दयानंद आरम्भ में थिओसोफिकल सोसायटी के आचार्य कर्नल अलकाट साहेब के साथ प्रचार करते थे। थिओसोफिस्ट लोग प्रत्येक धर्म के आंतरिक तत्वों की खोज किया करते थे। मैडम बेलवेस्टकी ने भारतीय योग विद्या का अनुसंधान किया, मिस्टर अलकाट महोदय ने महर्षि दयानंद से 'हिन्दू' शब्द के बारे में पूछा "आप अपने धर्म को हिन्दू धर्म किस आधार पर कहते हैं?" तो महर्षी दयानंद को कोई उत्तर न सुझाई दिया। उन्होंने अपने गुरू विरजानंद स्वामी के परामर्श से अपने धर्म का नाम वैदिक धर्म तथा अपने अनुयायियों को आर्य कह कर आर्य समाज का प्रवर्तन किया। हिन्दू शब्द को घृणित समझ कर त्याग दिया। परंतु सनातनी ब्राम्हण पंडित आज भी हिन्दू शब्द से बुरी तरह चिपके हुए हैं। क्यो? इस प्रश्न का उत्तर बाबासाहेब आंबेडकर ने दे दिया है। बाबासाहेब ने साफ दिखा दिया है कि ब्राम्हण वस्तुतः हिन्दू शब्द के वाच्य हैं अर्थात् नास्तिक, सिद्धांतविहीन, काफिर, लोभी और धर्म व्यवसायी हैं। अगर इनका कोई सिद्धांत है, तो बस स्वार्थ और भोगैश्वर्य परायणता। बाबासाहेब ने ब्राम्हणों की सिद्धांतहीनता और स्वार्थ परायणता का चित्र खींचते हुए लिखा है ब्राम्हण प्रेम और शांति के देवता विष्णू का पुजारी है प्रलय और संहार के देवता रूद्र का भी पुजारी है, करूणा के उपदेशक परम कारूणिक भगवान बुद्ध का भी पुजारी हो जाता है, जीव दया प्रचारक तीर्थंकर महावीर का भी पुजारी बन जाता है, रक्त की प्यासी प्रतिदिन पशुबलि चाहने वाली काली देवी का भी पुजारी है, क्षत्रिय अवतार राम का भी पुजारी है और क्षत्रिय वंश संहारी परशुराम का भी पुजारी है। वह उस पीर का भी पुजारी बन जाता है जो ब्रम्हा विष्णू महेश को ईश्वर अल्लाह का साक्षीदार नहीं मानता, इत्यादि। इतने विपरित गुण रखने वाले देव देवियों का पुजारी बनने वाले के लिए क्या कहा जा सकता है? सिवाय इसके कि

वह एक स्वार्थनिष्ठ, धर्म व्यवसायी और भोगेश्वर्य प्रसक्त प्राणी हैं, इसके सिवा उनका न कोई सिद्धांत है और न किसी पर विश्वास।

इन्हीं ब्राम्हणों द्वारा निर्मित बेसिर पैर के हिन्दू धर्म के महात्मा गांधी अंधभक्त थे। महात्मा जी की दलील थी कि ''अगर कोई व्यक्ति हिन्दू शास्त्रों को नहीं मानता, तो वह हिन्दू कैसे रह सकता है? जो कुरान नहीं मानता, वह मुसलमान नहीं रह सकता और जो बाइबिल नहीं मानता, ईसाई नहीं रह सकता। चूंकि महात्मा जी हिंन्दू थे और हिन्दू ही रहना चाहते थे, अतः हिन्दू शास्त्रों पर भी उनकी अटूट श्रद्धा थी। छूआछूत और ऊंच-नीच के सम्बंध में भी महात्मा गांधी की एक बड़ी विचित्र मान्यता थी, जो अगर मगर पर आधारित थी। महात्मा जी छुआछूत और ऊंच-नीच से परिपूर्ण हिन्दू शास्त्रों के सम्बंध में कहा करते थे कि मेरा यह निश्चित मत है कि ''अगर शास्त्र वर्तमान छुआछूत का समर्थन करते हैं, तो मैं अपने को हिन्दू कहना छोड़ दूंगा। हिन्दू शास्त्र अगर जाति का समर्थन करते हैं, तो मैं अपने आपको न हिन्दू कह सकता हूं और न ही हिन्दू रह सकता हूं। ''किन्तु जब बाबासाहेब आंबेडकर ने पवित्र हिन्दू शास्त्रों के ढेरों प्रमाण पेश किये, जिसमें छुआछूत, ऊंच-नीच, जाति भेद और वर्ण भेद का जबरदस्त समर्थन और कठोर आदेश है, तो महात्मा जी तिलमिला गये, उन्हे बचने का कोई रास्ता न मिला, और वे उन शास्त्र वचनों पर ही संदेह करने लगे, और सवर्ण हिन्दूओं से उत्तर मांगने लगे कि क्या जो धर्म ग्रंथ छपे हैं, उनका कोई अंश अप्रामाणिक क्षेपकों की भांति अस्वीकार किया जा सकता है? महात्मा जी की इस शंका का उत्तर आचार्य विनोबा भावे भी, नहीं दे पाये, जबकी उन्होने गीता पढ़ी थी और न इनका अब तक कोई समाधान हो पाया। किन्तु इस शंका से यह सिद्ध हो गया कि महात्मा जी स्वयं शास्त्रो का ज्ञान नहीं रखते थे, दूसरों के मुंह से सुनी सुनाई बातों के आधार पर शास्त्रों पर उनकी निष्ठा थी। जब शास्त्रों के भीतर भरा हुआ जहर बाहर सामने पेश हुआ, तो वे उन शास्त्र वाक्यों के ही अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त होने की शंका करने लगे, और संतों की शरण पकड़ने लगे कि शास्त्रो का जो अर्थ संतजन करते हैं, मैं उसे ठीक मानता हूं। लेकिन महात्मा जी ने चैतन्य आदि जितने संतों के नाम गिनाये, उनमें एक भी संत शास्त्रो का टीकाकार या भाष्यकार नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि संतों का ज्ञान आत्म अनुभवजन्य स्वतंत्र होता है, संत जन शास्त्रो के मोहताज नहीं हैं। केवल अपने आत्म अनुभव ज्ञान की जहां कहीं किसी शास्त्र वाक्य से पुष्टि होती है। यदा कदा उसका हवाला देके दिया करते हैं। कबीर, नानव। दादू आदि संतो के साहित्य में भी वेद शास्त्र के वचन उध्दृत मिलते हैं। ऐसी दशा में महात्मा जी की यह बात बिल्कुल भोले भाले बच्चों जैसी है कि शास्त्रो का वही अर्थ ठीक है जो साधु संत करते हैं। साधु संत तो अपने ज्ञान द्वारा जनता का हिन्दू शास्त्रो से पिण्ड छुड़ाते पाये जाते हैं, वे शास्त्रो के अर्थ के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। चतुर ब्राम्हणों ने शास्त्रादेशों के पालन करने कराने का जिम्मेदार क्षत्रिय राजाओं को ठहराया है जिनका वे तिलक करते हैं, और विरूद्धचरण करने पर जिन्हे वे राज्यच्युत भी कर देते हैं। महात्मा जी की एक भारी विचित्रता ईश्वर सम्बंधी भी है उन्होंने कई जगह लिखा है कि "पहले मैं कहता था कि ईश्वर सत्य है किन्तु अब मैं कहता हूं, सत्य ही ईश्वर है" जब उनसे पूछा गया कि आप यदि सत्य को ईश्वर मानते है, तो फिर जन्म मरण के बंधन से ग्रसित रघुपति राघव राजाराम की धुन क्यो लगाते हैं, आपको तो लोग 'राष्ट्रपिता' कहते हैं। राष्ट्र में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्ख, जैन, बौद्ध, निर्गुणी, सगुणी, सभी हैं, तो फिर आपके द्वारा यह संकीर्ण साम्प्रदायिक धुन कैसी? इस आपत्ती के उत्तर में उन्होंने कहा "जब मैं मुसलमानों की सभा में जाता हूं, तो वहां अल्लाह कहता हूं और जब ईसाइयों की सभा में बोलता हूं, तो गॉड कहता हूं"। इस उत्तर और पिछले की मान्यता से साफ सिद्ध है कि महात्मा जी का ईश्वर सम्बंधी कोई स्थिर`सिद्धांत नहीं था। जहां जैसा देखते, वहां वैसी बात कह देते। महज हिन्दुओं की नजरों में अपने को कट्टर हिन्दू साबित करने के लिए वह रघुपति राघव राजाराम की धुन लगाया करते थे। मन में कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और ही उनका तरीका था। फारसी कोशकार ने 'हिन्दू' शब्द का यही अर्थ किया भी है। महात्मा जी की इस साम्प्रदायिक रामधुन के विरूद्ध जब उपर्युक्त आपत्तियां उठने लगीं, तो उन्होंने राम धुन के साथ एक मिसरा ईश्वर अल्ला एको नाम, सबको सम्मति दे भगवान और जोड़ा। लेकिन यह चला नहीं। क्योंकि साम्प्रदायिक रामधुन के साथ इसका कोई तुक न था। सब जानते हैं कि ईश्वर को कबीर, रैदास, नानक, दादू आदि महान् संत निरंजन, निर्विकार, निर्लेप, निराकार, अयोनिज, अनादि इत्यादि मानते हैं। उपनिषदों में भी उसे अकाय, अब्रण, अवाड़् मनसगोचर आदि माना गया है, तथा मुसलमान लोग भी अल्लाह को वहदहू लाशरीक कहते हैं। उस ला इलाहा इल अल्लाह के नाम के साथ ईश्वर का नाम तो लिया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह की सिफत और लक्षण एक समान है, किन्तु जन्म मरण व नस नाड़ी बंधन में फंसे तथा राग द्वेष और नारी प्रेम विरह से क्लेशित सविकार राम को न तो निर्विकार ईश्वर के साथ जोड़ा जा सकता है और न वहदहू लाशरीक अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ किसी देवता ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र अथवा राम, कृष्णादि अवतारों को शरीक नहीं किया जा सकता। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला मुशरिक कहलाता है, और मुशरिक के लिए कुरान में लिखा है अल मुशरिको नजिस अर्थात मुशरिक नजिस है, उसे छूना भी पाप है। इधर राम कृष्णादि को ब्राह्मण शास्त्रकार विष्णु के अवतार कहते हैं, विष्णु भी लक्ष्मी के पति होने के कारण निर्विकार नहीं हैं। इसलिए विष्णु और विष्णु के अवतार कोई भी निरंजन निर्विकार ईश्वर के साथ जोड़े नहीं जा सकते। अवतार केवल आदर्श महापुरूष कहे जा सकते हैं, और अवतारों की उपासना आदर्श पूजा, वीर पूजा या आइडियल वर्शिप ही है। जैसा कि जैनों के तीर्थंकर और बौद्धों के सम्यक् समबूद्ध तथा मुसलमानों के हजरत इमाम हुसैन। प्रभु ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद साहेब भी रसूल और पैगम्बर हैं, स्वयं ईश्वर नहीं। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की भी यही मान्यता है, इसे सभी आर्य सज्जन जानते हैं। इन सबको दृष्टि में रखते हुए महात्मा गांधी की रघुपति राघव राजाराम नामक साम्प्रदायिक रामधुन के साथ ईश्वर अल्लाह एको नाम का मेल नहीं बैठता, इसलिए यह चला भी नहीं। न मुसलमान इस वैष्णवी मायाजाल में फंस कर गुमराह हुए और न हिन्दू वहदहू लाशरीक अल्लाह का भजन कर सके। अतः इस ईश्वरबाजी में भी महात्मा जी फेल ही रहे।

महात्मा जी यदि गम्भीर और निष्पक्ष विचारक होते, तो देखते कि भारत के जाति वर्ण विहीन धर्म, जैन और बौद्ध तथा आधुनिक वैज्ञानिक इत्यादि किसी कर्ता ईश्वर के अस्तित्व के कायल नहीं हैं, उनके लिए तो यह रामधुन उबा देने वाली चीज है। राष्ट्रपिता को उनका भी ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि ये सब भी राष्ट्र के विशाल अंग हैं। उन बुद्धिवादियों पर साम्प्रदायिक रामधुन लादना एक प्रकार का मानसिक बलात्कार, अनैतिकता, अन्याय और उनके स्वतंत्र चिन्तन पर प्रतिबंध लगाने जैसा अवैध अपराध है, जो किसी राष्ट्रवादी के लिए नितांत अशोभनीय है। अपने विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को चलने की स्वाधीनता है, किन्तु सार्वजनिक सभाओं, स्थानों , सड़कों पर लाउडस्पीकर लगा कर इस प्रकार रामधुन का हंगामा मचाना शांतिभंग करने वाले अवांछनीय हुडदंग के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि यह दूसरे सम्प्रदाय वालों को भी ऐसा ही हुडदंग मचाने की चुनौती देता है। यदि एक रामधुन का ढोल पीते, दूसरा हरहर महादेव का सिंघनाद करे, तीसरा अल्लाहो अकबर की बांग बुलंद करे और चौथा संत श्री अकाल का नरसिंहा बजावे, तो बेचारी राष्ट्रीयता की अर्थी निकलने के सिवा और क्या होगा ?

महात्मा जी अक्सर रामराज्य का नारा लगाया करते थे। उनके इस रामराज्य का खुलासा उनकी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य श्री पट्टाभि सीतारमैया ने अपने कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में ईश्वरीय राज्य किया था। पट्टाभि सीतारमैया का संकेत महाप्रभु ईसा मसीह के स्वर्गीय राज्य की ओर था, जिसे वे धरती पर लाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की यह व्याख्या निरी धोखाधड़ी रही, कांग्रेसी हुकूमत में हैविन 'तो अर्थ पर आया नहीं, हां कलियुग के महान् ब्राह्मण नेता श्रीकरपात्री स्वामी ने संकेत पाकर रामराज्य के नाम से रामराज्य परिषद नाम की संस्था खोल दी, जिसका उद्देश्य दशरथी रघुपति राघव राजा राम का आदर्श राज्य स्थापित करना है। वही रामराज्य जिसमें राम जी ने ताड़का नामक एक अबला नारी की तीर मार कर हत्या की, रावण की विधवा बहन की नाक काटी, भाई के साथ मल्लयुद्ध करते हुए बालि को पेड़ की आड़ से बहेलिए की तरह तीर का निशाना बनाया, अपनी सहधर्मिणी पत्नी राजमहिर्षी गर्भिणी सीता को पदच्युत करके एकाकी असहाय जंगल में छुड़वा दिया और वर्ण व्यवस्था के विरूद्ध शुद्र होकर तपस्या करने के कारण तपस्वी शम्बूक का सिर काट डाला। वर्तमान काल में लोकतंत्र के नाम से जो कांग्रेसी रामराज्य चालू है, उसकी भी तुलना सारे इतिहास में किसी काल के किसी राज्य से नहीं की जा सकती, जिसमें खाद्यान्न और खाद्य वस्तुओं की इतनी महघता, उपयोग में आने वाली चीजों की इतनी भयंकर महंगाई, इतनी भयानक मुनाफाखोरी, चोरबाजारी, जखीरेबाजी, इतना अधिक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, हत्या, आगजनी और अपहरण होता हो। मानों कि महात्मा गांधी का रामराज्य, जिसकी तुलना भी पट्टाभि सीतारमैया ने मसीह के स्वर्गीय राज्य से की थी, अब अपने उपर्युक्त यथार्थ स्वरूप में साकार होकर देश पर छा गया है। खुलासा यह कि बाबासाहेब के पांडित्य पूर्ण भाषण की आलोचना अपने संकूचिति हिन्दू दृष्टि से करके महात्मा गांधी बुरी तरह बाबासाहेब के तर्कजाल में फंस गये। उनकी आलोचना के उत्तर में बाबासाहेब आंबेडकर ने उनकी मिथ्या दृष्टि और मिथ्या विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। चूंकि बाबासाहेब ने महात्मा जी के जीवनकाल में उनके यथार्थ आंतरिक स्वरूप का अनावरण कर दिया था, इसलिए अविवेकी, अन्यायी और विद्वेषी हिन्दू आज भी बाबासाहेब के पवित्र नाम पर सत्तर कोण का मुंह बना कर उनकी निन्दा किया करते हैं। लेकिन कहावत है, चंद्रमा पर थूकने से थूक थूकने वाले के ही मुंह पर पड़ता है।

बुद्धं शरणम् गच्छामि! धम्मं शरण गच्छामि! संघम शरणम् गच्छामि!

जय भीम ! जय बुद्ध! जय भारत!

सिद्दीकी एच यू
सचिव एवं विधि विभाग

गज़ल (इश्क)

इश्क कैसा नशा है दोस्तों
इसमें कोई नहीं बचा है दोस्तों
लिखता हूँ मैं इश्क का फसाना
सुनले ऐ अहले जमाना
इश्क में हर कोई फंसा है दोस्तों
इससे कोई नहीं बचा है दोस्तों....
लैला मजून शिरीन फरहाद
सब हो गए इश्क में बर्बाद
नशा-ए-इश्क बुरा है दोस्तों
इसके कोई नहीं बचा है दोस्तों....
सब कहते हैं इश्क बड़ी नेयमत है
मैं कहता हूँ इसकी क्या जरूरत है
शमा पर पवाना जला है दोस्तों
इससे कोई नहीं बचा है दोस्तों...
आज कल इश्क व्यापार बन गया है
बस हवस का शिकार बन गया है
इससे कोई नहीं बचा है दोस्तों.....
सच्चा इश्क कभी मिटता नहीं है
किसी के सामने झुकता नहीं है
इश्क तो खुदा है दोस्तों
इश्क के कदमों में सर झुका है दोस्तों...
इश्क कैसा नशा है दोस्तों
इससे कोई नहीं है बचा दोस्तों...

पी 15बी - विध्वंसक : मोरमुगाओ

श्री पी डी सिद्दीकी
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

250 वर्षों के गौरवशाली अतीत के साथ, माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) की यात्रा रोमांचक रही है। एमडीएल का इतिहास 1774 से शुरू होता है, जब माझगांव, मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों की मरम्मत के लिए ड्राई डॉक की स्थापना की गई थी। सन् 1960 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इस कंपनी की स्थापना हुई। उस प्राथमिक शुरूआत के साथ, आज यह कंपनी भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित स्टेट ऑफ आर्ट युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में लगी हुई है। पिछले पाँच दशकों के दौरान, एमडीएल ने देश के रणनीतिक केंद्र पश्चिमी समुद्री तट पर प्रमुख युद्धपोत निर्माण केंद्र में विकसित हुआ है।

अत्याधुनिक संरचनात्मक ढांचा, अत्यंत कुशल और बहुआयामी कार्य बल, समर्पित और उच्च प्रशिक्षित इंजीनियरों की एक ब्रॉड बैंड, भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में स्थित है। एमडीएल देश के मुख्य युद्धपोत निर्माण यार्डों में अपना अद्वितीय स्थान रखता है।

पी15ए - विध्वंसक

कोलकाता श्रेणी विध्वंसक परियोजना पी-15 जहाजों की अनुवर्ती है, इन जहाजों का संचालन संयुक्त गैस और गैस (सीओजीएजी) विन्यास से होता है, यह पोत सर्फेस से सर्फेस मिसाइल, सर्फेस से एयर मिसाइल, एंटी सबमैरिन लांचर्स इत्यादि से सुसज्जित है। इसके अलावा इस पोत में निगरानी के लिए एमएफ स्टार मल्टी मिशन राडार के साथ मीडियम रेंज एयर / सर्फेस निगरानी राडार और अन्य विकसित इलेक्ट्रानिक वारफेयर और डेकोए भी लगे हैं। एंटी-शिप युद्ध के लिए जहाज में ब्रह्मोस, बाराक-1/2 एसएएम एयर डेफेंडर के साथ टॉरपेडो ट्यूब्स, एंटी सबमैरिन वारफेयर, मीडियम रेंज गन्स एंटी-शिप, शोर टार्गेट के रूप में फिट किया गया है।

पी 15बी - विध्वंसक

पी15बी - मिसाइल विध्वंसक नवीनतम हथियार पैकेज और स्टील्स विशेषताओं के साथ पी15ए श्रेणी के जहाजों की अनुवर्ती हैं। पी15बी भारतीय

और इजरायली हथियार प्रणाली का संयोजन है, जो आधुनिक रणनीति में फ्रंटलाइन अटैक के लिए पोत को एक अत्यंत शक्तिशाली मंच प्रदान करता है। यह पोत सर्फेस से सर्फेस मिसाइल, सर्फेस से एयर मिसाइल, एंटी सबमैरिन लांचर्स इत्यादि से सुसज्जित है।

पी15बी श्रेणी के पहले पोत आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण 20 अप्रैल 2015 को सफलतापूर्वक किया गया।

पी15बी श्रेणी के द्वितीय पोत मोरमुगाओ का जलावतरण 17 सितंबर 2016 को नौ सेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की मौजूदगी में किया गया। यह युद्धपोत सबसे उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यह किसी भी मिसाइल हमले को ध्वस्त करने में सक्षम है। इस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैनात होगी। यह युद्धपोत परमाणु, जैविक और रसायनिक युद्ध के समय में भी बचाव करने में सक्षम है।

पोत की विशेषताएँ :-

इस श्रेणी के द्वितीय विध्वंशक पोत में मोरमुगाओ की लंबाई 164.2 मीटर, बीम 17.4 मीटर और विस्थापन क्षमता लगभग 7300 टन है। पोत की समुद्र में अधिकतम गति 30 नाट है। इसमें कुल 290 कंपार्टमेंट्स हैं। 360 कार्मिकों के लिए आवास की व्यवस्था है। परिचालन के लिए पोत में 01 सीओ के साथ 50 अधिकारी तथा 300 नाविक कार्यरत रहेंगे। इस पोत का प्रोपलजन 4 यूक्रेनियन गैस टर्बाइन इंजिन से संचालित है। इसकी रफ्तार 56 किमी प्रति घंटे है। इस विध्वंशक में स्वेदशीकृत ट्विन ट्यूब टॉरपीडो लांचर्स और रॉकेट लांचर्स लगाए गए हैं, जो इसकी मारक क्षमता में वृद्धि करेंगे।

इस पोत का रूपांकन भारतीय नौसेना के इन-हाउस संगठन जैसे नौसेना रूपांकन सचिवालय द्वारा निर्मित है। एमडीएल, पोत के विस्तृत रूपांकन का कार्यान्वयन कर रहे हैं, जिसका निरीक्षण वारशिप ओवरसीईंग टिम करती है। भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' नीति का अनुपालन कम्पनी पोत निर्माण में कर रही है। इसके जलावतरण के

साथ हम अपने स्वदेशीकृत निर्माण क्षमता के प्रति निरंतर वचनबद्धता को कायम रखेंगे।

एमडीएल में प्रोजेक्ट 15ए के अंतर्गत बना तीसरा एवं अंतिम विध्वंसक पोत 'चेन्नई' नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इस वर्ग के अन्य दो पोत, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोच्चि को क्रमशः अगस्त 2014 और सितंबर 2015 को नौसेना में कमीशन किया गया है। ये तीनों स्टील्थ विशेषताओं वाले विध्वंसक पोत हैं। स्टील्थ विशेषताओं के कारण ये आसानी से दुश्मन के राडार पर नहीं आते। इंजन से निकालने वाली गरम गैसें और धुएँ के कारण हमलावर मिसाइल के इंफ्रारेड उपकरण की पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन इन पोतों में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंजन से निकला 600-700 डिग्री सेल्सियस तक गरम एग्जास्त जब पोत की चिमनी (फनल) से बाहर वातावरण में आता है, तब तक ठंडा होकर मात्र लगभग 50 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। इससे यह इंफ्रारेड उपकरण की नजर से बच जाता है। पोत का ढांचा 9 डिग्री के एंगल पर डिजाइन किया जाता है, जिसके कारण दुश्मन के राडार द्वारा इसे पकड़ा नहीं जा सकता।

चेन्नई को नौसेना में कमीशन करने के साथ ही एमडीएल का विध्वंसक पोत बनाने का प्रोजेक्ट १५ए का काम समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ प्रोजेक्ट १५बी के चार विध्वंसक पोत बनाए जा रहे हैं, जिनमें से पहला विशाखापतनम का जलावतरण अप्रैल 2016 में किया गया था। इसे 2018 तक नौसेना को सौंपने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 15बी के चार विध्वंसक पोत 2024 तक तैयार होने की संभावना है। इसके अलावा जल्दी प्रोजेक्ट 17ए के अंतर्गत चार फ्रीगेट बनाए जाएंगे। इसी प्रोजेक्ट के अन्य तीन पोत कोलकाता स्थित जीआरएसई में बनाए जाएंगे।

विध्वंसक पोत चेन्नई पर दो हेलीकाप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह जहाज और पनडुब्बी विनाशक हथियारों से भी लैस है। इस वर्ग के तीनों पोत - कोलकाता, कोच्चि और चेन्नई पर बीईएल में बने कई इलेक्ट्रॉनिक कमान व कंट्रोल उपकरण तथा इजरायल में बने एमएफ - स्टार बैंड मल्टीफंक्शन रेडार व सर्विलांग रेडार आदि भी लगे हैं। ये पोत बराक-8 और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से भी लैस हैं।

चेन्नई की विशेषताएँ:

विस्थापन क्षमता: 7500 टन
लंबाई: 163 मीटर (535 फीट)
चौड़ाई: 17.4 मीटर (57 फीट)
रफ्तार: 30 मील प्रति घंटा (लगभग 56 कि.मी.)
इंजन: यूक्रेन का जोरिया इंज

डॉ. अबुल पकिर जैनुलआब्दीन अब्दुल कलाम

महीप गोयल
प्रबंधक (मा. सं. समवाय एवं पी15ए योजना)

चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉ. अबुल पकिर जैनुलआब्दीन अब्दुल कलाम भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं, जो देश के राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न" से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ वे देश के इकलौते राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने आजन्म अविवाहित देश सेवा का व्रत लिया है।

मिसाइलमैन ए.पी.जे. अबुल कलाम

अबुल कलाम का जन्म:

अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आब्दीलन नाविक थे। वे पाँच वक्त के नमाजी थे और दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कलाम की माता का नाम आशियम्मा था। वे एक धर्मपरायण और दयालु महिला थीं। सात भाई-बहनों वाले परिवार में कलाम सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें अपने माता-पिता का विशेष दुलार मिला।

पाँच वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में कलाम की शिक्षा प्रारम्भ हुई। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक बहुत प्रभावित हुए और उनपर विशेष स्नेह रखने लगे। एक बार बुखार आ जाने के कारण कलाम स्कूल नहीं जा सके। यह देखकर उनके शिक्षक मुत्थुश जी काफी चिंतित हो गये और वे स्कूल समाप्त होने के बाद उनके घर जा पहुँचे। उन्होंने कलाम के स्कूल न जाने का कारण पूछा और कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो वे नि:संकोच कह सकते हैं।

कलाम का बचपन बड़ा संघर्ष पूर्ण रहा। वे प्रतिदिन सुबह चार बजे उठ कर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। वहाँ से ५ बजे लौटने के बाद वे अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते, फिर घर से तीन किलोमीटर दूर स्थित धनुषकोड़ी रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम-घूम कर बेचते। 8 बजे तक वे अखबार बेच कर घर लौट आते। उसके बाद तैयार होकर वे स्कूल चले जाते। स्कूल से लौटने के बाद शाम को वे अखबार के पैसों की वसूली के लिए निकल जाते।

कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने-पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थीं। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ रोटियाँ कम खाई जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था। इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में दो रोटियाँ अवश्य दिया करती थीं। एक बार उनके घर में खाने में गिनी-चुनी रोटियाँ ही थीं। यह देखकर मां ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। उनके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़ कर माँ से लिपट गये।

प्राइमरी स्कूल के बाद कलाम ने श्वार्ट्ज हाईस्कूल, रामनाथपुरम में प्रवेश लिया। वहाँ की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची में प्रवेश लिया। वहाँ से उन्होंने भौतिकी और गणित विषयों के साथ बी.एस.सी. की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.आई.टी.), चेन्नई का रूख किया। वहाँ पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया।

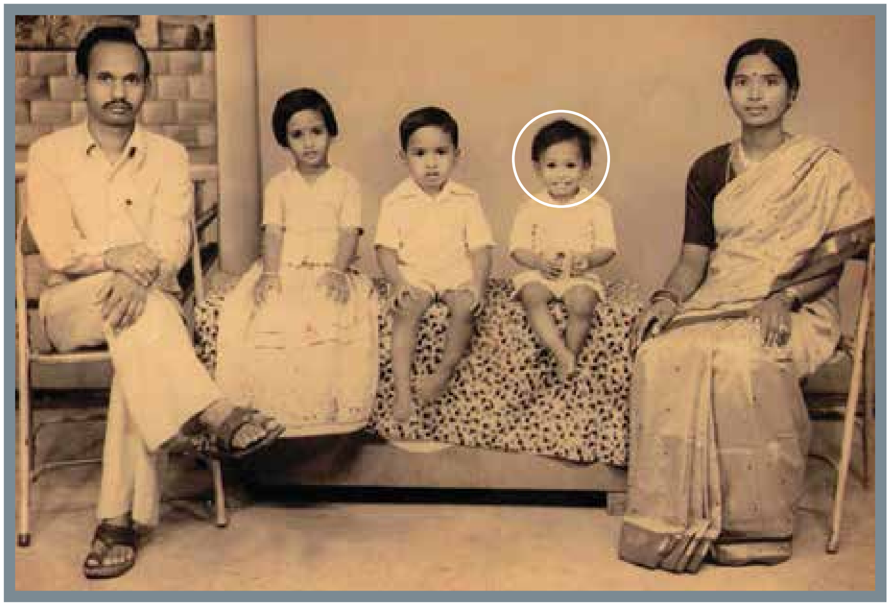

कलाम के बचपन का चित्र :

कलाम के जीवन का स्वर्णिम सफर:

कलाम की हार्दिक इच्छा थी कि वे वायु सेना में भर्ती हों तथा देशक की सेवा करें। किन्तु इस इच्छा के पूरी ने हो पाने पर उन्होंने बे-मन से रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पाद डीटीडी एवं पी (एयर) का चुनाव किया। वहाँ पर उन्होंने 1958 में तकनीकी केन्द्र (सिविल विमानन) में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ पहले ही साल में एक पराध्वनिक लक्ष्यभेदी विमान की डिजाइन तैयार करके अपने स्वर्णिम सफर की शुरूआत की। डॉ. कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब वे 1962 में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन" (Indian Space Research Organisation-ISRO) से जुड़े। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने अपने निर्देशन से उन्नत संयोजित पदार्थों का विकास आरम्भ किया। उन्होंने त्रिवेंद्रम में स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी सेंटर (एस.एस.टी.सी.) में 'फाइबर रिइनफोर्स्ड प्लास्टीक" डिवीजन (Fibre Reinforced Plastics - FRP) की स्थापना की। इसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर आम आदमी से लेकर सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरूआत की।

उन्हीं दिनों इसरो में स्वदेशी क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 'उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम" (Satellite Launching Vehicle-3) की शुरूआत की। कलाम की योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें इस योजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए एक भरोसेमंद प्रणाली का विकास एवं संचालन। कलाम ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर इस योजना को भलीभाँति अंजाम तक पहुँचाया तथा जुलाई 1980 में 'रोहिणी' उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित करके भारत को 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब" के सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया।

डॉ. कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षामंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. वी.एस. अरूणाचलम

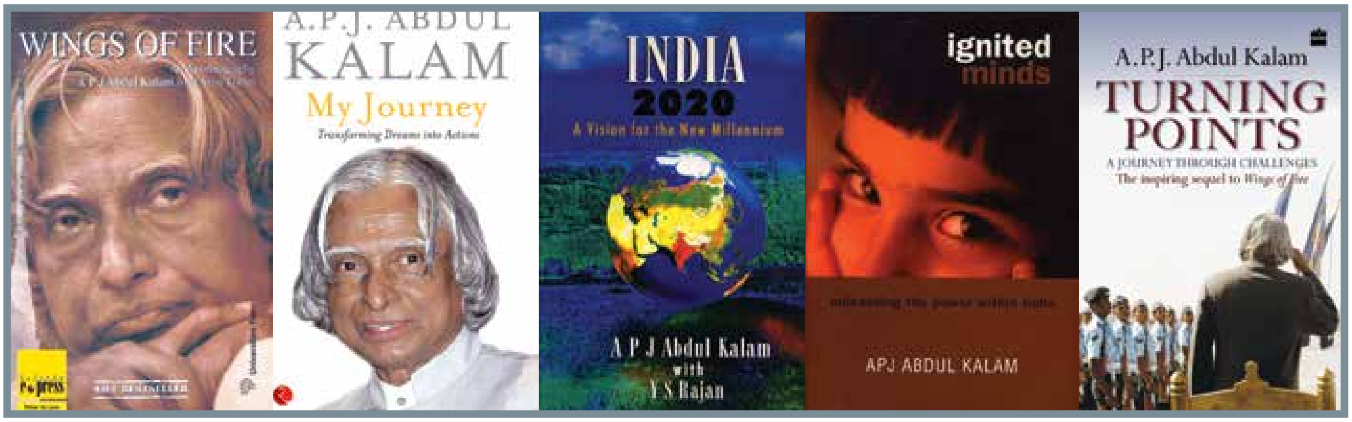

के मार्गदर्शन में 'इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम' (Integrated Guided Missle Development Programme-IGMDP) की शुरूआत की। इस योजना के अंतर्गत 'त्रिशुल' (नीची उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों, विमानों तथा विमानभेदी मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम), 'पृथ्वी'(जमीन से जमीन पर मार करने वाली, 150 किमी तक अचूक निशाना लगाने वाली हल्की मिसाइल), 'आकाश' (15 सेकंड में 25 किमी तक जमीन से हवा में मार करने वाली यह सुपरसोनिक मिसाइल एक साथ चार लक्ष्यों पर वार करने में सक्षम), 'नाग' (हवा से जमीन पर अचूक मार करने वाली मिसाइल) एवं 'ब्रह्मोस (रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल, ध्वनि से भी तेज चलने तथा धरती, आसमान और समुद्र में मार करने में सक्षम) मिसाइलें विकसित हुईं।

इन मिसाइलों के सफल प्रेक्षण ने भारत को उन देशों की कतार में ला खड़ा किया, जो उन्नत प्रौद्योगिकी व शस्त्र प्रणाली से संपन्न हैं। रक्षा क्षेत्र में विकास की यह गति इसी प्रकार बनी रहे, इसके लिए डॉ. कलाम ने डिपार्टमेन्ट ऑफ डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डी.आर.डी.ओ. (Defence Research and Development Organisation-DRDO) का विस्तार करते हुए आर.सी.आई. नामक एक उन्नत अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की।

डॉ. कलाम ने जुलाई 1992 से दिसम्बर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा डी.आर.डी.ओ. के सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। उन्होंने भारत को 'सुपर पॉवर" बनाने के लिए 11 मई और 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की।

डॉ. कलाम नवम्बर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। इस दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। उन्होंने भारत के विकास स्तर को विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की तथा अनेक वैज्ञानिक प्रणालियों तथा रणनीतियों को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवम्बर 2001 में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। उन्होंने अपनी सोच को अमल में लाने के लिए इस देश के बच्चों और युवाओं को जागरूक करने का बीड़ा लिया। इस हेतु उन्होंने निश्चय किया कि वे एक लाख विद्यार्थियों से मिलेंगे और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का कार्य करेंगे।

डॉ. कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वे 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे। वह अपने देश भारत को एक विकसित एवं महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। उनके पास देश को इस स्थान तक ले जाने के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी कार्य योजना है। उनकी पुस्तक 'इण्डिया 2020' में उनका देश के विकास का समग्र दृष्टिकोण देखा जा सकता है। वे अपनी इस संकल्पना को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि इसके लिए भारत को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान देना होगा।

डॉ. अबुल कलाम की पुस्तकें :

डॉ. अबुल कलाम भारतीय इतिहास के ऐसे पुरुष हैं, जिनसे लाखों लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अरूण तिवारी लिखित उनकी जीवनी 'विंग्स ऑफ फायर" (Wings of Fire) भारतीय युवाओं और बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उनकी लिखी पुस्तकों में 'गाइडिंग सोल्सः डायलॉग्स ऑन द पर्पज ऑफ लाइफ" (Guiding Souls Dialogues on the Purpose of Life) एक

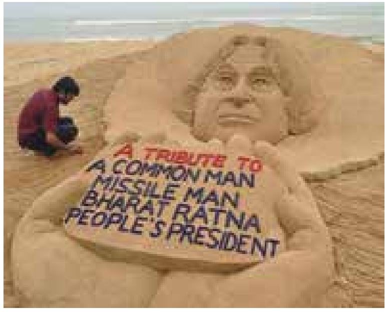

गंभीर कृति है, जिसके सह लेखक अरूण के. तिवारी हैं। इसमें उन्होंने अपने आत्मिक विचारों को प्रकट किया है। इनके अतिरिक्त उनकी अन्य चर्चित पुस्तकें हैं - 'इगनीटेड माइंड्स : अनलीशिंग दा पॉवर बिदीन इंडिया" (Ignited Minds:Unleashing The Power of India), 'एनविजनिंग अन एमपावर्ड नेशन: टेक्नोलॉजी फॉर सोसायटल ट्रांसफारमेशन" (Envisioning an Empowered Nation:Technology for Societal Transformation), 'डेवलपमेंट्स इन फ्ल्यूड मैकेनिक्स एण्ड स्पेस टेक्नोलॉजी" (Developments in Fluid Mechanics and Space Technology), सह लेखक - आर. नरसिम्हा, '2020: ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम" (2020-A Vision for the New Millennium), सह लेखक - वाई.एस. राजन, 'इनविजनिंग ऐन इम्पॉवर्ड नेशन : टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रॅांसफॉरमेशन" (Envisioning an Empowered Nation:Technology for Societal Transformation) सह लेखक - ए. सिवाथनु पिल्ललई।

डॉ. कलाम ने तमिल भाषा में कविताएँ भी लिखी हैं, जो अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उनकी कविताओं का एक संग्रह 'द लाइफ ट्री' (The Life Tree) के नाम से अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई है।

कलाम को मिलने वाले पुरस्कार / सम्मान:

डॉ. कलाम की विद्वता एवं योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए सम्मान स्वरूप उन्हें अन्ना युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्याणी विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, रूड़की विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, भारतीदासन छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, कामराज मदुरै विश्वविद्यालय, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आई.आई.टी. दिल्ली, आई.आई.टी. मुंबई, आई.आई.टी. कानपुर, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस, सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, मनीपाल एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग 'डॉक्टर ऑफ साइंस" की मानद उपाधियाँ प्रदान की।

इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद ने उन्हें 'पी.एच.डी." (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) तथा विश्वभारती शान्ति निकेतन और डॉ. बाबासाहब भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद ने उन्हें 'डीलिट" (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर) की मानद उपाधियाँ प्रदान की।

इनके साथ ही साथ वे इण्डियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इण्डियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलुरू, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के सम्मानित सदस्य, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के मानद सदस्य, इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया के प्रोफेसर तथा इसरो के विशेष प्रोफेसर हैं।

डॉ. कलाम की जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के महानायक की तरह रही है। उनके द्वारा किये गये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के कारण उन्हें विभिन्न संस्थाओं ने अनेकानेक पुरस्कारों/ सममानों से नवाजा है। उनको मिले पुरस्कार / सम्मान निम्नानुसार हैं:

नेशनल डिजाइन एवार्ड - 1980 (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, भारत)
डॉ. बिरेन रॉय स्पेस अवार्ड - 1986 (एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया)
ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार
राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार - 1990 (मध्य प्रदेश सरकार)
आर्यभट्ट पुरस्कार - 1994 (एस्ट्रोपनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया)
प्रो. वाई. नयूडम्मा (मेमोरियल गोल्ड मेडल - 1996 (आंध्र प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज)
जी.एम. मोदी पुरस्कार - 1996
एच. के. फिरोदिया पुरस्कार - 1996, वीर सावरकर पुरस्कार - 1998 आदि

उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इन्दिरा गाँधी पुरस्कार (1997) भी प्रदान किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें क्रमशः पद्मभूषण (1981), पद्म विभूषण (1990) एवं 'भारत रत्न" सम्मान (1997) से भी विभूषित किया गया।

सादा जीवन जीने वाले तथा उच्च विचार धारण करने वाले डॉ. कलाम ने 27 जुलाई, 2015 को अपने जीवन की आखिरी सांस ली। वे अपनी उन्नत प्रतिभा के कारण सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों की नजर में महान आदर्श के रूप में स्वीकार्य रहरे हैं। भारत की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु आने वाली अनेक नस्लें उनके महान व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी।

कोलाबा

योगीराज पोतनीस
सहायक प्रबंधक
(मा सं अधिकारी)

कोलाबा नाम पुर्तगालियों के इस द्वीप में आने से पूर्व इस द्वीप के मूल निवासी कोलियों की भाषा का शब्द कोलभात से लिया गया है। वर्तमान समय का कोलाबा मूलतः दो द्वीपों से निर्मित था : कोलबा और लिटिल कोलाबा। कोलाबा पुर्तगालियों द्वारा शासित सात द्वीपों में से एक था।

इस भूमि को पुर्तगालियों ने खंभात के सुल्तान से बेसिन की संधि (1534) में प्राप्त किया था। ब्रागांजा कैथरीन से विवाह पर इस द्वीप समूह को पूर्तगालियों ने ब्रिटीश चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था। इंग्लैंड का राजा की ओर से पहले गवर्नर सर हांफरी कूक ने बंबई का अधिकार लिया था। 10 पाउंड वार्षिक भाड़ा के आधार पर बंबई के द्वीपों को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। सन् 1743 में, ब्रिटिश कोलाबा को यह रिचर्ड ब्रिटेन ने रूपये 200 वार्षिक पट्टा पर दिया गया था और इसका सन् 1764 में नवीनीकरण किया गया। सन् 1796 तक कोलाबा सैनिक छावनी में बदल गया था। उस समय कोलाबा विविध मछलियों के लिए जाना जाता था। जिसमें बोम्बिल, रावस, हलवा, केकड़ा, झींगा और लॉबटर्स थे।

घोड़ा द्वारा खींचा जाने वाला ट्राम सन् 1873 में स्टेंस एवं केतरेज द्वारा शुरू किया गया, इसका ऑफिस कोलाबा कॉजबे के पश्चिम में स्थित था जहां आज इलेक्ट्रिक हाउस स्थित है।

दक्षिण क्षेत्र में सन् 1875 में प्रोंगस लाइटहाउस का निर्माण किया गया। बीबी एवं सीआई रेलवे ने कोलाबा रेलवे टर्मिनस को स्थापित किया, जो अब बद्धवार पार्क में तब्दील हो गया है। कोलाबा के इस विकास ने इस क्षेत्र में रह रहे मूल निवासी कोलियों को इस द्वीप के अंतिम सीमा तक ढकेल दिया है।

आज का कोलाबा बड़े-बड़े स्मारकों का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिसमें गेट-वे-ऑफ इंडिया, रीगल सिनेमा, कैफे तथा ताज महल होटल एवं टॉवर हॉटेल शामिल है। कोलाबा का दक्षिणी छोर सैनिक छावनी द्वारा अधिकृत है, जिसमें नेवी नगर का एक बड़ा हिस्सा समाहित है जो पहले होलिडे कैंप के नाम से जाना जाता था।

कोलाबा काजवे को आजकल शहिद भगत सिंह रोड कहा जाता है। यह आज व्यापारिक गली है जो पुराने मुख्य काजवे और ओल्ड वुमेन लैंड के बीच जुड़ा हुआ है। यह फोर्ट एरिया और कफ परेड के पूर्वी क्षेत्र से संबद्ध है। यहाँ पर पड़ोस में दक्षिण मुंबई का मार्केट है। इस क्षेत्र में मुंबई के प्रसिद्ध लैंड मार्क गेट वे ऑफ इंडिया और ताजमहल पैलेस एवं टॉवर हैं।

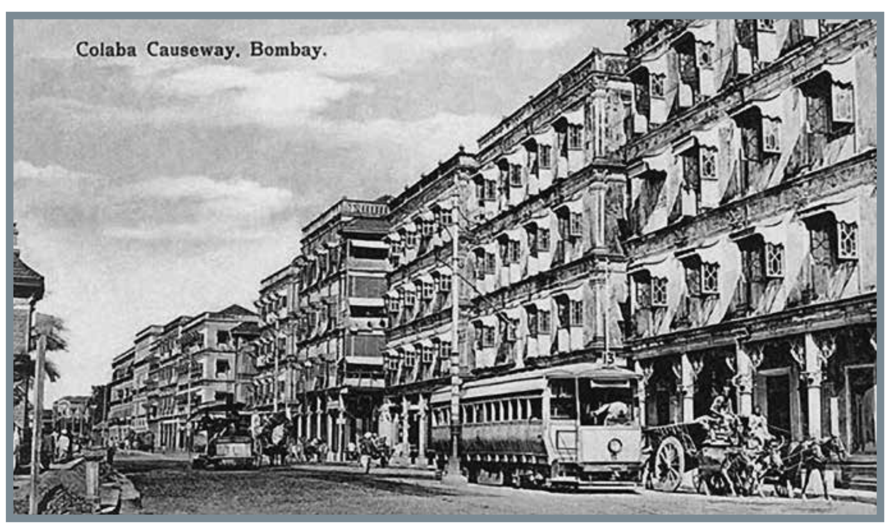

कोलाबा काजवे 1875

19वीं सदी के आरंभ में फोर्ट एरिया और पुराने शहर के हिस्से में बहुत भीड़-भाड़ होती थी जैसे कि कोलाबा को आखिरी छोर वाले द्वीप को बहुत पहले से सन् 1796 में कंटोमेंट एरिया (सैनिक क्षेत्र) घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण इसक्षेत्र में आम जनता के लिए आवास निर्माण पर मनाही थी। शीघ्र ही कुछ दशकों के बाद इस क्षेत्र में बोट ट्रैफिक बढ़ गई, जिसके कारण नावों में क्षमता से अधिक लोगों के चढ़ने से उलट जाती थी और अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जिसके कारण काजवे के निर्माण कार्य में बाधा आ जाती थी।

पुराने कोलाबा का चित्र 1796

दूसरा कारण यह भी था कि तत्कालीन मुंबई के गवर्नर माउंट स्टुआर्ट एल्फिस्टन ने 1827 के दौरान अपना घर पहले से मलवार हिल में बनवा लिया था, जिसके कारण इस क्षेत्र के संपन्न लोग उनका अनुसरण करते हुए तेजी से शहर के केंद्र में स्थानांतरित होने लगे थे।

कोलाबा में पुराना चैपल 1839

फोर्ट की एक ऐतिहासिक इमारत

स्थानीय लोगों द्वारा जिसे आजकल काजवे कहा जाता है, इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई के गवर्नर सर रॉबर्ट ग्रांट के सेवा काल में बनवाया गया था। यह कार्य 1838 में पूरा हुआ, जिसमें ओल्ड वुमन्स आइलैंड इसके अंग के रूप में जोड़ लिया गया था। क्योंकि आरंभ में कोलाबा के आइलैंड आपस में जुड़े हुए नहीं थे (मुंबई के सात टापुओं के अलावा)। इन टापुओं को सन् 1675 में आपस में मुंबई से जोड़ा गया था, लेकिन सन् 1839 से पहले कोलाबा में आवागमन केवल लो टाइड के दौरान ही हो पाता था, फिरभी शीघ्र ही इस क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य आरंभ हुआ।

आज इसे मुंबई का सांस्कृतिक चौक कहा जाता है। इस क्षेत्र की वास्तुरचना पुराने मुंबई का स्मरण कराती है। इसका प्रमाण है इस क्षेत्र की बिल्डिंगें जैसे आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी, रीगल सिनेमा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, और कसरो बाग जो पारसी लोगों की आवासीय कॉलोनी है, इसका निर्माण सन् 1934 में 84,000 वर्ग गज में कराया गया था। यहाँ 500 पारसी परिवार रहते थे। इसके अलावा यह क्षेत्र अनेक कला दीर्घाओं का केंद्र हैं जो इस इलाके के कलाकार समुदाय के लिए स्वाभाविक ठिकाना बनता है। बड़े-बड़े रिटेल शोरूम के अलावा यहाँ छोटी-छोटी दुकानें भी हैं जो

इलेक्ट्रिक, कोसमेटीक और संगीत के उपकरणों की व्यवसाय करती हैं। कई दशक पहले से यहाँ फुटपात पर पुस्तकों की दुकानें हैं। अनेकों छोटी दुकानों और फुटपाथ पर हरेक प्रकार का सामान बिकता है, जिसमें

कोलाबा कॉजवे का एक चित्र 1934

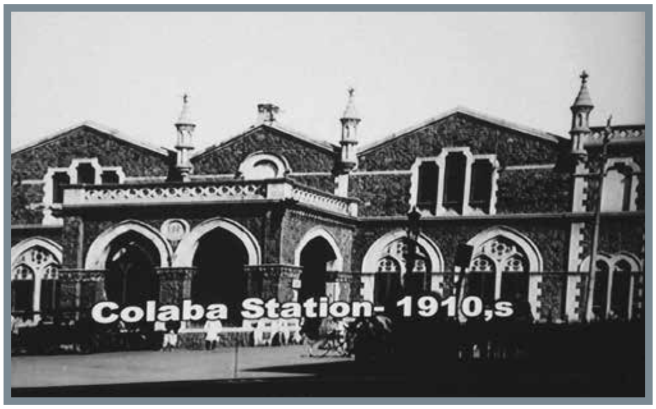

सन 1910 कोलाबा स्टेशन का चित्र

कोलाबा की रेल लाइन 1928

कलाकृतियों से लेकर शाल, कार्पेट और छोटी दुर्लभ वस्तुओं से लेकर सभी प्रकार के स्लीपर मिलते हैं। जिसके कारण पर्यटकों की भीड़ दक्षिण मुंबई में पूरे वर्ष भर लगी रहती है। महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट, कैफे और रोड साइड में खाने की दुकानों के कारण यहाँ की गलियाँ सैलानियों और स्थानीय लोगों से भरी रहती हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण होटलों में भारतीय और मुगलाई भोजन के प्रसिद्ध दिल्ली दरबार रेस्टोरेन्ट, पिकाडली, कैलाश पर्वत और गोकुल हैं।

यहाँ कैफे मेडेगर और कैफे लियोपोल्ड की स्थापना सन् 1871 में ईरानी लोगों ने किया था।

कोलाबा रेलवे स्टेशन

सन् 1896 से पहले कोलाबा स्टेशन का निर्माण किया गया था। जहाँ से ट्रेन बैकबे से होते हुए उपनगरों की ओर चलती थी। उस समय ट्रेन स्टीम से चलाई जाती थी, जिसमें निरंतर धुआँ निकलता था। इस ट्रेन का उपयोग फोर्ट और कोलाबा रहने वाले लोग सन् 1930 तक करते रहे। बढ़ते यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह रेलवे स्टेशन पर्याप्त नहीं था और इसके विस्तार के लिए जगह भी नहीं थी। इसलिए इस स्टेशन को बंद कर नया रेलवे स्टेशन चर्चगेट में सन 1930 में निर्मित किया गया। कोलाबा स्टेशन आज के बधवार पार्क में स्थित था।

कोलाबा स्टेशन से मरीन लाईन्स तीसरा स्टेशन था। फ्रंटियर मेल का शुभारंभ 01 सितंबर 1928 को कोलाबा टर्मिनस से बीबी एंड सी कंपनी द्वारा मुख्य स्टेशन के रूप में किया गया था। बाद में इसका नाम पश्चिम रेलवे रखा गया। सन् 1930 से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट में है यह काले पत्थरों से बनी शानदार इमारत है।

निराला की विनोदप्रियता

विरेश पांचाल
मुप्र (गु.आ)

सन् 1948 में जबलपुर हितकारिणी महाविद्यालय के छात्रों ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वह रेल से गंतव्य को चले। विद्यार्थियों का समूह उनकी अगवानी करने रेलवे स्टेशन पहुँचा। जैसे ही उनकी ट्रेन आकर रूकी, विद्यार्थी निराला जी को द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में तलाशने लगे, किन्तु वह नहीं मिले। थोड़ी देर बाद निराला जी तृतीय श्रेणी के डिब्बे में से उतरे। महाकवि को देखेत ही विद्यार्थियों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और जय-जयकार करने लगे। निराला जी एक लंबा कुर्ता पहने हुए थे, लेकिन कुर्ते की एक बांह फटी हुई थी। निराला जी छात्रों के साथ-साथ बाजार होते हुए महाविद्यालय की ओर चल दिए। एक छात्र ने भाव-विभोर होकर उनके लिए बाजार से एक लंबा कुर्ता खरीद लिया। निराला जी ने कुर्ते को सहर्ष स्वीकार कर पहन लिया और हँसकर कहने लगे, 'बच्चों के कार्यक्रम में आने का फायदा यह हुआ कि मुझे नया कुर्ता मिल गया।" कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। छायावादी काव्य-वचन परंपरा के शब्द-शिल्पकार महाकवि निराला ने अपनी कविता 'जागो फिर एक बार" जोश में पढ़ी, तो उनके नए कुर्ते की एक जेब उधड़ कर नीचे गिर गई। श्रोताओं में हास्य की लहर दौड़ गई। निराला जी ने भी चुटकी लेते हुए कहा, 'हम फटा हुआ कुर्ता पहनकर आए थे, फटा हुआ कुर्ता पहनकर ही जाएंगे।" यह सुनकर श्रोता खूब ठहाके लगाकर हंसने लगे। अपने इसी विनोद स्वाभव के कारण महाकवि निराला जी की श्रोताओं व समकालीन कवियों में एक अलग पहचान थी। इस पहचान ने ही उन्हें छायावादी का महकाविं बना दिया। अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों को भी उन्होंने इस विनोदी स्वाभव की वजह से परास्त कर दिया था।

अफगान चर्च

कृष्ण चन्द्र प्रधान
प्रबंधक (मा.सं अधिकारी)

सेंट जॉन द इवाङ्गेलिस्ट चर्च जिसे अफगान चर्च के नाम से जाना जाता है, मुंबई का एक एंग्लिकन चर्च है। अफगान चर्च का निर्माण वास्तव में ब्रिटिश सत्ता के काबुल में सन् 1938 एवं 1842 अफगान युद्ध में अनर्थकारी हार में मारे गए सैनिकों की याद में बनवाया गया स्मारक प्रतीक है। इस युद्ध में लगभग 16,000 सैनिकों की सेना अफगान योद्धाओं के सामने समाप्त हो गई थी और एक मात्र डॉ. विलियम ब्रीडन उस भयंकर युद्ध में बचे थे। उन्होंने युद्ध की भीषणता का वर्णन दुनिया के सामने किया। यह चर्च दक्षिण मुंबई, के कोलाबा क्षेत्र नेवी नगर में स्थित है।

पहला एंग्लिकन चर्च नेवी नगर से एक किलोमीटर दक्षिण में फूस के छत से बना था। पहले इसमें बैठने के लिए एक भी चेयर नहीं थी। प्रार्थना करने वाले अपनी चेयर स्वयं ले कर आते थे। बाद में सरकार ने जमीन का एक हिस्सा चर्च की स्थापना के लिए दिया ताकि चर्च तक आने के लिए बन्दरगाह के जहाजों के लिए एक प्रमुख चिन्ह साबित हो सके।

नए चर्च का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा में सन् 1840 में रिवरेंट जार्ज पिगोट, चैपलिन द्वारा आरंभ किया गया। मार्च 1843 में ऑक्सफोर्ड सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द स्टडी ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर को नए चर्च के रूपांकन के लिए रिवरेंट जार्ज पिगोट से अनुरोध प्राप्त हुआ।

उसी वर्ष नवंबर में अंग्रेजी वास्तुकार जॉन मैकडफ डेरिक ने सोसाइटी के समक्ष नए चर्च का डिजाइन प्रस्तुत किया। हालांकि, जून 1845 में प्रतिउत्तर में भारत सरकार ने कहा कि यह डिजाइन इस चर्च के लिए अनुपयुक्त है इससे भवन का कुल खर्च अधिक हो जाता है। (जनवरी 1824 में सरकार ने एक चैपल निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिया जिसकी लागत रूपए 28000 थी, लेकिन जब मुख्य अभियंता ने योजना भेजा तो अनुमानित लागत लगभग 74000 रूपये के आसपास हो रही थी। इसलिए कार्य रोक दिया गया)। अंततः सन् 1847 में इंग्लिश गोथिक रिवाइवल चर्च आर्किटेक्ट की योजना सीटी इंजीनियर हेनरी कोंयबेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

गवर्नर सर जॉर्ज रसल क्लर्क द्वारा 4 दिसंबर 1847 को चर्च के बुनियादी पत्थर की नींव रखी गई।

प्रसिद्ध वास्तुकार विलियम बटरफील्ड ने चर्च का वेदी-पटल, अफगान युद्ध के स्मारक का मोसाईक टाइल्स, मंच तथा आवरण का डिजाइन किया। चर्च को 7 जनवरी, 1858 को बंबई के बिशॉप जॉन हार्डिंग द्वारा लोकार्पण किया गया। इस चर्च के शिखर पर कुल रूपए 5,65,000 व्यय हुआ था और वह जून, 1865 में बनकर तैयार हुआ था।

इस भव्य भवन का निर्माण स्थानीय पीले बेसाल्ट और चुनापत्थर से किया गया है। अंदर की सुंदरता उसके विस्तृत गोथिक संरचना और खूबसूरत रंगीन काँच की खिड़की (स्टैंड ग्लास विंडो) से जानी जाती है। इस चर्च के प्रार्थनागृह का मध्यभाग और गलियारे की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। बटरफील्ड के टाईल्स ज्यामितिय फ्लोर आकृति में बनवाकर इंग्लैंड से मंगवाया गया था। पूर्व एवं पश्चिम की खिड़कियों को 19वीं सदी के रंगीन काँच के विशेषज्ञ विलियम वेलेस द्वारा डिजाइन किया गया था। बेल टावर के बड़े-बड़े

THIS CHURCH
WAS BUILT IN MEMORY OF
THE OFFICERS WHOSE NAMES ARE
WRITTEN ON THE WALLS OF THE CHANCEL
AND OF THE NON-COMMISSIONED OFFICERS
AND PRIVATE SOLDIERS, TOO MANY TO BE
SO RECORDED, WHO FELL, MINDFUL OF
THEIR DUTY, BY SICKNESS OR BY
THE SWORD, IN THE CAMPAIGNS OF
SIND AND AFGHANISTAN
A. D. 1838-1843.

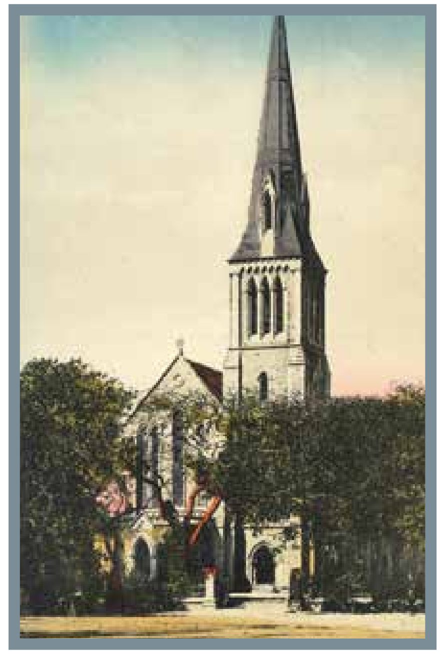

अफगान चर्च

आठ घंटियों को इंग्लैंड के टेलर बेलफाउन्डरी से सन् 1904 में लाया गया था, जो सम्पूर्ण पश्चिमी भारत में सर्वश्रेष्ठ बेलों में गिना जाता है। शिखर की ऊंचाई 198 फीट है। इस चर्च की दीवारें कुर्ला स्टोन से बनी हुई हैं और खंभे पोरबंदर स्टोन से बनाए गए हैं तथा चर्च की छत टिक वुड से बनी है।

वर्षों की उपेक्षा के बाद, सरकार ने इस चर्च को ग्रेड 1 मूल संरचना माना है। रूपये 30 लाख की निधि का प्रायोजन चर्च के खिड़कियों के पुनरूद्धार के लिए 2004 में निर्धारित किया गया था।

10 नवंबर 2013 को वेल्स के राजकुमार और कोर्नवल की डचेस 'रिमेंबरेंस संडे सर्विस'' में उपस्थित हुए थे।

इस चर्च में नियमित साप्ताहिक सेवाएँ होती हैं, जिसमें मूल रूप से नेवी नगर के निवासी भाग लेते हैं। आगंतुक ऐतिहासिक चर्च के आंतरिक रूप संरचना को देखने के लिए संरक्षक से अनुमति लेकर देख सकते हैं।

डेविड ससून

श्री श्रीनिवास सिन्हा
उमप्र (मा.सं. एवं हिन्दी)

डेविड ससून का जन्म बगदाद में हुआ था। उनके पिता सालेह ससून बगदाद के अमीर व्यापारी होने के अलावा बगदाद के गवर्नर के मुख्य खजांची एवं शहर के यहूदी समिति के अध्यक्ष थे।

वे इराकी यहूदी थे। उनकी माता का नाम अमाम गब्बई था। हिब्रू भाषा में पारंपरिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उनका विवाह हन्नाह से सन् 1818 में हुआ। सुश्री हन्नाह से दो पुत्र और दो पुत्रीयाँ पैदा हुई। सुश्री हन्नाह का निधन 1826 में हो गया। डेविड ने दूसरा विवाह दो वर्ष बाद फराह ह्यीम से किया जिससे उनको छ पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुई।

बगदादी यहूदी दावाद पाशा के बढ़ते अत्याचार के कारण ससून परिवार फारस से होते हुए बंबई में आकर बस गया। ससून ने बंबई में सन् 1832 तक मूलतः ब्रिटिश वस्त्र फर्म और गल्फ सामग्री व्यापारी के बीच बिचौलिया का काम आरंभ किया। जहाँ से आगे चलकर उन्होंने मूल्यवान समुद्री संपत्तियों में निवेश करना शुरू किया। उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी पारसी थे, जिनका व्यवसायिक लाभ सन् 1820 से चीनी-भारत अफीम व्यापार पर आधारित था।

जब नांकिंग की संधि ने चीन को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया, तो ससून ने अपने वस्त्र व्यापार को त्रिकोणीय व्यापार लाभ में विकसित किया। भारतीय कपास और अफीम चीन के बाजार में बेचा जाता था और वहाँ से खरीदी गई सामग्री को ब्रिटेन में बेचकर, बदले में लंकाशायर कपास उत्पाद खरीदा जाता था। डेविड ससून ने अपने पुत्र एलिस डेविड ससून को कैंटोंन भेजा जहाँ वह 24 पारसी प्रतिद्वंदियों में पहला यहूदी व्यापारी था। सन् 1845 में डेविड ससून एंड कंपनी की शुरूआत की गई जो जल्दी ही ब्रिटिश अनुमोदन से शंगाई की बड़ी कंपनी बनकर सामने आई। शीघ्र ही यह फर्म व्यवसाय का दूसरा व्यापारिक केंद्र बन गई।

सन् 1844 में डेवीड ससून ने हांगकांग में एक शाखा खोली। और एक वर्ष बाद शंघाई शाखा बंड नामक स्थान पर खोली जो अफीम व्यापार में नगदी का मुख्य स्त्रोत साबित हुई।

सन् 1860 तक ससून ने बगदादी यहूदी समुदाय पर पारसी प्रभुत्व से आगे बढ़कर उसकी अगुवाई करना शुरू किया। अमेरिकी गृह युद्ध ने उनको एक विशेष अवसर प्रदान किया, इस युद्ध के दौरान अशांत अमेरिकी कपास निर्यात का व्यापार दक्षिण से कम होता गया। लंकाशायर फैक्ट्रियों ने अमेरिकी कपास आयात के स्थान पर डेविड ससून के भारतीय कपास का आयात करना शुरू किया।

पारसी व्यापारी जैसे सर जमशेदजी जीजीभाई के साथ डेविड ससून भी अपना व्यापार चीन से करते रहे और जो धन उन्होंने कमाया उससे तेल का नया व्यापार शुरू किया। उनकी पहली मिल का नाम ई डी ससून मिल्स रखा गया। इस व्यवसाय से वह अत्यंत संपन्न हो गए। बाद में ससून सबसे ज्यादा मिलों के स्वामी बन गए और उन्हें बंबई के व्यापारी

डेविड ससून अपने तीन पुत्रों के साथ

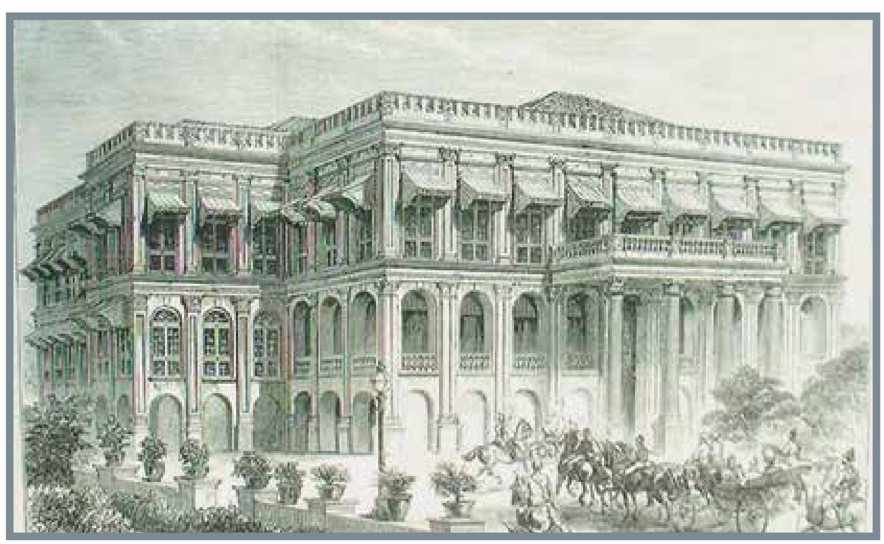

1860 में डेविड ससून का घर 'सान्स सौसी'

समाज में मिलों का बादशाह कहा जाने लगा। उनके पास कुल 17 मिलें थी। प्रत्येक मिल में लगभग 15000 से 20000 हजार मजदूर काम करते थे। आगे चलकर ससून ने कपास, फैब्रिक और विभिन्न अन्य उद्योगों से भी बड़े पैमाने पर जुड़ गए।

डेविड ससून एक कट्टर यहूदी थे, वे आजीवन यहूदी धर्म (सब्बथ) का पालन करते रहे। उस समय वह विधान सभा के सदस्य भी रहे थे।

वह शीघ्र ही अपने परिवार के साथ आलीशान भवन में रहने आ गए, जिसे उन्होंने पुनर्विन्यास कर 'भायखला बंगलो" नाम दिया था। इसे बाद में पारसी ट्रस्ट को दान कर दिया गया जो आज मसीना अस्पताल है। उसके पास ही रानी बाग (आज का जीजामाता उद्यान) भी उनकी ही संपत्ति थी, जिसे मुंबई नगरपालिका को एल्बर्ट म्यूजियम बनाने हेतु दान दिया था। इसका डिजाइन उस समय के प्रमुख वास्तुकार ने बनाया था। इसका आंतरिक रूप रचना मैगेन डेविड सभागृह और पुणे के ओहेल डेविड सभागृह के समान ही है। इसमें एक लंबा क्लॉक टावर है जिसे विक्टोरिया क्लॉक टावर कहते हैं।

हालांकि, डेविड ससून अंग्रेजी नहीं बोलते थे, लेकिन सन् 1853 में ब्रिटिश नागरिकता अनायास ही मिल गई। डेविड ससून ने अपना पहनावा और व्यवहार बगदादी यहूदी के अनुसार ही रखा। पर उन्होंने अपने बेटों को अंग्रेजी रीति-रिवाज अपनाने की छूट दी। उनके पुत्र, अब्दुल्लाह ने अपना नाम बदल कर एल्बर्ट किया और इंग्लैंड में जाकर बस गए। वहाँ उन्होंने रॉराथसचाइल्ड परिवार में विवाह किया। ऐसा माना जाता है कि यूरोप के सभी ससून डेविड के ही वंशज हैं। उन्होंने मुंबई के फोर्ट और भायखला में सभागृह का निर्माण किराया।

मसीना अस्पताल

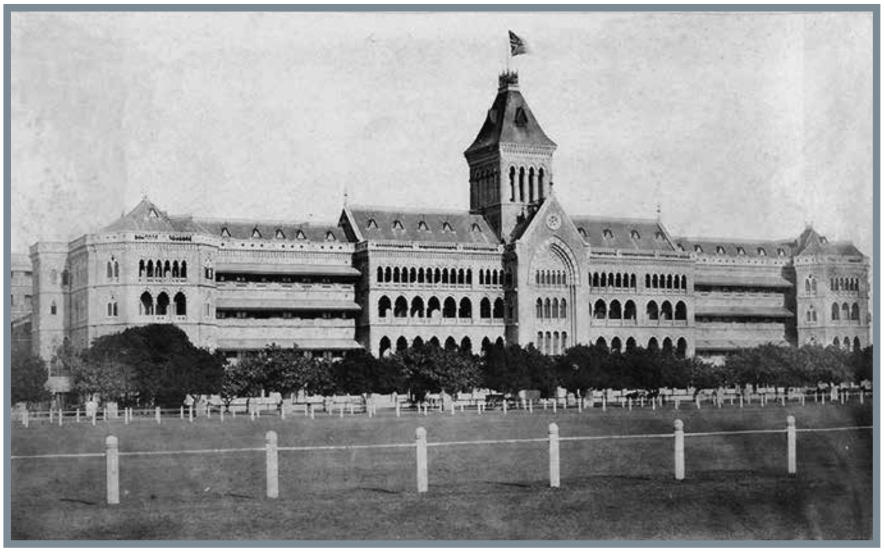

डेविड ससून अस्पताल पुणे

1) डेविड ससून पुस्तकालय :

यह प्रसिद्ध पुस्तकालय डेविड ससून ने आम जनता के लिए बनवाया था। आज यह भवन मुंबई की ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। इस पुस्तकालय को शहर के मध्य स्थापित करने का विचार एल्बर्ट ससून का था, जो डेविड ससून के बड़े पुत्र थे। डेविड ससून मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इस भवन का रूपांकन श्री जे कैम्पबेल और श्री जे ई गास्लिंग द्वारा स्कार मैकक्लीलैंड एस कंपनी के लिए रूपए 1,25,000 की लागत से तैयार किया था। कुल लागत में से 60,000 रूपए डेविड ससून ने दान दिया और शेष राशि मुंबई प्रेसीडेंसी द्वारा वहन किया गया था।

यह पुस्तकालय पुर्तगालियों और अंग्रेजों के

डेविड ससून की मूर्ति

शासनकाल में फोर्ट की सीमा में बनाया गया था। यह कालाघोड़ा क्षेत्र के नजदीक है। इस भवन का निर्माण सन् 1870 में पूरा हुआ था। इसमें पीले मालाडस्टोन का उपयोग किया गया था। यह एल्फिस्टन कालेज, सेना और नौसेना भवन एवं वाटसन होटल से सटा हुआ है। प्रवेश दीर्घा के ऊपर डेविड ससून की एक सफेद पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। यह संगमरमर की मूर्ति के शिल्पकार थॉमस वूलनर थे। ससून की यह खड़ी मूर्ति डेविड ससून पुस्तकालय की सीढ़ियों के सामने है। इस खड़े संगमरमर की मूर्ति का निर्माण सन् 1865 में किया गया और इसका लोकार्पण तत्कालीन मुंबई के राज्यपाल सर बर्टर्ले फ्रेरे ने किया था, जो शिल्पकार थॉमस वूलनर के मित्र थे। वूलनर की मजदूरी यहूदी समुदाय के व्यापारियों और ससून के इंग्लैंड के मित्रों ने भेजा था।

सन् 1847 में सरकारी टकसाल और मुंबई डॉकयार्ड में काम करने वाले तत्कालीन यूरोपियन कर्मचारियों ने यहाँ पर मैकेनिक इंस्टिट्यूशन लोगों को शिक्षा और व्याख्यान देने हेतु खोला था। वे लोग भाड़े के परिसर में काम करते रहे, जब तक उनके भवन का निर्माण नहीं हो गया था। यह सर डेविड ससून की उदारता थी। इस भवन का नाम डेविड ससून पुस्तकालय और रीडिंग रूम रखा गया है।

डेविड ससून पुस्तकालय

2) ससून डॉक :

यह डॉक मुंबई का सबसे पुराना डॉक है। जो आम जनता के लिए बनवाया गया। यह दक्षिण मुंबई के कफ परेड में स्थित है। यह मुंबई शहर का आज का सबसे बड़ा मछली मार्केट है। इसके बगल में महत्वपूर्ण संस्थान है - मुंबई पोर्ट ट्रस्ट गार्डन और फिशरी विभाग के कार्यालय आदि। इसके सामने थोड़ी दूर पर मुंबई हार्बर में ओएस्टर रॉक आइलैंड है। इस डॉक का निर्माण सन् 1875 में रिक्लेमेड लैंड पर डेविड ससून एंड कंपनी की मरकेटाइल एंड कंपनी द्वारा किया गया था। इस डॉक का स्वामित्व एल्बर्ट अब्दुल्लाह के पास था। डेविड ससून उस समय मुंबई में यहूदी समुदाय के नेता थे। यह पश्चिमी भारत का पहला कमर्शियल वेट डॉक था। इसके कारण कॉटन के व्यवसाय को स्थापित करने में सहायता मिली थी। ससून डॉक के प्रोत्साहन से तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी ने बड़े प्रिंसेस डॉक का निर्माण किया था। ससून की फैक्ट्री में सिल्क और कॉटन उत्पन्न किया जाता था और इसके कारण बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था।

मैगेन डेविड सभाघर

यह सभागृह मुंबई के भायखला में स्थित है। इसका निर्माण डेविड ससून ने सन् 1864 में विक्टोरियन शैली में करवाया था, क्योंकि उस समय बगदाद के गवर्नर और **वालि** दाऊद पाशा द्वारा फिरौती की रकम वसूलने के डर से बहुत से यहूदी भाग कर मुंबई आ गए थे और उनके लिए सभा गृह में जगह कम पड़ रही थी। सन् 1910 में भायखला के पास रहने वाले यहूदी समुदाय की संख्या इस सीमा तक बढ़ गई थी कि यह सभागृह सभी भक्तों की सेवा के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए डेविड ससून के पोते जैकब की सहायता से इसका विस्तार किया गया था। इस सभा गृह के भूतल पर दो यहूदी स्कूल चलाए जाते हैं जिनका नाम सर जैकब ससून हाईस्कूल ट्रस्ट और ई.ई.ई. हाईस्कूल ट्रस्ट है। जिसमें पहले मूल रूप से यहूदी समुदाय के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। समय के अनुसार

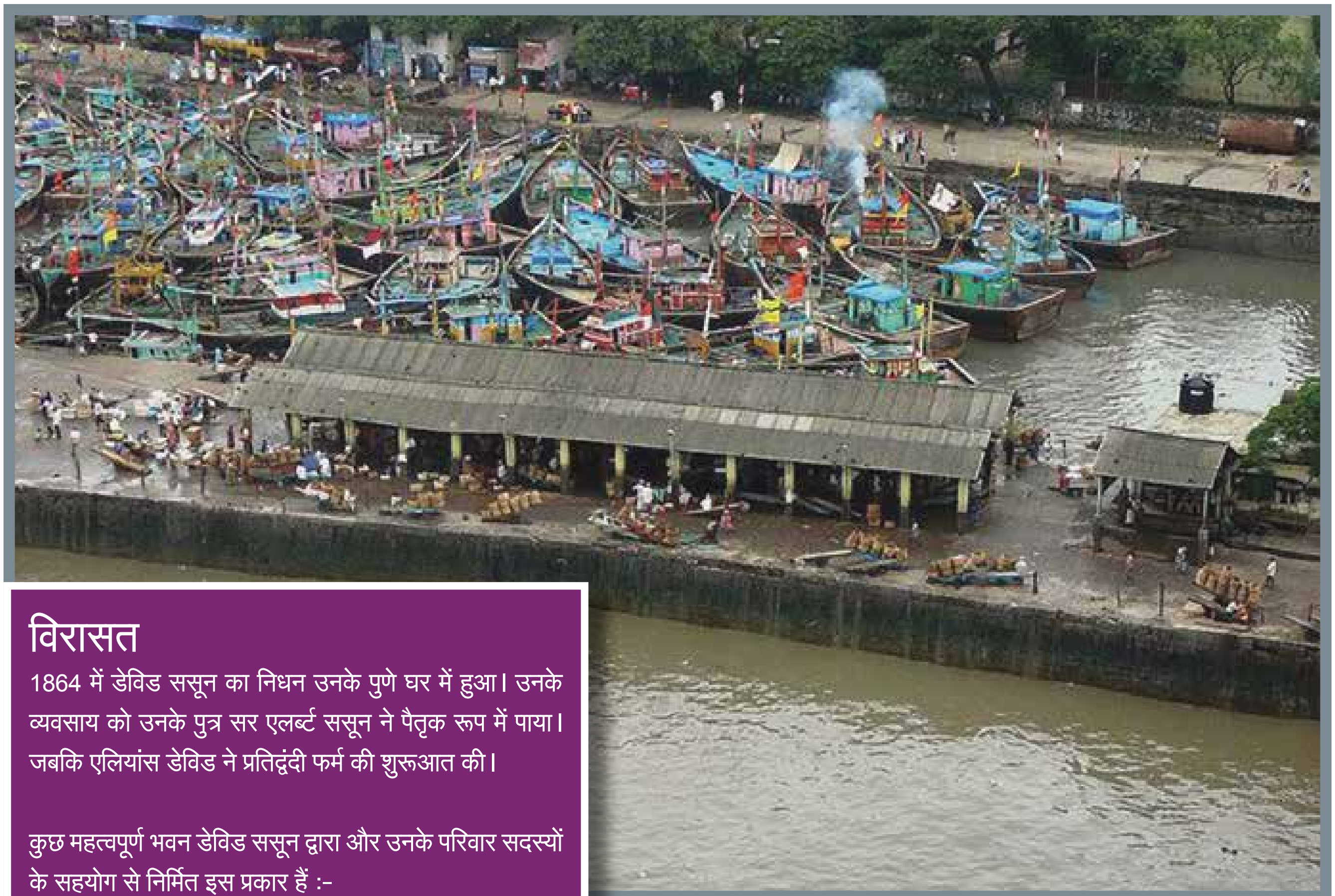

विरासत

1864 में डेविड ससून का निधन उनके पुणे घर में हुआ। उनके व्यवसाय को उनके पुत्र सर एलबर्ट ससून ने पैतृक रूप में पाया। जबकि एलियांस डेविड ने प्रतिद्वंदी फर्म की शुरूआत की।

कुछ महत्वपूर्ण भवन डेविड ससून द्वारा और उनके परिवार सदस्यों के सहयोग से निर्मित इस प्रकार हैं :-

डेविड ससून लाइब्रेरी, वाचनालय, फोर्ट, मुंबई

मैगन डेविड सभागृह, भायखला, मुंबई

ईईई ससून हाई स्कूल, भायखला, मुंबई

डेविड ससून अस्पताल, जेजे अस्पताल प्रांगण, भायखला, मुंबई

मसिना अस्पताल, भायखला, मुंबई

क्रेसेट एलियाहों सभागृह, कोलाबा, मुंबई

ससून डॉक, कोलाबा, मुंबई

एलफिस्टन टेक्नोलोजिकल स्कूल, परेल, मुंबई

डेविड ससून रिफार्रमरी और डेफ स्कूल, माटुंगा, मुंबई

विक्टोरिया गार्डन और अल्बर्ट म्यूजियम

ओहल डेविड सभागृह, पुणे

ससून अस्पताल, पुणे

लेडी रेचल ससून डिस्पेंसरी, पुणे

डेविड ससून वृद्धा आश्रम, पुणे।

ससून डॉक का एक चित्र

बगदादी यहूदी यहाँ से सम्पन्न कोलाबा क्षेत्र में चले गए अथवा विदेश या इजराइल, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा चले गए। यहूदी छात्रों की कमी के कारण अब यह स्कूल सभी समुदायों के लिए खोल दिए गए हैं और वर्तमान समय में इसके आस-पास रहने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 98 प्रतिशत मुसलमान हैं। सन् 2011 में इस सभागृह की 150वीं जयंती मनाने के अवसर पर इसका पुनरूद्धार किया गया।

ओहेल डेविड सभाघर

यह सभाघर पुणे में स्थित है, जिसे लालदेवल भी कहा जाता है। यह पुणे के मोलेडीना रोड पर स्थित है। इसका निर्माण सन् 1867 में मानवतावादी डेविड ससून द्वारा किया गया। यह अंग्रेजी गोथिक शैली में बना हुआ है। इसका रूपांकन हेनरी सेंट क्लेयर विलकिंस ने किया था। यह लाल ईंट और बालूवा पत्थर की संरचना है जो चर्च जैसा दिखाई देता है। इसका शिखर 90 फीट ऊंचा है, इसपर एक घड़ी लटकाई गई है, जिसे विशेष रूप से लंदन से मंगवाया गया था। यह भारत की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है यह आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। वर्तमान समय में केवल यहूदी लोगों को प्रवेश की अनुमति है। इस भवन का हाल ही में रंगाई कराई गई है। इसमें लगी घड़ी अब बंद हो गई है। इजराइल के बाहर यह सबसे बड़ा लाल देवल है।

हॉर्निमन सर्कल

के एन जानी
मु.प्र (प्रशासन)

हॉर्निमन सर्कल गार्डन दक्षिण मुंबई का सबसे बड़ा पार्क है। इसका क्षेत्रफल 12,081 स्क्वायर यार्ड है। यह मुंबई के फोर्ट जिला में अवस्थित है जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स हाउसों प्रिमियर बैंकों से घिरा हुआ है। दीवारों से घिरे शहर के मध्य में स्थित बड़ा खुला जगह के बीच में बड़े भवनों की कतारें हैं। जिसे 18वीं शताब्दी में बॉम्बे गार्डेन के नाम से जाना जाता था। और उसके आस-पास के जगह को एल्फिस्टन सर्कल कहा जाता था। भारतीय स्वाधीनता के पश्चात अग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रोनिकल्स के संपादक बेंजामिन हार्निमैन के सम्मान में इसका नामकरण किया गया। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता में भारतीयों को सहयोग किया था।

टाउन हॉल भवन के निर्माण की शुरूआत सन् 1821 में शुरू हुई, लेकिन 12 वर्ष तक यह पूरी न हो सकी। सन् 1842 तक यह जगह मलवा से घिरा हुआ था, जिसमें नारियल के छिलकों के अलावा कुछ नहीं था। पुलिस आयुक्त चार्ल्स फ्रोर्जेट्ट ने इसे हरियाली में तब्दील करने के लिए सोचा। इसके लिए उनको गवर्नर लॉर्ड एलफिस्टन और सर बर्टेल फरेरी का सहयोग प्राप्त हुआ। इस गार्डेन की योजना सन् 1869 में बनाई गई। और सन् 1872 में यह पूरी हुई। इस पूरे काम्प्लेक्स को लॉर्ड जॉन एलफिस्टन के नाम पर एलफिस्टन सर्कल कहा जाता था।

टाउन हाल और एल्फिस्टन सर्कल गार्डन सन् 1905

हार्निमैन सर्कल वार्षिक सूफी और रहस्यवादी गीत समारोह ‘रूहानीयत‘‘ का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यह ‘काला घोड़ा आर्ट समारोह‘‘ का भी मुख्य स्थान है, जहाँ विभिन्न गीत और नृत्य अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है।

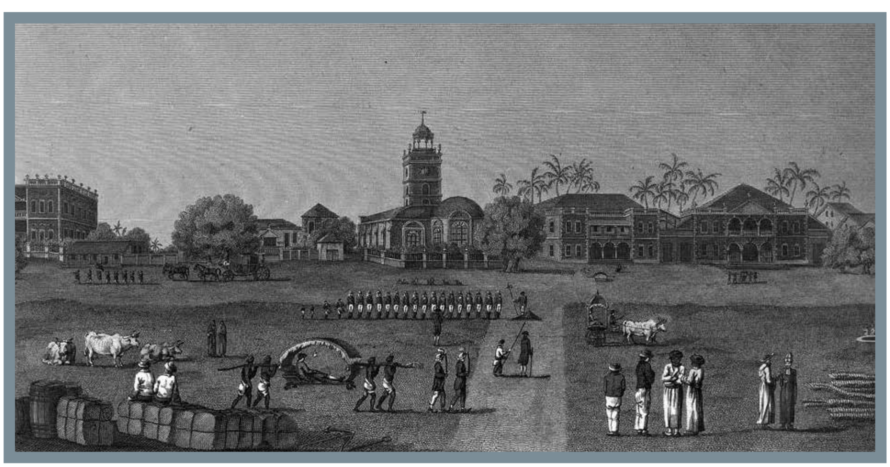

बॉम्बे ग्रीन का चित्र 1768

एल्फिस्टन सर्कल

टाइम्स ऑफ इंडिया भवन से सटा हार्निमन सर्कल

हार्निमैन सर्कल गार्डन

हार्निमैन सर्कल गार्डन दक्षिण मुंबई में एक बड़ा पार्क जिसका क्षेत्रफल 10101 मीटर है। यह मुम्बई के फोर्ट क्षेत्र में स्थित है और इसके चारो ओर कार्यालय परिसर की इमारतें हैं, जिसमें देशक के प्रमुख बैंकों के कार्यालय हैं। इस क्षेत्र का रूपांकन इस प्रकार किया गया है कि खुले स्थान के साथ शानदार इमारतें घेरेदार शहर के बीच मौजूद है, इसे 18वीं शताब्दी में बॉम्बेग्रीन के नाम से जाना जाता था और इसके चारों ओर के इलाके को एलफिस्टन सर्कल कहा जाता था।

इसमें बाहर जाने के लिए रास्ते हैं और चारों तरफ वृक्ष लगाए गए। बाद में इसका नाम एल्फिस्टन सर्कल रखा गया। एक अलंकृत फव्बारा बीच में लगाया गया था, लेकिन बाद में एक आधुनिक कला से सुसज्जित लोहे की पाइपों का रूपांकन तैयार किया गया। यह पार्क पारसी समुदाय का एक प्रिय सामाजिक स्थान था। मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी हार्निमैन सर्कल गार्डन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा सेंट थॉमस कैथेडरल का देखभाल करती है

बॉम्बे ग्रीन का चित्र 1768

हार्निमन सर्कल गार्डन

टाउन हाल और एल्फिस्टन सर्कल गार्डन

टाउन हाल और एल्फिस्टन सर्कल गार्डन सन् 1905

एल्फिस्टन सर्कल गार्डन सन् 1905

एल्फिस्टन सर्कल

टाइम्स ऑफ इंडिया भवन से सटा हार्निमन सर्कल

मुंबई की लोकल ट्रेन - सिखाती है जीवन जीना

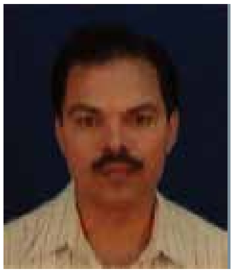

प्रमोद कुमार तिवारी
युद्ध पोत अधिदर्शी दल

मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन का दर्शन पहली बार मुझे तब हुआ जब मैं अपना प्रशिक्षण समाप्त कर, उस भीड़ का एक हिस्सा बन गया, जो रोज मुंबई में जीने के लिए एक अदद आशियाने तथा नौकरी के लिए जद्दोजहद करता है। यहाँ के लोगों की यह एक कोशिश रहती है, अपने सपनों को पंख देकर उसे पूरा करना। यहाँ बसने वाले लोगों को यही जुनून उन्हें बिंदास मुंबईकर के उपनाम की पहचान दिलाता है।

शुरूआती दिनों में मैंने अपने एक मित्र की सहायता से मुंबई के उपनगर कल्याण में एक फ्लॅट किराए पर लिया। उसी दोस्त ने यहाँ के लोकल ट्रेन के बारे में मुझे संक्षेप में तीन जानकारी दी कि यहाँ लोकल ट्रेन के तीन रूट हैं। ट्रेन भी तीन तरह की होती है, स्लो, फास्ट और सेमी फास्ट। तीसरी अहम जानकारी थी कि जब ऑफिस आने जाने का समय हो तो भीड़ ज्यादा होती है - उस समय अगर यात्रा कर रहे हो तो कैरी-बैग को पीठ पर टाँगने के बजाए पेट पर लटका लेने से सेफ रहता है।

शाम को ऑफिस छूटने के बाद जब पहली बार मैं अपने दोस्त के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) पहुंच तो स्टेशन पर एंट्री से लेकर सेंट्रल लाइन के प्लैटफॉर्म तक जाना किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं था।

जन सैलाब में हमने भी गोता लगाया और ट्रेन के इंतजार में खड़े हो गए। पाँच मिनट के भीतर ही एक लोकल आई तो उसके थमने से पहले ही जो माहौल बना, उससे रूह कांप गई। तीस सेकंड के भीतर ही जब तक मैं कुछ समझ पाता हरेक डिब्बे और क्लास पूरी तरह ठसाठस भर चुकी थी। इधर दोस्त के तमाम प्रोत्साहनों के बावजूद ट्रेन में न चढ़ पाने की वजह से मैं हताश था। हालांकि उसने ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा - कोई बात नहीं हर पाँच मिनट में लोकल है अभी दूसरी आ जाएगी। इस बार थोड़ा जोर लगाना। दूसरी लोकल में किसी तरह जगह तो मिल गई मगर खुशी होने कि कोई वजह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ठिकाने तक पहुँचने के पहले कहीं ऊपर न पहुँच जाऊँ। बड़ा ही दम घुटने वाला माहौल था। मन में कई सवाल उठ रहे थे, ये मुंबई की जान है कि जानलेवा हादसा मन में द्वंद को दोस्त समझ गया, उसने राहत देने वाली सूचना दी कि आधे घंटे में बैठने की जगह मिल जाएगी।

मैं सच में हैरान रह गया जब यात्री आधे घंटे बाद खड़े हो गए और पहले से खड़े लोगों को सीट देने लगे, ऐसा नहीं कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था। पता चला कि मुंबई लोकल की कई अलिखित नियमों में यह भी एक है। लंबी दूरी को तय करने वाले आधे दूरी तय होने पर अपने जान पहचान के लोगों को सीट छोड़ देते हैं और थके हुए लोगों को बैठने की राहत देते हैं। इस सहृदयता ने लोकल को लेकर मेरे मन में एक दूसरे ही छवि को आंकना शुरू कर दिया।

जब नियमित सफर करने लगा तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली और लोकल में होने वाली गतिविधियों तथा कायदों के बारे में पता जलने लगा। मैंने देखा लोकल कितना अनुशासित है। अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को कैसे वे खुशी के माहौल में बदल देते हैं।

कहीं कीर्तन गाया जाता है तो कहीं गणपति और नवरात्रि मनाई जाती है, कभी ईद को कभी क्रिसमस मनाया जाता है। यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर सफर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचार और नाश्ता भी शेयर करते हैं। यह लोकल हमें अपने जीवन का एक और पहलू में रूबरू करता है।

महिला डिब्बे में अनुशासन का अलग ही नजारा देखने को मिलता है, कामकाजी महिलाएं ट्रेन में ही अपने घरों का काम निपटती रहती हैं, दूसरी महिलाएं भी उसमें एक दूसरे को सहयोग देती हैं। महिलाएं भी ट्रेन में हल्दी कुमकुम, नवरात्रि आदि का त्यौहार मनाती हैं।

अनचाहे, लोकल मेरी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गई। मुझे यह भी पता चला कि रविवार को बुजुर्गों की एक टोली है जो सेवानिवृत्त के बाद हर रविवार को संडे क्लब बना कर घूमने निकलते हैं। वे ट्रेन में कार्ड खेलते हैं, किस्से कहानी सुनते हैं, अपने दुख दर्द बांटते हैं। लोकल की चर्चा छोड़ने पर वे कहते हैं - इसी ने हमें किसी भी चुनौती से लड़ना सिखाया, वक्त का पाबंद बनाया, इसका प्यार ही हमें संडे को इस तरफ खींच लाता है। यह सच में हमारी 'जान'' है।

मुंबई की एक खासियत और भी है, चाहे अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो या आतंकी हमला, मुंबई लोकल कभी रूकती नहीं है ना ही इसमें यात्रा करने वाले लोग। मुंबई की रफ्तार कभी रूकती नहीं है, मुंबई कभी थकती नहीं है। जीवन चलने का नाम है, यहीं मुंबई लोकल हमें सिखाती है।

खंडुरी

सुरेश कदम
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

वर्तमान समय में माझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में स्कोर्पिन क्लास की छः सबमैरीन के निर्माण का कार्य अनवरत रूप से चल रहा। इस क्लास की पहली सबमैरीन कलावरी है। इसकी कमिसनिंग नवम्बर 2015 को हुई और यह अभी सी ट्रायल के अंतर्गत है। संभवत: सितम्बर 2016 तक भारतीय नौ सेना को सुपुर्द कर दी जाएगी। इस श्रेणी की दूसरी सबमैरीन 'खंडुरी" लांचिंग के लिए तैयार हो रही है।

माझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने दो सबमैरीन का निर्माण कार्य एवं चार सबमैरीनों का रिपेयर कार्य पूर्ण करके भारत में अन्य शिपयार्ड की परंपरा से हटकर सफलता हासिल की है। यह सबमैरीन भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण मिशन में कामयाब भी हुए हैं और आज भी सक्रिय हैं।

उपरोक्त कथन ने यह सत्यापित कर दिया है कि भारत सबमैरीन उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। माझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड है। यह आधुनिक प्रोद्योगिकी उन्नयन के कारण पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है।

आधुनिक पनडुब्बी परियोजना पी75

एमडीएल के लिए यह गौरव की बात है कि पूर्व खंड में निर्मित एसएसके श्रेणी की दो पनडुब्बियाँ वर्ष 1992 एवं 1994 में नौसेना में शामिल की गई और वे अपना सक्रिया सहयोग देश की समुद्री सुरक्षा में आज भी दे रही हैं।

माझगाँव डॉक को अतिआधुनिक स्कोर्पिन श्रेणी पनडुब्बी निर्माण का आदेश भारतीय नौसेना की ओर से प्राप्त हुआ है। ये पनडुब्बियाँ फ्रांस की कंपनी डीसीएनएस और स्पेन की कंपनी नेवंतिया के सहयोग से निर्मित हो रही हैं। इनमें बेहतरीन स्टील्थ, दुश्मन के जहाजों एवं पण्डुब्बियों का पता लगाने की क्षमता और आक्रमण करने की शक्ति है। इस प्रभावशाली अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से दुश्मन की जहाजों / पण्डुब्बियों पर प्रिसीजन गाइडेड टारपीडो और मिसाइल से हमला करके अशक्त बनाने की काबिलियत है।

स्कोर्पिन पनडुब्बी से विविध कार्यों को पूरा करने की क्षमता है। जो एक आधुनिक पनडुब्बी में होनी

स्कोर्पिन की विशेषताएँ

अद्यतन नौसेना प्रौद्योगिकी में स्कोर्पिन पनडुब्बी शामिल है। पनडुब्बी के मध्य भाग में सबटिक्स स्थित होता है जिसके साथ एकीकृत कम्बेट सिस्टम, हाईली कम्पुटराइज्ड सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम से सुसज्जित है जिसके द्वारा पनडुब्बी के सभी सेंसर और आयुधों की निगरानी की जाती है। प्रत्येक स्कोर्पिन पनडुब्बी में कुल 31 कम्पार्टमेंट होते हैं।

पनडुब्बी वास्तव में निर्णायक स्टील्थ वेपन है। पिछले दशकों में सोनार प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण, पण्डुब्बियों का पता लगाना और पण्डुब्बियों को लक्ष्य बनाना बहुत ही कठिन है। विशेष रूप से हिन्द महासागर में जहाँ समुद्र का खारापन और थर्मल जोन की उपस्थिति से परिवर्तनीय जल तापमान के कारण पनडुब्बी का पता लगाना अत्यंत कठिन है। स्कोर्पिन पनडुब्बी जासूसी और काउंटर जासूसी के खेल को और कठिन बनाती है। इसका रूपांकन अत्यंत नीरव रूप में किया गया है, जिसके कारण यह कई दिनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है और लांगरेंज पैसिव सोनार सिगनल्स के माध्यम से समुद्र में स्कोरिंग कर सकती है जिसके द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में दूसरे पनडुब्बी और युद्धपोत का पता लगा सकती है।

चाहिए। जैसे एंटी सरफेस वारफेयर, इंटेलिजेंस गेदरिंग, माइन लेइंग और अपने क्षेत्र की निगरानी करना आदि।

स्कोर्पिन का निर्माण माडुलर कंस्ट्रक्शन सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, जिसमें पनडुब्बी को अनेक खंडों में बांटा जाता है और खंडों को जोड़कर पूर्ण किया जाता है। उपकरण को लचीले ढंग से उठाकर क्रैडेल पर रखा जाता है और अब खंडों में लगाया जाता है।

इसमें सबसे चुनौती पूर्ण कार्य होता है पनडुब्बी के अंदर 60 किमी लंबा केबल और 11 किमी की पाइपों को पनडुब्बी के चारो ओर लेइंग करना। पनडुब्बी में बहुत सँकरे कम्पार्टमेंट होते हैं जिसमें कठोर सहनशीलता की आवश्यकता होती है। एमडीएल ने केबल लेइंग तथा पाईप फिटिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

स्कोर्पिन परियोजना के अंतर्गत एमडीएल ने अपनी बेमिसाल प्रतिष्ठा की स्थिति 'राष्ट्र के पोत एवं पनडुब्बी निर्माता' के रूप में स्थापित कर लिया गया है। इसे कंपनी ने अपनी योग्यता से अर्जित किया है। स्कोर्पेन श्रेणी की पहली पनडुब्बी 'कलबरी' यार्ड 11875 की कमीशनिंग गहन जांच और समुद्री परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना को सितंबर 2016 में सुपुर्द की जाएगी। 'कलवरी' ड्रेडेड टाइगर शार्क और ड्रेडेड डीप सी प्रिडेटर मूर्तरूप 20 वर्षों से अधिक काल के बाद किया जाएगा। पहले 'कलवारी' की कमीशनिंग 31 मई 1996 में की गई थी। नौसेना की परंपरा के अनुसार नए पोत और पनडुब्बी का नामकरण उस पोत और पनडुब्बी की डीकमीशनिंग के बाद किया जाता है।

माझगाँव डॉक ने 'मेक इन इंडिया" आख्यान का प्रस्तुतिकरण अपने देश में स्वेदशी युद्धपोत एवं पनडुब्बी का निर्माण करके किया है। इसकी शुरूआत 1960 में लिएंडर श्रेणी युद्धपोत से आगे बढ़कर गोदावरी श्रेणी युद्धपोत, खुकरी क्लास कारवेटस, तटरक्षक, ऑफशोर पेट्रोल वेजल, 1241 री मिसाइल बोट, दिल्ली, कोलकाता और विशाखापटनम श्रेणी के विध्वंसक, शिवालिक श्रेणी स्टील्थ फ्रीगेट और शल्की और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के साथ जारी है।

स्कोर्पिन परियोजना के प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और अनुभव के साथ उन्नत बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि से एमडीएल भविष्य में पनडुब्बी परियोजना की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यह राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सदैव मार्गदर्शन करेगा और दूसरों के लिए अनुसरण का पथ होगा।

रोशन स भट
सुपुत्र सुश्री राजराजेश्वरी
भट पीए कानि(मा.सं)

कठपुतली

संसार का खेल ये सारा जाने ना तू क्यूँ?
दिख जायेगा बदलता नजारा
मानेगा न जो तू
छोटी सी आशाओं में बस्ती है यह खुशियाँ
दुःख की उन बातों को तू दिखा दे पतली गलियां।

जीवन का मेला है दुनिया
तो क्यूँ जाने ना रे
रंग नए, जो तूने न देखे,
तू भी न पहचाने
हाँ... मैं नहीं तेरे हाथों की कठपुतली...

बाजार नहीं वो कोई जहाँ, खरीद लूं चंद खुशियाँ
साज से बने सरगम, सूर ही सजाए मेरे रतियाँ
क्यूँ बन जाऊँ कोई और मैं?
जब किसी और में हो मन बसियाँ
जो तलाशता है ये दुनिया।

इस खेल ने खूब नचाया हमें,
सहके भी न रूके हैं
मिले तुझे जितने भी मौके
सब माया जाल बने हैं
हाँ... मैं नहीं तेरे हाथों की कठपुतली...

दिनेश कुमार
प्रबंधक (अग्निशमन)

जिंदगी

एक कोरा कागज है जिंदगी
कभी छाँव तो कभी धूप है जिंदगी
पहेली-सी जिंदगी हर बार कारण
बदलता है
कभी संभालती तो कभी फिसलती
है जिंदगी।

जिंदगी कुछ पियानो की तरह है
कभी सफेद बटन सी धूप तो कभी
काले बटन सी छाँव
दिन है धूप-छाँव का मिलाप
जीवन है इस पलों का मोहताज
बार-बार नहीं आती हैं खुशियाँ
बार-बार नहीं आते ये पल
बार-बार नहीं मिलती है जिंदगी,
जब जीना है तो दिल खोलकर
जियो,
जैसे की हर पल आपकी जिंदगी
का आखिरी पल हो।

दो पल की जिंदगी में कितनों से
करोगे दुश्मनी
और कितनों से नोंक-झोंक
कभी किसी से मुस्कुराकर यही
कह दो
क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे?

अमर शहीद स्व. श्री. श्रीदेव सुमन

सिमनलाल जी. आर्य
लिपिक (हिन्दी अनुभाग)

अपनी जननी-जन्मभूमि के प्रति ऐसी अपार बलिदानी भावना रखने वाले तरूण तपस्वी अमर शहीद श्री श्रीदेव सुमन जी का जन्म बमुण्ड पट्टी के ग्राम जौल टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में 12 मई 1915 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हरिराम बड़ोनी और माता जी का नाम श्रीमती तारादेवी था। इनके पिता श्री हरिराम बडोनी जी अपने इलाके के लोकप्रिय वैद्य थे, 1919 में जब क्षेत्र में हैजे का प्रकोप अल्पायु में स्वयं भी हैजे के शिकार हो गये। लेकिन दृढ़निश्चयी साध्वीमाता ने धैर्य के साथ बच्चों का उचित पालन-पोषण किया और शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रबंध भी किया। तथ्य यह है कि उन्होंने अपने पिता से लोक सेवा और माता से दृढ़निश्चय के संस्कार पैतृक रूप में प्राप्त किये थे। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन है, जिन्होंने हर कार्य में इनका सहयोग दिया।

इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव और चम्बाखाल में हुई और 1931 में टिहरी से हिन्दी मिडिल की परीक्षा उत्तीण की। अपने विद्यार्थी जीवन में 1930 में जब वह किसी काम से देहरादून गये थे तो सत्याग्रही जत्थों को देखकर वे उनमें शामिल हो गये, इनको 14-15 दिन की जेल हुई और कुछ बेंतो की सजा देकर छोड़ दिया गया। सन 1931 में ये देहरादून गये और वहाँ नेशनल हिन्दू स्कूल में अध्यापकी करने लगे, साथ ही साथ अध्ययन भी करते रहे। यहाँ से यह कुछ दिनों के लिये लाहौर भी गये और उसके बाद दिल्ली आ गये। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने रत्न और प्रभाकर परीक्षायें उत्तीर्ण की फिर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षायें भी उत्तीर्ण की।

दिल्ली में इन्होंने कुछ मित्रों के सहयोग से देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की और 1937 में सुमन सौरभ नाम से अपनी कवितायें भी प्रकाशित कराई।

1938 में यह गढ़वाल भ्रमण पर गये और जिला राजनैतिक सम्मेलन, श्रीनगर में सम्मिलित हुए और इस अवसर पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को गढ़वाल राज्य की दुर्दशा से परिचित कराया। वहीं से इन्होंने जिला गढ़वाल और राज्य गढ़वाल की एकता का नारा बुलंद किया।

अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो टिहरी आते समय इन्हें 29 अगस्त, 1942 को देवप्रयाग में ही गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन मुनिकीरेती जेल में रखने के बाद 6 सितंबर को देहरादून जेल भेज दिया गया। ढाई महीने देहरादून जेल में रखने के बाद इन्हें आगरा सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया, जहां वे 15 महिने नजरबंद रखे गये। इन्हीं परिस्थितियों में यह 19 नवंबर, 1943 को आगरा जेल से रिहा हुए। यह फिर टिहरी की जनता के अधिकारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने लगे, इनके शब्द थे कि मैं अपने शरीर के कण-कण को नष्ट होने जाने दूँगा, लेकिन टिहरी के नागरिक अधिकारों को कुचलने नहीं दूँगा।

27 दिसंबर, 1943 को इन्हें चंबाखाल में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 30 दिसंबर को टिहरी जेल भिजवा दिया गया, जहाँ से इनका शव ही बाहर आ सका।

30 दिसंबर, 1943 से 25 जुलाई, 1944 तक 209 दिन उन्होंने टिहरी की नारकीय जेल में बिताये, इस दौरान इन पर कई प्रकार से अत्याचार होते रहे, झूठे गवाहों के आधार पर जब इन पर मुकदमा दायर किया गया तो इन्होंने अपनी पैरवी स्वयं की और लिखित बयान दिया कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं जहाँ अपने देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय में विश्वास करता हूँ। वहाँ टिहरी राज्य में मेरा और प्रजामंडल का उद्देश्य वैध व शांतिपूर्ण उपायों से श्री महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना और सेवा से साधन द्वारा राज्य की सामाजिक, आर्थिक तथा सब प्रकार की उन्नति करना है, हां मैंने प्रजा की भावना के विरूद्ध काले कानूनों और कार्यों की अवश्य आलोचना की है और मैं इसे प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार समझता हूँ। लेकिन इस पर भी ध्यान दिये बिना झूठे मुकदमे और फर्जी गवाहों के आधार पर 31 जनवरी 1944 को दो साल का कारावास और 200 रूपया जुर्माना लगाकर इन्हें सजायाफ्ता मुजरिम बना दिया गया। इस दुर्व्यवहार से खीझकर इन्होंने 29 फरवरी से 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया, जिससे जेल के कर्मचारी कुछ झुके, लेकिन जब महाराजा से कोई बातचीत नहीं कराई गई तो इन्होंने उसकी मांग की, लेकिन बदले में बेतों की सजा इन्हें मिली। किसी प्रकार का उत्तर न मिलने पर इन्होंने ३ मई, 1944 से अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस बीच इन पर कई पाशविक अत्याचार किये गये, इनके मनोबल को डिगाने की कोशिश की, लेकिन यह अपने विरोध पर कायम रहे। जब इनके अनशन के समाचार जनता तक पहुँचे तो जनता उदीग्न हुई, रियासत ने यह अफवाह फैला दी कि श्रीदेव सुमन ने अनशन समाप्त कर दिया है और 4 अगस्त को महाराज के जन्मदिन पर इन्होंने रिहा कर दिया जायेगा।

ऐसा प्रस्ताव सुमन जी को भी दिया गया, लेकिन सुमन जी ने कहा कि क्या मैंने अपनी रिहाई के लिये यह कदम उठाया है। ऐसा मायाजाल डालकर आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। अगर प्रजामण्डल को रजिस्टर्ड किये बिना मुझे रिहा कर दिया गया तो मैं फिर भी अपना अनशन जारी रखूंगा। अनशन से इनकी हालत बिगड़ती गई और जेल के अत्याचार भी, जेल के कर्मियों ने यह प्रचारित करवा दिया कि इन्हें न्यूमोनिया हो गया है, लेकिन इन्हें कुनैन के इन्ट्रावेन्स इंजेक्शन लगाये गये। जिससे इनके सारे शरीर में खुश्के फैल गयी और ये पानी-पानी चिल्लाते रहते और उन्हें पानी न दिया जाता। 20 जुलाई की रात से ही उन्हें बेहोशी आने लगी और 25 जुलाई, 1944 को शाम करीब चार बजे इस अमर सेनानी ने अपने देश, अपने आदर्श की रक्षा के

लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी रात को जेल प्रशासन ने इनकी लाश एक कम्बल में लपेट कर भागीरथी और भिलंगना के संगम से नीचे तेज प्रवाह में फेंक दी।

इनकी शहाद का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने राजशाही के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया, इनके बलिदान के बाद जनता के आंदोलन ने टिहरी रियासत को प्रजामण्डल से वैधानिक करार करने पर मजबूर कर दिया, मई 1947 में उसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 1948 में तो जनता ने देवप्रयाग, कीर्तिनगर और टिहरी पर अधिकार कर लिया और प्रजामण्डल का मंत्रिपरिषद गठित हुआ। इसके बाद 1 अगस्त, 1949 को टिहरी गढ़वाल राज्य का भारत गणराज्य में विलीनीकरण हो गया।

इस अमर सेनानी को युगों-युगों तक याद किया जायेगा, इनकी याद को अक्षुण्ण रखने के लिये प्रदेश में कई विद्यालयों, चिकित्सालयों का नाम इन्हें समर्पित किया गया है। 25 जुलाई को सायं गढ़वाल भवन पंचकुया रोड, दिल्ली में देश की आजादी व टिहरी में राजशाही से मुक्ति के लिए अपना बलिदान देने वाले महान क्रांतिवीर श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है।

श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। सुमन जी ने राजशाही के खिलाफ 84 दिन तक अनशन किया था, 84 दिन तक भूखे रहे थे, जनता को राजशाही से मुक्त कराया था।

वीर तुम्हारे लिए हमारे कोटि-कोटि अभिनंदन सादर। चौरासी दिन गये तुम्हारे अपने प्राणों की दृढ़ता को, चौरासी युग याद करेंगे हत्यारे की निर्दयता को, सना रहेगा सदा तुम्हारे शोणित से टिहरी का शासन बना रहेगा अमर तुम्हारा चौरासी दिन का अनशन। कर्म क्षेत्र के महासागर से तुमने मुँह कभी नहीं मोड़ा था त्याग-तपस्या देशभक्ति से जीवन नाता जोड़ा था, तुम अपनी कर्तव्य कला के कलाकार थे, सुंदर कवि थे, टिहरी के जन अंधकार में तुम बालारूण के रवि थे, उसको शत शत आलिंगन सादर। वीर तुम्हें कोटी-कोटी अभिनंदन!

राजू सालवे
एस ग्रेड लिपिक

मेरी सेवा निवृत्ति

मंजिल मंजिल जा तू अपना राह बनाता जा,
गुजरे लम्हों के नकशेपा को दूर-दूर तक रखता जा।
राह में जब मिले भटके रही उनको राह बताता जा,
बन के शमा लोगों को तू नई किरण दिखाता जा।
याद करें दुनियाँ वाले तेरी खिदमद गुजारी को,
देश व कौम की खातिर अपना वजूद मिटाता जा।
साहिल से तूफान से बचकर अपने कदम बढ़ाता जा,
मुश्किल में भी तू अहसास के फूल लुटाता जा।
हम तेरे साथ चलें न चलें अपना रंग बिखेरता जा,
अपनी सौगात के चंद बोल अपने साथ तू लेता जा।

सुभाष का संदेश

प्रदीप महाडेश्वर
म.प्र (मा.स.)

बचपन में ही सुभाष चन्द्र बोस ने जो आत्मविश्वास और त्याग की भावना दिखाई, वह अपने-आप में एक मिसाल है। शुरू से ही उनमें अपने समाज के लिए बहुत कुछ करने की ललक थी। उनके स्कूल में अंग्रेजी छात्रों की संख्या अच्छी-खासी थी। एक बार कुछ भारतीय और अंग्रेज छात्र खेल रहे थे। लड़कों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। सुभाष वहाँ आ पहुंचे और उन्होंने एक अँग्रेजी लड़के से पूछा 'क्या बात है?" उस अंग्रेज लड़के ने कहा, 'मैं भारतीय लड़कों से बात नहीं करता। मैं उन्हें ठोकर मारकर गिरा देता हूँ।" सुभाष ने कहा, 'हिन्दुस्तानी लड़के भी अंग्रेज लड़कों को ठोकर मारकर गिरा देते हैं।" यह कहते हुए सुभाष ने अंग्रेजी लड़के को ठोकर मारकर गिरा दिया। एक बार शहर में हैजा फैल गया। लोग बड़ी संख्या में मरने लगे तो सुभाष अपने कुछ साथियों के साथ गंदी बस्ती में रह रहे लोगों की सेवा करने लगे। सबने मिलकर बस्ती की सफाई की और लोगों को साफ खाना और पानी के लिए हिदायत दी। उन्होंने बीमार लोगों में दवाईयाँ बाँटी। उनका यह सेवा कार्य कुछ लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने अमीरी-गरीबी के भेद-भाव का आरोप लगाकर उनका विरोध किया। इनका नेता छटा हुआ गुंडा हैदर था। उसने सुभाष और उनके दोस्तों को बस्ती में आने से मना कर दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद हैदर का परिवार भी हैजे की चपेट में आ गया। उन सबकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अगर आए तो सुभाष और उनके साथी, वे उसके घर पहुँचे और परिरार के लोगों को भोजन और दवाइयां दी। हैदर शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। सुभाष ने उससे कहा, 'इस गलती का सुधार यही है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ और हमारे सेवाकार्य में जुट जाओ"। हैदर ने सुभाष से क्षमा मांगी और लोगों की सेवा में लग गया।

मार्शल आर्ट

डी. चेन्ना केसावुलु
सहायक प्रबंधक (योजना-पू.ख)

मार्शल आर्ट का दायरा काफी विस्तृत है, जिसमें उनकों प्रतिरक्षा की युद्ध तकनीक, शारीरिक अभ्यास एवं मानसिक संतुलन के प्रकार शामिल हैं। मार्शल आर्ट एशिया के पुरातन संस्कृति से उद्भव हुआ है जिसे आज सम्पूर्ण विश्व एक लोक प्रतिरक्षा, व्यायाम, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास, कानून व्यवस्था एवं खेलकूद संबंधी प्रतियोगिताओं में उपयोग कर रहा है।

मार्शल आर्ट की उत्पत्ति और प्रकार

एशिया के पुरातन संस्कृति मार्शल आर्ट का विकास हुआ जिसमें चीन, भारत एवं जापान भी शामिल हैं। मार्शल आर्ट की यह पद्धति कुछ इतिहासकारों के अनुसार 5,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। मार्शल आर्ट कराटे यूक्यू द्वीप समूह में विकसित शैली है जो अब ओकिनावा, जापान में है। वर्तमान समय में मार्शल आर्ट के कई प्रकार एवं नाम है। दक्षिण भारत में इसे कलरीप्पयट्टू, फिलिपाइन्स में एस्करीमा, मलेशिया में पेंटाजक्सिलट, ओकिनावा में कराटे, जापान में एइकीड़ों और ब्राजील में कपोएरा नाम से जाना जाता है। कराटे का अभ्यास एक कला के रूप में, खेल के रूप में, एक युद्ध खेल या आत्मरक्षा प्रशिक्षण के रूप में किया जा सकता है। पारंपरिक कराटे के अभ्यास में आत्मविकास पर जोर दिया जाता है। आधुनिक शैली के प्रशिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों जैसे दृढ़ता, निर्भयता, सदाचार और नेतृत्व कौशल आदि को शामिल करने पर जोर दिया जाता है। खेल के रूप में कराटे पर व्यायाम और प्रतियोगिता पर जोर दिया जाता है। कुछ शैलियों में हथियार प्रशिक्षण कराटे का महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। कराटे में हाथापाई को 'कुमाइट'' कहा जाता है। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है 'हाथों को मिलना'। कुमाइट का अभ्यास खेल और आत्मरक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों ही रूपों मे होता है।

हाथापाई के दौरान शारीरिक संपर्क का स्तर विशेष रूप से भिन्न होता है। पूर्ण संपर्क कराटे में कई वेरिएंट होते हैं। नॉकडाउन कराटे (जैसे क्योकोशिन) में प्रतिद्वंदी को जमीन पर गिराने के लिए संपूर्ण शक्ति के तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किकबॉक्सिंग प्रारूप (उदाहरण के लिए के-1) में अधिमान्य जीत नॉकआउट के द्वारा होता है। कवच के साथ हाथापाई में (बोगु कुमाइट) कुछ सुरक्षा के साथ पूर्ण तकनीकों की आज्ञा देती है। कराटे फेडरेशन वर्ल्ड के तहत कई प्रतियोगिताओं में खेल कुमाइट न्यून संपर्क या अर्द्ध संपर्क के साथ मुक्त या संरचनात्मक होती है और रेफरी द्वारा अंक प्रदान किये जाते हैं।

संरचनात्मक कुमाइट (याकुसाकु-पूर्व योजनाबद्ध) में दो प्रतियोगी तकनीकों के

निर्देशित श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक प्रहार करता है तो दूसरा रोकता है। यह रूप एक विनाशकारी तकनीक (हितो सुकी) के साथ समाप्त होता है।

मुक्त हाथापाई (जीयु कुमाइट) में दोनों प्रतिभागियों के पास तकनीक स्कोरिंग का एक मुक्त विकल्प होता है। स्वीकृत तकनीक और संपर्क स्तर मुख्य रूप से खेल या शैली संगठन नीति द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन प्रतिभागियों की उम्र, रैंक और लिंग के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। मुक्त हाथापाई एक चिह्नित या बंद क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। मुक्केबाजी एक निश्चित समय के लिए चलता है (2 से ३ मिनट)। समय को बढ़ाया भी जा सकता है (इरीकुमे) या रेफरी के फैसले से बंद भी किया जा सकता है। कुछ न्यून संपर्क या अर्द्ध संपर्क कुमाइट में मापदंड के आधार पर अंकों से सम्मानित किया जाता है : उत्कृष्ट रूप, खेल भावना, सशक्त तरीके, जागरूकता, सही समय और उचित दूरी। पूर्ण संपर्क कराटे कुमाइट में स्कोरिंग तकनीक की औपचारिक उपस्थिति के बजाए प्रभाव के परिणामों पर अंक आधारित होते हैं।

मासुत्सु ओयामा द्वारा 1957 तक कराटे के एक नए रूप में जिसका नाम क्योकुशिन था, इसे औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया था (जिनका जन्म एक कोरियन के रूप में हुआ था, चोई इयोंग-इवि)। क्योकेशिन बड़े पैमाने पर शोटोकन और गोजु-यू का एक मिश्रण है। यह एक पाठ्यक्रम है जो जीवंतता, शारीरिक मजबूती और पूर्ण संपर्क पर जोर देती है क्योंकि यह शारीरिक, पूर्ण-बल लड़ाई पर देती है और यही कारण है कि क्योकोशिन को वर्तमान में अक्सर 'पूर्ण सम्पर्क कराटे' या 'नॉकडाउन कराटे' कहा जाता है (प्रतियोगिता में इसके नियमों के लिए इसका यह नाम पड़ा)। कई अन्य कराटे संगठन और शैलियां क्योकोशिन अध्ययन क्रम के ही वंशज हैं।

वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने कराटे के इन शैलियों को इसके काता सूची में मान्यता दी है
शोटोकन-यू
शिटो-यू
गोजु-यू
वाडो-यू
कराटे-डु संगठन के विश्व संघ (WUKO) ने इन शैलियों को इसकी काता सूची में मान्यता दी है।
गोजु-यू,
शिटो-यू,
शोटोकन-यू,
वाडो-यू,
शोरिन-यू,
उएचि-यू,
क्योकूशिनकाई,
बुडोकल

कई स्कूल इसके एक या अधिक शैलियों के साथ संबद्ध होंगे या बहुत अधिक प्रभावित होंगे।

मार्शल आर्ट आत्मरक्षा में अहम भूमिका निभाती है साथ ही इससे विश्वास एवं स्वाभिमान को बढ़ाने में सहयोग देता है। इसका प्रयोग अगर व्यायाम हेतु होता है तो इससे संतुलन, ताकत, सहनशक्ति, लचिलापन और मुद्रा में सुधार किया जा सकता है। यह मोटापा कम करने और मांसपेशियों को सचेत करने में भी कारगर है। मानसिक स्तर पर यह दबाव प्रबंधन, एकाग्रता को सुधारना, एवं आत्मबल को बढ़ाने में सहायक है। कुछ मार्शल आर्ट जैसे किगोंग तथा ताईचि का प्रयोग लंबी उम्र, रोग प्रतिशोधक एवं घाव भरने के लिए बुजुर्गों और रोग ग्रस्त लोगों के लिए किया जाता है। मार्शल आर्ट आध्यात्मिक स्तर पर भी संतुलन बनाए रखने, शांति एवं विवेक को प्राप्त करने के उद्देश्य से लोग करते हैं।

प्रारंभ में मार्शल आर्ट का उद्देश्य आत्मरक्षा और जीवन का संरक्षण था। वर्तमान में भी इसकी जरूरतें मौजूद हैं, लेकिन अब यह प्राथमिक कारण नहीं है, जिसके लिए कोई व्यक्ति खुद को इसके साथ व्यस्त करेगा। प्रशिक्षु के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण अनेकों प्रकार से लाभ प्रदान करता है, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों मार्शल आर्ट का व्यवस्थित प्रशिक्षण से एक व्यक्ति का शारीरिक फिटनेस काफी हद तक बढ़ जाता है, (ताकत, सहनशक्ति, लचीलापन, गति समन्वय, आदि) क्योंकि इससे पूरे शरीर का व्यवस्थित रूप से व्यायाम होता है एवं पूर्ण रूप से पेशी प्रणाली सक्रिय हो जाती है। उचित रूप से सांस लेने की तकनीक और एक बेहतर और पौष्टिक आहार की शिक्षा के संबंध में, मार्शल आर्ट एक प्रभावी तकनीक है जो समकालीन समाज और गतिहीन जीवन के कई समस्याओं, रोगों और कमजोर प्रतिरक्षित प्रणाली से लड़ता है।

इसके प्रशिक्षण से प्रशिक्षु में आत्म नियंत्रण, दृढ़ संकल्प और एकाग्रता की विशेषता उत्पन्न हो जाती है जो परिस्थितियों के अनुरूप हमेशा लाभकारी ढंग से और बिना तनाव के प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। गंभीर रूप से प्रशिक्षण का परिणाम आत्मरक्षा और मजबूत आत्म नियंत्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद के बारे में सीखता है और केवल क्षमताओं में ही नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की भावना में भी सुधार करता है।

डी चेन्ना केसावलु, सहायक प्रबंधक, योजना-पू.ख माझगांव डॉक में कार्यरत हैं वे कराटे का निरंतर अभ्यास करते हैं। अपने कठिन परिश्रम, लगन और अनुशासन से उन्होंने कराटे 'ब्लैक बेल्ट" में सेकंड डिग्री हासिल की है। वह कराटे टुर्नामेंट संचालन के लिए प्रमाणित शिक्षक हैं। कराटे उनका एक शौक है और वह कराटे द्वारा बच्चों को आत्मरक्षण का पाठ सिखाते हैं। वह समाज की बेहतरी के लिए निरंतर क्रियाशील हैं।

बच्चों को कराटे सिखाते हुए कोसवुलु

उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर)

डॉ. साधना कोळी
उमप्र (चिकित्सा)

तनावपूर्ण जीवनशैली, भागदौड़, धूम्रपान, मद्दपान, तथा आहारशैली में बदलाव आने से उच्च रक्तचाप (Hipertension) की मात्रा बढ़ती है। आजकल यह युवाओं में बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है।

हृदय, शरीर के सभी अंगों की नलिकाओं के द्वारा रक्त पहुँचाने का कार्य करता है। इसी रक्त प्रवाह के समय हृदय एक दबाव पैदा करता है जो रक्त नलिकाओं के अंदरूनी भाग पर पड़ता है। इस दबाव को रक्चाप या Blood Pressure कहते हैं। रक्तचाप से आपके पूरे शरीर में रक्त संचारण में सहायता मिलती है। इसे साइलेंट किलर (Silent Killer) के नाम से जाना जाता है, क्योंकि धीरे-धीरे शरीर के हर अवयव जैसे किडनी, हृदय, मस्तिष्क, रक्त वाहिनियाँ, आँखें इत्यादि में इसका असर होता है। यह हर अवयव को कमजोर कर देता है और लोग जटिलता (Complications) के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि हृदयशूल (Heart Attack), किडनी फेल्यूयर (Kidney Failure), लकवा (Paralysis), ब्रेन हेमरेज इत्यादि। रक्तचाप का मतलब है कि शरीर की धमनियों के भित्ती पर रक्त का बना हुआ प्रेशर (दाब), रक्तचाप, स्पीगनोमॅनोमीटर (Sphgnomanometer) से मापा जा सकता है।

रक्तचाप दो प्रकार का होता हैं :-

1) **सिस्टोलिक प्रेशर (Systolic Pressure)** :- इसमें हृदय आंकुचित होकर धमनियों में खून छोड़ देता है। इस प्रकार धमनियों में जो खून का दाब निर्माण होता है वह सिस्टोलिक के नाम से जाना जाता है। यह साधारणतः 120 एमएम मक्यूरी से कम होना चाहिए (120 mm hq)।
2) **डायस्टोलिक प्रेशर (Diastolic Pressure)** :- इसमें हृदय प्रसरण होते वक्त धमनियों में जो दाब निर्माण होता है उसे डास्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यह साधारणतः 80 एमएम मक्यूरी होना चाहिए।

सिस्टोलिक प्रेशर

140mm hq से कम - नॉर्मल
140-159 Borderline सिस्टोलिक हायपरटेंशन
160 और अधिक Isolated सिस्टोलिक हायपरटेंसन

डायस्टोलिक प्रेशर

85 mm hq से कम - नॉर्मल
85-89 उच्च सामान्य
90-104 मईल्ड हैपरटेंशन
105-114 - माडरेट
115 से अधिक - सिवियर

उच्च रक्तचाप का निदान करने से पहले रक्तचाप को दो या तीन बार भिन्न टाईप से मापना चाहिए।

सेबाईल हायपरटेंशन : जिन व्यक्तियों में कभी-कभी प्रेशर हाई होता है।

एक्सीलरेटेड हायपरटेंशन : जो व्यक्ति रक्तचाप का मरीज है और दवाईयाँ लेते हुए भी रक्तचाप अचानक बढ़ जाता है, उसे एसीलरेटेड हायपरटेंशन Accelrated Hypertension कहते हैं।

मॉलिगनंट हायपरटेंशन : इसमें रक्तचाप 200/140 मक्यूरी से अधिक होता है। दुष्परिणाम जैसे ब्रेन हॅमरेज, मिरगी, लकवा आदि की संभावना बढ़ जाती है, मरीज को भर्ती करना जरूरी होता है।

प्री हाईपरटेंशन (Pre-Hypertension): जिसका रक्तचाप बार्डरलाइन पर होता है और भविष्य में रक्तचाप की संभावना होती है।

रक्तचाप के कारण:

1) **प्रायमरी (Primary or Essential) हायपरटेंशन :** 80-85 प्रतिशत लोगों में रक्तचाप बिना कारण पाया जाता है, जिसे प्रायमरी या इसैनशियल हायपरटेंशन कहते हैं।
2) **सेकंडरी (Secondary) हायपरटेंशन :** इसमें रक्तचाप किसी और व्याधि के कारण पाया जाता है, जैसे कि किडनी के आजार, अंतस्त्राव ग्रंथी का आकार इत्यादि।

रक्तचाप निर्माण करने वाले घटक :

1) लाइफस्टाईल (Life Style) अथवा जीवनशैली : युवा पीढ़ी में ज्यादातर पाया जाता है। बैठकर लगातार काम करना, तनावयुक्त परिस्थिति, शारीरिक व्यायाम का अभाव आदि इसके मूलभूत कारण होते हैं।
2) अत्यधिक मदिरा सेवन
3) धूम्रपान व तंबाकू सेवन
4) शारीरिक व्यायाम (कसरत) को कम करना : इससे स्थूलता बढ़ती है और रक्तचाप की बीमारी होने की संभावना पैदा होती है।

5 आहार : आहार में बदलाव के कारण जैसे जंकफूट, पिज्जा, बर्गर, वड़ापाव, तले हुए पदार्थ ज्यादा मात्रा में, फरसाण, नमकीन आदि का सेवन रक्तचाप को अनियंत्रित करता है।

6) अनुवांशिकता - परिवार में रक्तचाप का इतिहास भी इसका कारण हो सकता है। (Family History of Hypertension in father and mother) इससे बच्चों में रक्तचाप आने की संभावना ज्यादा होती है।

रक्तचाप के लक्षण : छाती धड़कना, सांस फुलना, चक्कर, सिरदर्द, निद्रानाश, अधिक पसीना इसके लक्षण हैं। 80 प्रतिशत लोगों में कुछ भी लक्षण नहीं पाये जाते हैं और वे दुष्परिणाम के शिकार होते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है।

कुछ व्यक्तियों में अस्पताल या दवाखाना जाने से ही रक्तचाप बढ़ता है इसे व्हाइटकोट (White Coat) रक्तचाप कहते हैं। ऐसे लोगों में एम्बूलेटरी ब्लडप्रेशर मानिटरिंग (Ambulatory Blood Pressure monitering) करना जरूरी है। इसमें रक्तचाप को 24 घंटे मॉनिटर करते हैं।

रक्तचाप के दुष्परिणाम :- रक्तचाप अनियंत्रित रहने के कारण अनेक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। 50-60 प्रतिशत लोगों में दवाई लेने के बाद भी रक्तचाप अनियंत्रित रहता है। अनियंत्रित रक्तचाप से हृदय, किडनी, मस्तिष्क, रक्तवाहिनियाँ, आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

मस्तिष्क : अनियंत्रित रक्तचाप से मस्तिष्क में गुठली पैदा होने से रक्त सप्लाई (खून का प्रवाह) खंडित हो जाता है। कभी-कभी नस फटने से ब्रेन हैमरेज, लकवा हो जाता है। स्मरणशक्ति भी कमजोर हो जाती है। अचानक रक्तचाप बढ़ने से उल्टी होना, चक्कर आने से, मरीज कोमा (Comas) में चला जाता है। इसको हाइपरटेंसिव एन्सिफेलोपैथी कहते हैं।

हृदय : हृदय को खून की सप्लाई करनेवाली रक्तवाहिनी में गुठली तैयार होने से रूकावट आती है और हार्ट अटैक होता है। उच्च रक्तचाप से हृदय की पम्पिंग ॲक्शन में बाधा आ सकती है। हृदय की साईज बढ़ जाती है (Venticular Dilatation) नब्ज अनियमित हो सकते हैं।

आँखें :- दृष्टिपटल (रेटिना) की रक्तवाहिनियों के ऊपर असर होने से दृष्टि कमजोर हो सकती है। इसे हायपरटेंसिव रेटिनोपॅथी (Hypertensive Retinopathy) कहते हैं।

किडनी : रक्तचाप से किडनी के कार्य में बाधा आ सकती है। किडनी के कामकाज में व्यावधान आने से किडनी फेल्युर (Kidney Failure) हो सकती है। मरीज को नियमित डायलेसिस (Dialysis) करना पड़ता है।

रक्तवाहिनीयों में अटकाव : इसमें रक्तवाहिनियों में गुठली तैयार होकर गॅंगरीन की संभावना होती है। धुम्रपान करने वाले व्यक्ति में यह ज्यादातर पाई जाती है।

उच्चरक्तचाप की जाँच कैसे करें :-

1) सीबीसी (CBC)
2) ब्लड शुगर की जाँच
3) लिपिड प्रोफाइल : इसमें टोटल कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसेराइड, एचडी कॉलेस्ट्रोल, एचडीएफ आदि की जाँच होती है।

   कॉलेस्ट्रोल 200 से कम
   ट्राइग्लिसेराइड 100 से कम
   एचडीएल 40 से 60
   एलडीएल 100 से कम

   एलडीएफ (LDF) गुड कोलेस्टेरॉल (Good Cholestrol) कहलाता है।

   एलडीएल (HDL) बैड कोलेस्टेरॉल (Bad Cholestrol) से माना जाता है।

   एलडीएल के ज्यादा प्रमाण के कारण जटिलता बढ़ती है। मस्तिष्क, हृदय, किडनी इसके उपर दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। उसको नियंत्रित रखने के लिए आहार, व्यायाम व दवाईयों की जरूरत होती है।
4) किडनी की जाँच : क्रिएटीमाइन, बीयूएन, एलेक्ट्रोलाइट्स, एल्बूमिन।
5) थायरॉईट की जाँच (T3T4TSH)
6) इ.सी.जी.
7) छाती का एक्स रे
8) पेशाब की जाँच (Urine) : पेशाब में एल्बूमिन की मात्रा
9) सोनोग्राफी (पेट की) USG Abdomen
10) 2डी इकोकार्डिओग्राफी (2D Echocardiography)
   हृदय की कार्यक्षमता जानने के लिए एवं पंचिंग एक्शन की जाँच के लिए इसमें इजेक्शन फ्रक्शन (Ejection Fraction) नॉर्मल होना चाहिए।
11) आँखों की नियमित जाँच : Hypertensive Retinopathy की जांच होना जरूरी है।

रक्तचाप को नियंत्रित कैसे रखें :-

प्रतिदिन जीवन में आहार, व्यायाम, योग, मेडिटेशन (ध्यान), आदि से तनाव

कम करके रक्तचाप नियंत्रित रख सकते हैं। धुम्रपान, मद्दपान, तंबाकू सेवन, स्थूलता पर काबू पाकर हम रक्तचाप नियंत्रित रख सकते हैं।

आहार :- आहार में नमक का सेवन कम करें। चिवड़ा, फरसाण, आचार, नमकीन, चिप्स, मक्का व टिन फूड में नमक की मात्रा ज्यादा होती है। अत: इससे परहेज करें।

ताजे फल, हरी सब्जियाँ, सलाद भरपूर मात्रा में खाएं। कम फैट वाले दूध, दही, छाछ का सेवन नियमित रूप से करें।

मछली, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसे खाने में शामिल करें। इसका सेवन हृदय रोग के लिए अच्छा है।

तले हुए पदार्थ का सेवन कम करें। ऑर्गन जैसे Kidney, Liver, Brain आदि न खायें, ये कोलेस्टेरॉल बढ़ने में सहायक होता है।

अंडा : अंडे के पिले हिस्से का सेवन न करें जिसमें कॉलेस्टॉरेल क मात्रा ज्यादा होती है। नियमित रूप से 30 से 45 मिनिट्स चलें। इसके साथ ही शुगर पर भी नियंत्रण रखें।

रक्तचाप के लिए विविध प्रकार के मेडीसिन उपलब्ध हैं। नियमित दवाईयाँ लेने से रक्तचाप नियंत्रित रख सकते हैं।

कभी-कभी एक या एक से अधिक प्रकार की कांबिनेशन ड्रग्स की आवश्यकता पड़ती है। मेडिसिन का मुख्य कार्य है रक्तचाप को नियंत्रित रखना। शरीर में नमक और पानी की मात्रा को नियंत्रित रखे। हृदय बीट्स (Heart Beats) तथा पंपिंग एक्शन पर काबू रखे।

डॉक्टर से नियमित रूप से रक्तचाप की जाँच कराए, दवा खुद बंद न करें। नियमित सेवन करें।

Malignant Hypertension (मॉलिगनंट हाइपरटेंशन) जब रक्तचाप 200/140 मिमी मक्यूरी से अधिक होता है तो इसे Malignant Hypertension कहते हैं यह एक मेडिकल इमर्जेन्सी होती है इसमें मरीज को भर्ती कर ऑबझरवेशन (Observation) के लिए रखते हैं। रक्तचाप नियंत्रण में होने पर Complication होने से बचाते हैं।

Hypertension in Pregnancy : गर्व अवस्था में रक्तचाप : इसमें रक्तचाप बढ़ने पर चक्कर आना, उल्टियाँ होना, वजन बढ़ना, सिरदर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें रक्तचाप नियंत्रित करना जरूरी होता है अन्यथा प्रीमैच्युर डिलिवरी (Premature Delivery) की संभावना अधिक होती है।

नियमित रूप से रक्तचाप की जाँच व यूरिन की जाँच कराना आवश्यक होता है।

हम गुस्से में चिल्लाते क्यों हैं?

सुनिल कुमार कुशवाहा
मुख्य प्रबंधक (सीआईटी)

एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने सभी शिष्यों से एक सवाल पूछा बताओ जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं तो जोर-जोर से चिल्लाते क्यों हैं? शिष्यों ने कुछ देर सोचा और एक ने उत्तर दिया : हम अपनी शांति खो चुके होते हैं इसलिए चिल्लाने लगते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा : दोनों लोग एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो फिर धीरे-धीरे भी तो बात कर सकते हैं। आखिर वह चिल्लाते क्यों हैं? कुछ और शिष्यों ने भी जवाब दिया लेकिन संत संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने खुद उत्तर देना शुरू किया। वह बोले : जब दो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं तो उनके दिलों में दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। जब दूरियां बढ़ जाएं तो आवाज को पहुंचाने के लिए उसका तेज होना जरूरी है। दूरियां जितनी ज्यादा होंगी उतनी तेज चिल्लाना पड़ेगा। दिलों की यह दूरियां ही दो गुस्साए लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर देती हैं। वह आगे बोले, जब दो लोगों में प्रेम होता है तो वह एक दूसरे से बड़े आराम से और धीरे-धीरे बात करते हैं। प्रेम दिलों को करीब लाता है और करीब तक आवाज पहुंचाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। जब दो लोगों में प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है तो वह खुसफुसा कर भी एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं। इसके बाद प्रेम की एक अवस्था यह भी होती है कि खुसफुसाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक दूसरे की आंख में देख कर ही समझ आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है। शिष्यों की तरफ देखते हुए संत बोले : अब जब भी कभी बहस करें तो दिलों की दूरियों को न बढ़ने दें। शांत चित्त और धीमी आवाज में ही बात करें। ध्यान रखें कि कहीं दूरियां इतनी न बढ़ जाएं कि वापस आना ही मुमकिन न हो।

बागी, जिसकी शहादत गुमनाम रह गई

विलास चितले
पीए टू ईडीफ़

माफी मांगने के प्रस्ताव का जवाब उन्होने अपनी इस अंतिम इच्छा से दिया था - मेरे पार्थिव शरीर को मेरी जेल में बंद स्वतंत्र्यता सेनानी ही फंदे मुक्त करें

नौ दिसंबर 1944 को लखनऊ में इंकलाब जिंदाबाद का प्रद्घोष करते हुए शहादत का वरण करने वाले क्रांतिकारी राजनारायण मिश्र को उनकी शहादत का सिला मिला होता तो आज आप उन्हे तो जानते ही, उनसे पहले उन्ही के जिले में जन्मे उनके नामराशि उन समाजवादी राजनारायन मिश्र को भी जानते, जिन्होने 26 अगस्त, 1920 को खिलाफत आंदोलन के कार्यकर्ता नसीरूद्दीन मौजीनगर के साथ खीरी के डिप्टी कमिश्नर सर राबर्ट विलियम डगलस विलबी को गोली मार दी थी। इसमे चिढ़ी गोरी हुकूमत ने उन्हे और नसीरुद्दीन को 26 अप्रैल,1936 को फांसी दे दी थी।

खैर, लखनऊ में शहीद राजनारायन मिश्र का जन्म लखीमपुर खीरी जिले के कठिना नदी के तटवर्ती भीषणपुर गांव में साल 1919 की बसंत पंचमी को हुआ था। बलदेवप्रसाद मिश्र के इस पुत्र ने दो साल के होते-होते अपनी माँ तुलसी देवी को खो दिया और होश संभाला तो पाया कि उसने गांव वालों का जीवन उसके बगल से बहती नदी के नाम जैसा कठीन है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो समझा कि सारा देश ही दुर्दशाग्रस्त है और इसका सबसे बड़ा कारण गुलामी है। तब आजादी हेतु लड़ने की बेचैनी उसे कई दरों पर ले गई, लेकिन 23 मार्च, 1931 को सरदार भगतसिंह की शहादत के बाद उसने अपना आदर्श मानकर सशस्त्र साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध संगठित करना शुरू किया तो फांसी पर चढ़ने तक प्राण प्रण से उसी में लगा रहा।

प्रसंगवश, राजनारायन ने छूटपन में ही बच्चों की एक 'वानर सेना' बना ली थी, जिसके कई सदस्य बाद में सशस्त्र साम्राज्यवाद विरोधी अभियानों में उनके साथ रहे। आगे चलकर उन्होने 'मातृवेदी पार्टी' बनाई और बहुचर्चित 'बम पार्टी' की सदस्यता पाने के लिए 23 दिसंबर, 1940 को उन्नाव में थानेदार ममेरे भाई का सरकारी रिवॉल्वर उठा लाए। उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही भड़काऊ भाषण देकर जेल चले गए। तब उन्हे एक साल की सजा हुई, जिसे काटकर वे एक दिसंबर, 1941 को छूटे। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो राजनारायण ने जनता से खुली बगावत का आवाहन कर दिया। उन्हे विश्वास था कि इस बगावत से अपने जिले से तो ब्रिटिश साम्राज्य वाद को उखाड़ ही देंगे। मगर महमूदाबाद रियासत की तहसील का कठोर कब्जाने के विफल सशस्त्र ऑपरेशन के बाद उन्हे दिल्ली भाग जाना पड़ा, जहां उन्होने हुलिया बदलकर स्वतंत्रता संघर्ष में भागीदारी की। इस बीच अंग्रेजों ने उनके गांव को फूंकवाकर उनका घर खुदवा दिया।

बाद में वे नकली नाम व परिचय के साथ 28 सितंबर, 1942 को नागपुर में पकड़े गए और दो महीने जेल में रहकर छूटे तो दिल्ली आकर आर्य समाज में 'शामिल' हो गए। दिल्ली लौटने और पकड़ लिए जाने पर उन्हे दफा 188 में अगले छह महीने फिर जेल काटने पड़े। एक अगस्त, 1943 को रिहा हुए तो ढाई महीने इधर-उधर गुजारकर 15 अक्टूबर, 1943 को मेरठ के गांधी आश्रम से जुड़ाव की इच्छा लेकर उसके खादी भंडार के प्रबंधक से मिले और अपना असली नाम पता बता बैठे। इस विश्वास के साथ जबरदस्त छल हुआ और पकड़ लेने के बाद अंग्रेजो ने उन्हे भीषण यातनाएं दीं। 26 नवंबर को चालान काटकर लखीमपुर भेज दिया, जहां लोअरकोर्ट ने 27 जून को उन्हे फांसी की सजा सुना दी। पहली जुलाई को उन्हे लखनऊ जेल भेज दिया गया और बाद में चीफ कोर्ट ने भी उनकी सजा पर मोहर लगा दी। अलबता, उसने प्रिवी कौंसिल में अपील की मोहलत दी, लेकिन परिवार की गरीबी और समाज की कृतघ्नता के कारण वह अपील हो ही नहीं पाई।

तब माफी मांग लेने की सूरत में बख्श देने पर विचार करने के गोरो के प्रस्ताव का जवाब उन्होने अपनी इस अंतिम इच्छा से दिया था - फांसी पर लटक जाने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को मेरी जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी ही फंदे से मुक्त करे।

राहुल यादव
पाईपफिटर (एटीएस)

सपनों की दुनिया

इन सपनों की अजब है माया
एक नन्हा-सा विश्व सजाया
मन का भ्रम या सच का साया
सपनों का जग मुझको भाया
हमने भी खुद को इसमें पाया
कुछ पल को ये जग था भुलाया
उसमें जिन खुशियों को पाया
जिन्हें सच में कभी देख न पाया
इन खुशियों में हम थे झूले
वास्तविक दुनिया को हम भूले
समय ने जो चक्र फिराया
लौटी फिर दीवा की काया
और किसी ने हमें जागा
खुद को तब बिस्तर पर पाया
अंगड़ाई ने हाथ बढ़ाया
इसे थाम मैं नीचे आया
तब सबने फिर मुझे चेताया
स्पर्धाओं से आ टकराया
वो नन्ही दुनिया न भूले
जी चाहे फिर उनको जी ले
मैं सबको कैसे समझाऊँ
फिर उनको जीना चाहूँ।

एमडीएल के कार्यक्रमों की झलकियाँ

हिन्दी पखवाड़ा

गायन प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल आर के श्रावत के साथ श्री किशोर चन्द्र दास, कार्यकारी निदेशक, (मा.सं) एवं अन्य अधिकारीगण

बाएँ से बैठे हुए कमांडर पी आर रघुनाथ, अप्रनि, कैप्टन राजीव लठ, श्री ए के अय्यर, श्री के सी दास

हिन्दी पखवाड़ा के गायन स्पर्धा में दीप प्रज्वलित करते अध्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल आर के श्रावत

गायन स्पर्धा में प्रतिभागीयों को संबोधित करते हुए सीएमडी

गायन स्पर्धा में गीत गाते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हिन्दी पखवाड़ा

गायन स्पर्धा में संबोधन पश्चात गीत गाते हुए कमांडर पी आर रघुनाथ, निदेशक (जहाज निर्माण)

प्रतिभागियोंको संबोधित करते हुए श्री किशोर चन्द्र दास, कार्यकारी निदेशक, (मा.सं)

गायन स्पर्धा में गीत गाती हुई दो प्रतिभागी

गायन स्पर्धा का आनंद लेते हुए एमडीएल कर्मचारीगण

गायन प्रतियागिता के निर्णायक गण के साथ हिन्दी अनुभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण

भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती

डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्य जयंती पर सीएमडी का स्वागत करते हुए अधिकारी एवं कर्मचारी

उपस्थित समूह को संबोधित करते सी एम डी मंच पर बैठे श्री एस कांबले, डी सी पी, डी एस ईडी(मा.स)

डॉ. बी आर आंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए सी एम डी एवं डी सी पी, साथ में श्री किशोर चंद दास और कर्मचारी गण

निदेशक (सम.यो एवं का) सम्बोधन करते हुए

समारोह में उपस्थित कंपनी के कर्मचारी

भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती

डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती

डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में बाएँ से बैठे श्री एस एस कदम, श्री के.डी. पाटील, श्री के.सी. दास, श्री ए.जे. दास एवं श्री एस. सिन्हा

डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र को माला पहनाते हुए श्री के सी दास, कार्यकारी निदेशक(मा.सं) के साथ अमप्र श्री के.डी. पाटील (मा.सं एवं कैंटीन)

डॉ. भीमराव आंबेडकर को नमन करते हुए श्री ए.जे. दास, मप्र (जनि-रूपांकन)

एमडीएल परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित श्री के.सी. दास, कानि(मा.सं), श्री ए.जे. दास, मप्र (जनि-रूपांकन), श्री एस.एस कदम, उमप्र(सीएसआर) अन्य अधिकारी गण

डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती मनाते हुए एमडीएल परिसर में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी गण

रक्षामंत्री श्री मनोहर पर्रिकर का एमडीएल दौरा

एमडीएल परिसर में माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रक्षामंत्री श्री मनोहर पर्रिकर को दर्शकदीर्घा में सीएसआर संबंधी जानकारी देते हुए सीएमडी के साथ डीसीपी

रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर को बोर्ड पर जहाज निर्माण का ब्योरा देते हुए डीएस, साथ में खड़े सीएमडी एवं वाईस एडमिरल सुनिल लांबा

रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक गण, मुम्बई मेयर सुश्री स्नेहल अंबेकर एवं अधिकारी गण

मंच पर बाएँ से बैठे नौ सेना प्रमुख सुनिल लांबा, रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, मुम्बई मेयर सुश्री स्नेहल अंबेकर का स्वागत करते हुए पोडियम पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

माननीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर स्वागत भाषण देते हुए

मोरमुगाओ का जलावतरण

मोरमुगाओ के लांचिंग में मुख्य अतिथि नेवेल चीफ़ सुनील लांबा के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अन्य निदेशकगण का परिचय कराते हुए

मोरमुगाओ लांचिंग के अवसर पर संबोधन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल आर के श्रावत

मोरमुगाओ लांचिंग के अवसर पर नेवेल चीफ़ सुनील लांबा स्वागत भाषण देते हुए

मोरमुगाओ लांचिंग के अवसर दर्शकदीर्घा का एक चित्र

मोरमुगाओ लांचिंग के समय का एक दृश्य

लांचिंग के पश्चात समुद्र में जाती हुई मोरमुगाओ

स्वच्छ भारत पखवाड़ा

स्वच्छ भारत पखवाड़ा के अवसर पर स्वागत भाषण देते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्वच्छ भारत पखवाड़ा में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण

माझगांव डॉक में स्वच्छ भारत पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए नि(सम.यो.एवं का) के साथ बाएँ से मुसअ, नि (वि) एवं अप्रनि

स्वच्छ भारत पखवाड़ा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्वच्छ भारत पखवाड़ा के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम

स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर वृक्षारोपण करते हुए अप्रनि रियर एडमिरल आर के श्रावत एवं अन्य अधिकारीगण

स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर वृक्षोरोपण के बाद वृक्ष को पानी देते हुए अप्रनि रियर एडमिरल आर के श्रावत एवं अन्य अधिकारीगण

स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर वृक्षारोपण करते हुए कमोडोर राकेश आनंद नि (सम यो एवं का) के साथ एडमिरल आर के श्रावत एवं निदेशक गण

श्री संजीव शर्मा निदेशक (वित्त) वृक्ष की जड़ में मिट्टी डालते हुए, साथ में खड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण

श्री संजीव शर्मा निदेशक (वित्त) वृक्ष की जड़ में मिट्टी डालते हुए, साथ में खड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण

माझडॉक हाउस के सामने वृक्षरोपण के बाद बाएँ से खड़े श्री एस एस कांबले, श्री के एस रमणी, सीएमडी, श्री संजीव शर्मा, कमोडोर राकेश आनंद, श्री प्रवीण बागड़े, श्री दिलीप चन्दन शिवे।

निदेशक (स.यो.एवं का) की अगुवाई में स्वच्छता पखवाड़ा

कमोडोर राकेश आनंद निदेशक(सम यो एवं का) की अगुवाई में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरूआत साथ में बाएँ से खड़े सुश्री लिमोस, श्री वी के शुक्ल, श्री प्रमोद बागड़े, श्री विसपूते, श्री के सी दास और अन्य अधिकारीगण

स्वच्छता पखवाड़ा में शामिल दाँए से किशोर चंद्र दास कानि(मा.सं), श्री ए के अय्यर, कानि(वित्त), श्री श्रीनिवास सिन्हा, उमप्र(मासं एवं हि), श्री ए पी घाटे, मप्र(संपदा), श्री संजीव सूद, नि(वित्त) एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

स्वच्छता अभियान के दौरान माझगांव डॉक रोड में सफाई के पहले कमोडोर राकेश आनंद निदेशक(सम यो एवं का) के साथ अन्य अधिकारीगण

स्वच्छता अभियान के दौरान निदेशक(सम यो एवं का) के साथ अन्य अधिकारीगण डॉकयार्डरोड पर सफाई करते हुए

कमोडोर राकेश आनंद निदेशक(सम यो एवं का) अन्य अधिकारीगण के साथ रोड पर सफाई करते हुए

स्वच्छता अभियान की अगुवाई करते हुए कमोडोर राकेश आनंद निदेशक (सम यो एवं का) के साथ अन्य अधिकारी गण

निदेशक (वित्त) के नेतृत्व में स्वच्छता पखवाड़ा

निदेशक(वित्त) के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के दौरान बैनर लेकर खड़े वित्त एवं सीआईटी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण

रेलवे ट्रैक किनारे पर सफाई करते हुए निदेशक (वित्त) के साथ अन्य अधिकारीगण

श्री संजीव शर्मा निदेशक(वित्त) बीपीटी रेलवे लाइन के किनारे सफाई करते हुए

बीपीटी रेलवे पटरी के किनारे सफाई का निर्देश हुए श्री संजीव शर्मा नि(वित्त) के साथ सीआईटी एवं वित्त विभाग के अधिकारीगण

सीआईटी प्रभाग की महिला अधिकारी गण एमडीएल से सटे रास्ते की सफाई करते हुए

अलकाक यार्ड में सफाई करते हुए महिला कर्मचारी

जहाज निर्माण प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण

जहाज निर्माण विभाग के नेतृत्व में बैनर लिए हुए अधिकारी एवं कर्मचारी गण

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान डॉकयार्ड स्टेशन के निकट सफाई करते हुए अधिकारी

जहाज निर्माण प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण एमडीएल के संलग्न क्षेत्र को साफ करते हुए

स्वच्छ भारत पखवाड़ा के दौरान बैनर के साथ खड़े पूर्वखंड के अधिकारी एवं कर्मचारी

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता में उपस्थित कर्मचारी

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिता में शामिल अधिकारी

स्वच्छ भारत पखवाड़ा के अंतर्गत पुरस्कार समारोह

स्वच्छता पखवाड़ा प्रतियोगिता में कर्मचारियों के बच्चों को पुरस्कार देते हुए सीएमडी रियर एडमिरल राहुल कुमार श्रावत।

स्वच्छता पखवाड़ा प्रतियोगिता में कर्मचारियों के बच्चों को पुरस्कार देते समय बाएँ खड़े कमोडोर राकेश आनंद निदेशक(सम यो एवं का) तथा सीएमडी एडमिरल राहुल कुमार श्रावत।

पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते कमोडोर राकेश आनंद निदेशक(सम यो एवं का)

पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारी गण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल आर के श्रावत का एमओयू पर हस्ताक्षर करते समय उपस्थित निदेशकगण

एमडीएल कर्मचारियों के लिए चिकित्सा स्क्रीनिंग शिविर का उद्घाटन करते हुए कैप्टन राजीव लठ नि(पन एवं भा.अ) मुचिअ, एवं कर्मचारी

विस्तारित गोलिएथ क्रेन ट्रैक का उद्घाटन

विस्तारित गोलयथ क्रेन ट्रॅक

विस्तारित गोलयथ क्रेन के नामपट्ट का अनावरण करते समय सीएमडी, निदेशकगण एवं अधिकारीगण

उद्घाटन समारोह

विस्तारित गोलयथ क्रेन का उद्घाटन करते हुए सीएमडी, निदेशकगण एवं अधिकारीगण

विस्तारित गोलयथ क्रेन का नारियल फोडकर शुभारंभ करते समय सीएमडी एवं निदेशकगण

योग दिवस

वर्ल्ड योगाभ्यास दिवस के अवसर पर एमडीएल के अधिकारियों का योगाभ्यास

सीएमडी एवं अन्य निदेशकगण द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री पी डी सिद्दीकी

केनिया राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय के प्रतिनिधियों का एमडीएल दौरा

केनिया के प्रतिनिधि एमडीएल के सीएमडी को पदक देते हुए

माझगांव डॉक की ओर से केनिया के प्रतिनिधि को पदक देते हुए सीएमडी

केनिया राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय के प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए कमोडोर राकेश आनंद नि(सम यो एवं का)

सम्मेलन कक्ष में केनिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठे हुए कैप्टन राजीव लठ, नि(पन एवं भा.अ) एवं सीएमडी

ओमान कमांड और स्टाफ कोर्स कालेज प्रतिनिधियों का एमडीएल दौरा

ओमान कमांड और स्टाफ कोर्स कालेज प्रतिनिधियों का एमडीएल दौरा

ओमान कमांड और स्टाफ कोर्स कालेज प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन कक्ष में चर्चा करते हुए कमांडर पी आर रघुनाथ, नि(जहाज निर्माण) के साथ अन्य अधिकारी गण

केनिया राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय के प्रतिनिधियों का एमडीएल दौरा

ओमान के प्रतिनिधि को पदक देते हुए कमांडर पी आर रघुनाथ, नि(जहाज निर्माण)

समूह चित्र में ओमान प्रतिनिधियों के साथ पीआरओ, श्री परवेज़ पंतकी

यू एस नौसेना अधिकारी का एमडीएल दौरा

यूएस नेवी के वाइस एडमिरल जोफेस पी औकवाइन का स्वागत करते हुए सीएमडी

यूएस नेवी के वाइस एडमिरल जोफेस पी औकवाइन के साथ बाएँ से खड़े सीएमडी, नि(पन एवं भा.अ) एवं अधिकारी गण

अपर सचिव का एमडीएल दौरा

श्री जे के आर राव अपर सचिव (जे)डीजी का परिचय कमोडोर एन के देसाई से कराते हुए नि(पन एवं भा.अ)

श्री जे के आर राव अपर सचिव (जे)डीजी को उपहार भेंट करते हुए सीएमडी के साथ अन्य निदेशकगण

कर्मचारी सेवा-निवृत्ति समारोह

सेवा-निवृत्ति कार्यक्रम में कर्मचारियों का स्वागत करते हुए सीएमडी के साथ श्री के सी दास, कानि (मा.सं)

सेवा-निवृत्ति कार्यक्रम में कर्मचारियों संबोधित करते हुए सीएमडी के साथ श्री के सी दास, कानि (मा.सं)

सेवा-निवृत्ति कार्यक्रम में कर्मचारियों का आभार करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ कार्यकारी निदेशक (मा.सं)

सेवा-निवृत्ति कार्यक्रम में कर्मचारियों के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक (मा.सं)

अधिकारी सेवा-निवृत्ति समारोह

श्री शिबू मारेट, महाप्रबंधक गुणवत्ता आश्वासन (पू.खं) को सेवा-निवृत्ति समारोह में पुष्प देते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए पी घाटे महाप्रबंधक (संपदा) को सेवा-निवृत्ति समारोह में पुष्प से सम्मानित करते हुए

18 जुलाई 2016 को टॉलिक की 57वीं बैठक में सचिव (राजभाषा) तथा अध्यक्ष - मुंबई (पीएसयू) टॉलिक के करकमलों से एमडीएल गृह पत्रिका जलतरंग को प्रथम पुरस्कार एवं कार्यान्वयन में पुरस्कार प्राप्त करते हुए कमोडोर राकेश आनंद, निदेशक (समवाय योजना एवं कार्मिक) एवं हिन्दी अधिकारी एवं हिन्दी कर्मी

कॉरपोरेट कम्युनिकेशन समिट 2016 स्कोप कान्वेंसन सेंटर नई दिल्ली 21-22 जुलाई को पुरस्कार वितरण समारोह स्कोप द्वारा हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ गृहपत्रिका का पुरस्कार डॉ. बी के अग्रवाल तथा श्री सुधीर चौधरी (मुख्य संपादक जी टी वी) से प्राप्त करते हुए श्री रामप्रीत यादव (वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी) और श्री परवेज़ पंथकी (पी आर ओ)

MAKE IN INDIA
Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत
माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
राष्ट्र के पोत निर्माता
स्टील्थ पोत मोर्मुगाओ का जलावतरण
YARD 12705
MORMUGAO